खण्ड-384, अंक-9
सोमवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(7 मार्च, 1988 ई0)

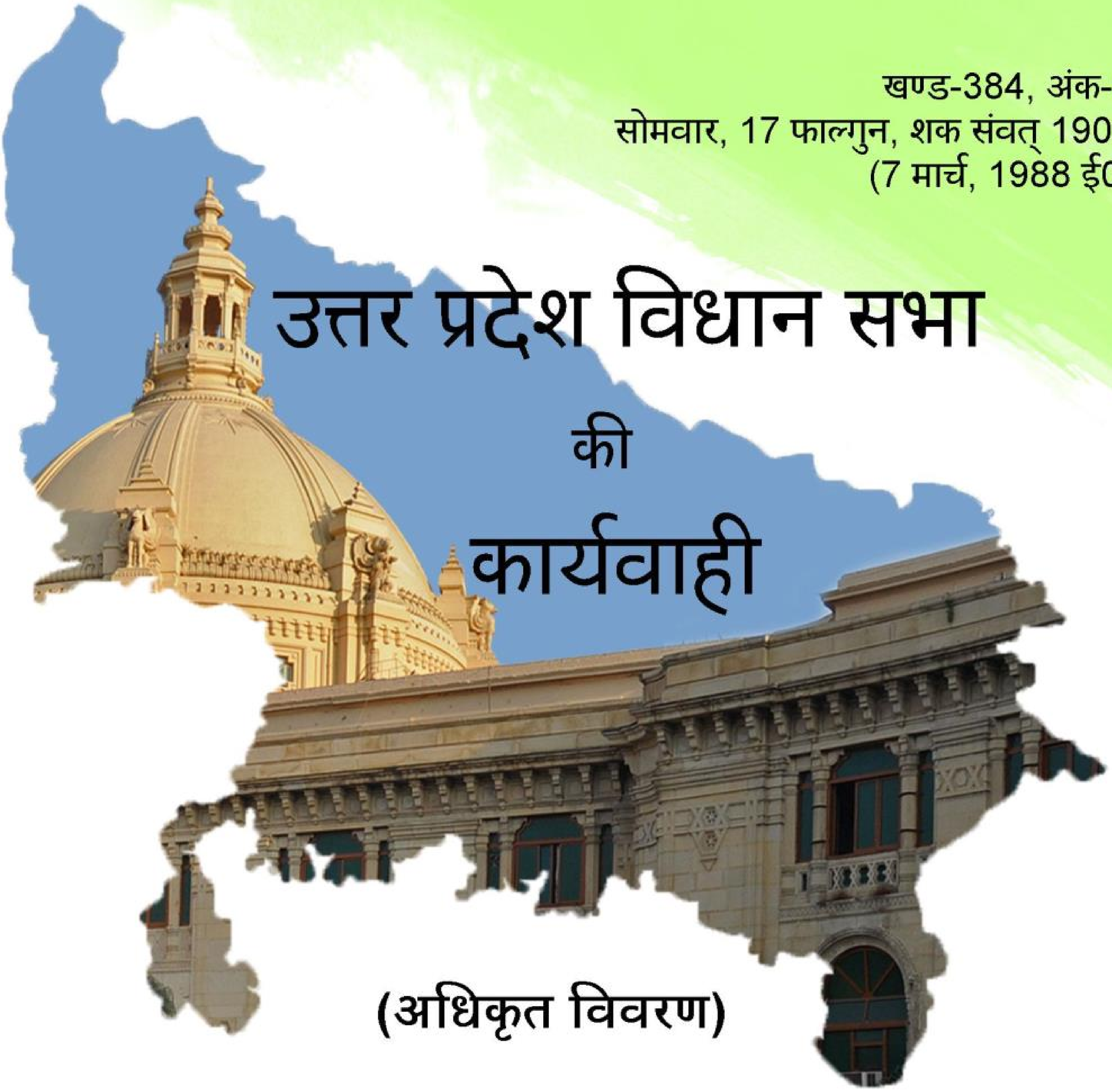

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 384 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क—ख
नियमों को निलम्बित करके "श्री अक्षयबर मल्ल की हत्या विषयक दी गयी कार्य-स्थगन की सूचना" की सर्वप्रथम लिए जाने की मांग	1
शिक्षा सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना ..	2
नियमों को निलम्बित करके "श्री अक्षयबर मल्ल की हत्या" विषयक दी गयी कार्य-स्थगन की सूचना" को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग (क्रमागत) ..	2
श्री शारदानन्द अंचल को सदन से निलम्बित किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	3
शिक्षा सचिव के बिरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना (क्रमागत) ..	4—5
श्री शारदानन्द अंचल को सदन से निलम्बित किए जाने का प्रस्ताव (क्रमागत) ..	5
श्री शारदानन्द अंचल के सदन से निलम्बन को वापस लिए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	6
नियमों को निलम्बित करके "श्री अक्षयबर मल्ल की हत्या विषेयक कार्य-स्थगन की सूचना" को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग (क्रमागत) ..	7—14
प्रश्नोत्तर ..	15—77
जनपद कानपुर व जालौन की फर्जी हैण्डलूम इकाइयों द्वारा अनुदान के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	77
जनपद जालौन के गजेन्द्र कोल्ड स्टोरेज को विद्युत कनेक्शन न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
बरेली महानगर में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
सिंचाई विभाग के अंशकालीन नलकूप चालकों को वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ता आदि की सुविधाएं दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	79
जनपद उन्नाव के थाना मौरावां की पुलिस द्वारा अत्याचार किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद गाजीपुर के जिला पूर्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	80
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सैंतीसवां संशोधन) नियमावली, 1986 (सदन के पटल पर रखी गयी)	81
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (उन्चासवां संशोधन) नियमावली, 1987 (सदन के पटल पर रखी गयी)	81
कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, उत्तर प्रदेश की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1984—85 एवं वर्ष 1985—86 (सदन के पटल पर रखी गयी)	81
दि यू0पी0 स्टेट डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, 1983—84 (सदन के पटल पर रखा गया)	81

विषय	पृष्ट संख्या
उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1983–84 (सदन के पटल पर रखा गया)	81
भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का 1985–86 वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) (सदन के पटल पर रखा गया)	81
मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 ई0 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	82
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1987 (सदन के पटल पर रखी गयी)	82
दिनांक 2 फरवरी, 1988 को हुए सचिवालय काण्ड में गिरफ्तार किए गए विधायकों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	82
दिनाक 29 फरवरी, 1988 को विधान भवन के समक्ष हुए लाठी चार्ज से श्री अक्षयवर मल्ल की मृत्यु विषयक कार्य-स्थगन की सूचना	83–109
श्री अक्षयबर मल्ल की लाठी-चार्ज से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में जांच हेतु सदन की सर्व-दलीय समिति बनाए जाने की मांग	110–120
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	121
वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ..	122
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें	123
उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में ओला वृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य	124
"सरकार द्वारा शीतगृहों में भण्डारण दर घोषित न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में" वक्तव्य का स्थगन	124
श्री अक्षयवर मल्ल की लाठी चार्ज से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में जांच हेतु सदन की सर्व-दलीय समिति बनाए जाने की मांग (क्रमागत)	125–126
नत्थियां	127

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, सभामण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	रघुवरदयाल वर्मा, श्री	आगरा
अमिताभ लवानिया, श्री	आगरा	रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
अर्जुन सिंह, श्री	बांदा	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	रामनरेश यादव, श्री	मैनपुरी
आर0यन0 पाठक, श्री	कानपुर	रामनरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
औसान सिंह, श्री	इटावा	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
काशी सिंह एरी, श्री	पिथौरागढ़	राम लक्षन, श्री	गोरखपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0	आगरा	रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून	विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	वीरेन्द्र सोन, श्री	आगरा
नंगा राम, श्री	खीरी	शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल
निर्भयपाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
प्रभुदयाल, श्री	मेरठ	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
बदन सिंह, श्री	आगरा	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
बद्री सिंह, श्री	जालौन	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	फैजाबाद
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी	सुरेन्द्र सिंह, श्री	गढ़वाल
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं	सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ श्री	बस्ती	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर	हरिश्चन्द्र, हरीश जी,	बस्ती
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

अवधेश प्रदेश

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

नियमों को निलम्बित करके "श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या विषयक की गयी कार्य-स्थगन की सूचना" को सर्व प्रथम लिये जाने की मांग

(आरम्भ में ही श्री मुलायम सिंह यादव तथा नेता विरोधी दल एक साथ खड़े हो गये।)

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्रीमन्, मैं पहले प्रस्ताव करता हूं कि सारे नियमों को निलम्बित करके कार्य-स्थगन प्रस्ताव लिया जाए जो नियम 56 में दिया हुआ है कि माननीय अक्षयवर मल्ल की जो हत्या की गई है, इसको सर्वप्रथम आज ले लिया जाए, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष–

नियम 63 में मुझे सूचना मिली है मैंने उसको अपने कक्ष में देखा है और आप सबकी भावनाओं को देखते हुए उस प्रश्न को मैंने विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हमारा तो पहले का एक गम्भीर सवाल है। आपने जो बताया है वह दूसरा सवाल है। हमारा नियम 56 का है।

श्री अध्यक्ष–

हमने तो नियम 63 में जो सूचना आई थी, उस पर दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह दूसरी बात है। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो आपके चैम्बर में तय हुआ था, और जो आपने उस दिन आश्वासन भी दिया था कि 7 मार्च को ले लिया जाएगा और जब यह सदन उठा था, तब उस पर माननीय उपाध्यक्ष ने भी, जो उस समय चेयर पर थे, कहा था मेरा नाम लेकर कि जो उनका कार्यस्थगन प्रस्ताव है–जो मल्ल साहब की हत्या की गई है, सदन जब बैठेगा 7 मार्च को तब लिया जाएगा। मेरा निवेदन है कि आज सबसे पहले उसे ले लिया जाए। यह दूसरा सवाल है जो माननीय विधायकों को अपमानित किया गया है .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उस पर तो मैंने निर्णय दे दिया है। आपका कार्य-स्थगन प्रस्ताव नियम 56 आएगा तब मैं ले लूंगा। यह रोज-रोज नियम निलम्बित नहीं किये जा सकते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्रीमन्, आपके संरक्षण के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। यह इतनी गम्भीर घटना हुई है और अब जो विधायकों को अपमानित किया गया है, उसका भी कारण यही है कि जो असेम्बली के सामने ऐसी शर्मनाक घटना हुई है। जो हमारे मूल अधिकार हैं और हमें संविधान के तहत भाषण की स्वतंत्रता और शान्तिमय प्रदर्शन का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष–

जब नियम 56 आए, तभी यह कहियेगा। बैठिये।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इससे ज्यादा गम्भीर कोई मामला हो नहीं सकता है, इसको पहले आप लीजिए नियमों को निलम्बित करके . (व्यवधान) जब तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक कोई दूसरा मामला नहीं लिया जा सकता है। संविधान में जो मूल अधिकार दिये गये हैं (व्यवधान)

शिक्षा सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

श्रीमन्, हमारा एक विशेष महत्व का सवाल है जिसकी हमने नियम 63 में सूचना दी है, इसको सुन लीजिए।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपसे अर्ज किया, इसको अभी इस तरह से नहीं लिया जा सकता है।

श्री सत्यपाल सिंह–

मुझे एक विशेष प्रश्न उठाना है। आपने नियम 63 में, उसकी विशेष गम्भीरता को देखते हुए देखा है और स्वीकार कर लिया है और इसी नियमावली के नियम 67 में . . . (शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल के मामले की गम्भीरता को देखते हुए ही मैंने यह निर्णय दे दिया है।

श्री सत्यपाल सिंह–

मेरी बात पहले आप विनम्रता पूर्वक सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

जब मैं एक निर्णय दे चुका हूं . . .

श्री सत्यपाल सिंह–

आपने विशेषाधिकार समिति को सौंपने की बात कही हमारा कहना यह है कि नियम 67 के तहत . . . (व्यवधान)

नियमों को निलम्बित करके "श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या विषयक दी गयी कार्य-स्थगन की सूचना" को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

*श्री शारदानन्द अंचल–

अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, पहले मल्ल जी की जघन्य हत्या के मामले को आप लीजिए। उस गम्भीर घटना के कारण दो दो दिन सदन नहीं चला। विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के भी माननीय सदस्य, दोनों पक्ष के लोग उसकी गम्भीरता को देखते हुए कुछ नहीं बोले। जब तक यह मामला नहीं लिया जाएगा, तो यह सदन नहीं चलेगा। संविधान की जो अवहेलना हुई है, उसी कारण से यह विधायकों के अपमान की घटना हुई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शारदानन्द अंचल को एक दिन के लिए सदन से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

माननीय शारदानन्द अंचल आप सदन छोड़ें।

(श्री बाबूराम यादव, श्री शारदानन्द अंचल, श्री बलवीर सिंह तथा मुहम्मद आजम खां एवं अन्य सदस्यों के सदन के फ्लोर पर आ जाने से घोर व्यवधान के मध्य)

मैं आपको इंगित करता हूं आप सदन छोड़ें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री शारदानन्द अंचल जी को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं नियमों के अन्तर्गत पूरी बात सुनने को तैयार हूं। अंचल जी आप निलम्बित हैं, आप सदन छोड़ें।

(घोर व्यवधान)

(श्री शारदानन्द अंचल, श्री बलवीर सिंह, श्री बाबूराम यादव, श्री फरीद महफूज किदवई, श्री मुहम्मद आजम खां एवं कई अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठ कर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

एक सदस्य–

मान्यवर, इनको सदन से निकलवाइये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं मार्शल को आदेश देता हूं कि श्री शारदानन्द अंचल को सदन से बाहर करें।

(मार्शल एवं सुरक्षा गार्डों द्वारा जबर्दस्ती मा0 शारदानन्द अंचल को सदन से निकालने का प्रयास करने तथा कई माननीय सदस्यों द्वारा अंचल जी को पकड़े जाने के कारण, घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह सब क्या हो रहा है आप बैठे हुए यह तो मुनासिब नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मार्शल, वापस आ जायें।

(श्री मुहम्मद आजम खां तथा अन्य कई सदस्य डायस के पास खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक निवेदन मेरा सुन लें।

(व्यवधान के मध्य)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

कुंवर रेवती रमण जी आप क्या कह रहे हैं?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दो दिन सदन चला नहीं। हम लोगों की मांग थी कि मुख्य मंत्री जी सदन में आयें। मुख्य मंत्री जी सदन में आ गये हैं। मुख्य मंत्री जी हम लोगों की बात सुन लें और सुनकर अपना जवाब दे दें तब तक के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि निलंबन के प्रस्ताव को वापस ले लें और सदस्यगण यहां आकर बैठ जायं, अगर सदन चलाना चाहते हैं। अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं अक्षयवर मल्ल और विधायक, दोनों के मामले में तो हम सबका निलंबन कर दीजिये, जितने लोग हैं बाहर चले जायेंगे। अगर नहीं तो फिर इस तरह से सदन कैसे चलेगा? एक विषय चल रहा था और दूसरा विधायकों का मामला भी हो गया है। इसमें मुख्य मंत्री जी पहले हमारी बात सुन लें और तब अपनी बात कहें तब तक के लिए निलंबन को वापस कर लीजिये।

श्री मुईद अहमद–

पहले आप अपनी आज्ञा का पालन कराइये।

श्री अध्यक्ष–

अगर कोई अनुशासित नहीं है, मुझे दुख होता है किसी का निलंबन करते हुए, अगर कोई अनुशासनहीनता हो रही है तो उसके लिए मैं मजबूर हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न के लिए इजाजत दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

नहीं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैंने आपसे शुरू में कहा था। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। विधायक जो कर रहे हैं वह इस सदन की पवित्रता बचाये रखने के लिए कर रहे हैं। इस असेंबली के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर लाठी चार्ज हुआ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आप पहले सदन को व्यवस्थित करा दें तब किसी की बात को सुनें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, निलंबन को पहले वापस कर लीजिये विधायक यहां आ जायेंगे।

श्री मुईद अहमद–

अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। पहले सदन को व्यवस्थित कराइये तब मुलायम सिंह जी की बात सुन लीजिये। जब तक सदन व्यवस्थित नहीं है तब तक मान्यवर, इनकी कोई बात न लिखी जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, एक निवेदन मेरा सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं खड़ा हूं, आप बैठें। जहां तक माननीय सदस्य के निलंबन का सवाल है हाउस से अगर वापसी का प्रस्ताव आता है, मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे कोई एतराज नहीं है। दूसरे जहां तक आपका नियम 56 का सवाल है जिस वक्त नियम 56 आयेगा मैं सुनने के लिए तैयार हूं।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, हमारी व्यवस्था की बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप अपनी अपनी जगह पर चलें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, पहले सदन व्यवस्थित करवाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय अक्षयबर मल्ल की जो हत्या की गयी है, उसके संबंध में मैंने जो नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी है, उसको पहले ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

वह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत प्राथमिकता में सबसे पहले सुनी जायगी।

(शोर)

शिक्षा सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं नियम 56 की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने नियम 63 के अन्तर्गत, माननीय विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उसके संबंध में सूचना दी है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न के बारे में मैं अपना निर्णय दे चुका हूं।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, सभी विरोध पक्ष ने एक राय होकर नियम 63 के अन्तर्गत लिखकर दिया है कि माननीय सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। मान्यवर, मेरी मांग यह है कि नियम 63 के अन्तर्गत आप इसे ले लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपके विषय को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, पहले आप सदन को व्यवस्थित कराइये।

(शोर)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, जब तक सदन व्यवस्थित न हो जाय, तब तक कोई बात लिखी न जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है . . .

श्री अध्यक्ष–

पहले सदन व्यवस्थित हो जाय, तब मैं कोई बात सुनूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि पहले, माननीय मल्ल साहब की हत्या के संबंध में जो मैंने नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी है, उसे ले लिया जाय।

(अत्यधिक शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुलायम सिंह, पहले आप सदन तो व्यवस्थित करवाइये?

श्री शारदानन्द अंचल को सदन से निलम्बित किए जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, जब तक आपकी आज्ञा का पालन न हो तब तक यह सदन नहीं चलेगा।

(श्री मुलायम सिंह यादव के प्रयास से सदन के फ्लोर पर बैठे हुए सभी सदस्य अपने अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, एक सदन का प्रस्ताव है और वह प्रस्ताव यह है कि इनको बाहर निकाला जाय और वह वहां जाकर बैठ गये हैं तो यह क्या उचित है?

श्री मुईद अहमद–

जब मान्यवर, यह निर्णय हो चुका है और प्रस्ताव पारित हो गया तो उस पर अमल कराया जाय।

(व्यवधान के मध्य)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपके निर्देश से सब लोगों को वापस बुला लिया गया अब आप निलम्बन वापस कराइये।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, जब तक अंचल साहब बाहर नहीं जाते तब तक यह सदन व्यवस्थित नहीं हो सकता। आपका आदेश हो चुका अब अंचल जी बाहर जायं।

(शोर)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, वह बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा? जब तक पिछले आदेश का पालन नहीं होगा तब तक कैसे चलेगा?

श्री अध्यक्ष–

अंचल जी बाहर जायं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मेरा आपसे, संसदीय कार्यमंत्री जी से तथा नेता सदन से निवेदन है कि हम लोग पूरी तरह से सदन चलाना चाहते हैं लेकिन अब मान्यवर, सरकार कतई नहीं चाहती है सदन को चलाना तो क्या करें? मान्यवर, कौन सा अपराध किया था शारदानन्द अंचल जी ने कि उनको सदन से बाहर निकाला जा रहा है? (व्यवधान) मेरा निवेदन है माननीय संसदीय कार्य मंत्री और नेता सदन से कि माननीय शारदानन्द अंचल जी का निलम्बन वापस लें और उसके बाद कार्यवाही प्रारम्भ करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा आप मेरी प्रार्थना सुन लें। मान्यवर, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि नियमावली को देख लें। मान्यवर, नियमों में व्यवस्था है और माननीय अध्यक्ष के प्रति हम और सत्तापक्ष दोनों समर्पित हैं आपमें हमारा पूरा विश्वास है (व्यवधान) अभी एक ऐसी घटना हुई जिसकी ओर इंटरप्रिटेशन यहां हो रहा है और सत्तारूढ़ दल ने आपके प्रति अविश्वास पैदा कर दिया है (व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, आप पर संदेह व्यक्त किया गया है इसको कार्यवाही से निकाला जाय, सत्तापक्ष का पूर्ण विश्वास है आप पर।

(व्यवधान के मध्य)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, सत्तारूढ़ दल, संसदीय कार्य मंत्री से उम्मीद थी कि वह खड़े होकर निलम्बन को वापस लेने का प्रस्ताव लाते और आपके आदेश का पालन करते (व्यवधान) अंचल जी के आज दिन भर का निलम्बन वापस लें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अंचल जी के आज दिन भर के निलम्बन का जो प्रस्ताव यहां रखा गया था उस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए यह सदन सहमत है।

(सत्ता पक्ष की ओर से नहीं-नहीं की आवाजे आने से घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सदन को चलाने के लिए और गतिरोध को समाप्त करने के लिए नियम 56 की कार्यवाही होगी तब कोई कार्य होगा।

श्री अध्यक्ष–

आप व्यवस्थित हो जाइये, संसदीय कार्यमंत्री खड़े हुए हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

उसके बाद कोई कार्यवाही चलेगी । अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे जानबूझ कर कहना पड़ता है कि सदन में गतिरोध बनाए रखने के लिये ये जानबूझ कर सदन में हठवादिता करना चाहते हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मा0 राजेन्द्र गुप्त जी और मा0 मुलायम सिंह जी ने जो बात कहीं, मैं राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की बात से शत प्रतिशत सहमत हूं और मैं समझता हूं कि सदन का कोई व्यक्ति इससे इंकार नहीं करेगा । जहां तक आपकी प्रतिष्ठा और इस कुर्सी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, चाहे कोई इधर का हो या उधर का हो, सब इसकी इज्जत करना चाहते हैं । इसके प्रति समर्पित हैं । मान्यवर, आज प्रश्न यह आ गया है कि क्या इस कुर्सी से दिये गये आदेशों का पालन किया जायगा, या नहीं । प्रश्न आज इस सदन में यह पैदा हो गया है कि क्या जो नियमित कार्यक्रम है, और जो चीज एक प्रजातंत्र और डेमाक्रेटिक सिस्टम में होनी चाहिये, वे होंगी या नहीं । पिछले दिनों आपने प्रश्नोत्तर काल निलम्बित कर दिया । हम सब लोग चाहते थे कि पूरी तरह से स्वर्गीय अक्षयवर मल्ल के विषय में बात करें । इस घटना से सबको दुख है, उसके बारे में पुरी तरह से बात करें । इसके बारे में मुलायम सिंह जी ने जब प्रस्ताव रखा तो इस तरफ की बेंचेज से किसी ने विरोध नहीं किया । इसके बारे में सबको पूरी तरह से मौका दिया गया कि इस पर बात हो । उसके बाद क्या हुआ कि जो सारी प्रजातांत्रिक परम्पराएं हैं, जो पार्लियामेंटरी सिस्टम है, ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी का जो तरीका है, उस पर विश्वास न करते हुए कहा गया कि जब विशेष रूप से मुख्य मंत्री जी यहा पर होंगे, उसी समय चर्चा होगी । मान्यवर, अगर यह परम्परा चल गयी कि हर बात के लिये हर मिनिस्टर को मौजूद होना पड़ेगा, तो इसका नतीजा क्या होगा ? यहां से लेकर हाउस आफ कामन्स में, लोक सभा में, राज्य सभा में, जहां भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, ज्वाइन्ट

रिस्पांसिबिलिटी में एक दो व्यक्ति पूरी तरह से सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं । उसके बाद क्या हुआ ? दो-तीन दिन तक यही चलता रहा । हम लोगों ने पूरा प्रयास किया .. (व्यवधान) .... अगर प्रजातंत्र में पूरा विश्वास करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं तो अपनी बात कहें और हमारी बात सुनें । मान्यवर, इन सारी चीजों में हम लोग 2-3 दिन तक प्रयास करते रहे, आप प्रयास करते रहे, सारे उत्तर प्रदेश की जनता देखती रही, हम लोग हाउस चलाना चाहते हैं । आज फिर यह बात आयी तो आपने बड़ी उदारता से विशेषाधिकार की बात तय कर ली । इसमें हम लोग भी कुछ कहना चाहते थे । ऐसी दुर्घटना को कोई जस्टीफाई नहीं करना चाहता है । आज आपने अभी आदेश दिया तो हमें बड़े भारी मन से प्रस्ताव करना पड़ा । हम लोग उस समय प्रस्ताव न करें तो चेयर के प्रति अविश्वास होता है । आपने एक प्रस्ताव किया । आपकी एक गरिमा है । आप हमसे कहें कि सदन से चले जाओ, हमारे दल के किसी भी सदस्य से कहें, हम तत्काल चले जाएंगे । यहां पर कोई हठधर्मी की बात नहीं है । परम्पराओं को बनाए रखना है । मैं पूरी तरह से प्रस्ताव करने के लिये तैयार हूं । मैं एक बार नहीं बीसों बार प्रस्ताव कर चुका हूं । हम यह नहीं चाहते हैं कि विपक्ष का कोई भी सदस्य अपनी बात कहने मे वंचित रह जाय । हम चाहते हैं कि उनकी सुनें और अपनी कहें । मा0 मुलायम सिंह यादव, मा0 सत्यपाल सिंह, मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त और मा0 अंचल जी से भी मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अंचल जी, मेरे दोस्त भी हैं, वे सदन छोड़ कर बाहर चले जायं । उसके बाद मैं प्रस्ताव कर दूंगा और उनको वापस ले लिया जायगा । अगर आज आपके आदेशों की अवहेलना की गयी तो यह आपकी नहीं इस कुर्सी की अवहेलना हो जायगी । मा0 अंचल जी से मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप सदन से जाइये, उसके बाद मैं प्रस्ताव कर दूंगा । इससे इस सदन की, इस कुर्सी की, इस पीठ की गरिमा बनी रह सकेगी ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जहां तक इस कुर्सी की गरिमा का सवाल है, मान्यवर हम पूरी तरह से इस कुर्सी की गरिमा को बनाये रखने की जिम्मेदारी लेते हैं और सारा विपक्ष लेता है । आपकी आज्ञा का उल्लंघन कहीं नहीं किया गया है । जब इंगित किया गया माननीय शारदानन्द अंचल जी को तब एक गतिरोध उत्पन्न हुआ । मान्यवर, आज हम लोग जो बात कह रहे हैं विपक्ष के लोग, इस सदन की पवित्रता और उस कुर्सी की गरिमा को बनाये रखने की बात कह रहे हैं ।

(शोर होने पर)

मान्यवर, आप पहले इन लोगों को शांत कराये । सत्तापक्ष के लोग अगर यह समझते हैं कि वे बहुमत में हैं, किसी की बात नहीं सुनी जायेगी, तो ऐसे नहीं चल पायगा ।

मान्यवर, जब निलम्बन का प्रस्ताव आ गया, उसके बाद इधर के सदस्य सदन के वेल में आ गये । हमने भी माननीय नेता सदन और माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन किया कि माननीय शारदानन्द अंचल जी के निलम्बन का प्रस्ताव वापस ले लें । मान्यवर, यही नहीं आपने भी अपनी पीठ से यह कहा कि मैं चाहता हूं कि उधर से ऐसा प्रस्ताव आ जाय । लेकिन, उसके बाद भी, आपके इशारे के बाद भी, सरकार से निलम्बन वापसी का प्रस्ताव नहीं आया । मान्यवर, उस कुर्सी की गरिमा को खंडित करने के लिए, उसकी गरिमा को चकनाचूर करने के लिये सत्तापक्ष ने आज यह कार्य भी कर दिया, आपकी बात नहीं मानी ।

(अत्यधिक शोर के मध्य)

मान्यवर, अब आप स्वयं ही सत्ता पक्ष का आचरण देख लें । आपकी अनुमति के बावजूद बोलने नहीं दे रहे हैं । मान्यवर, दूसरी ओर उसी समय जब आपने यहां के सदस्यों को वेल से वापस बुलाने के लिये कहा, हमने आपकी आज्ञा का उसी समय पालन किया और सदस्यों को वहां से बुलाकर यहां पर बैठवाया अपनी सीट पर बैठवाया । मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा मुख्य मंत्री या अन्य मंत्रियों की अनुपस्थिति में ज्वाइंट रिस्पांसिबिल्टी की बात कही और यहां तक कह गये कि इस तरह से बात चलेगी तो एक गलत परम्परा हो जायेगी । मान्यवर, पार्लियामेंट या कहीं किसी भी असेम्बली भवन के सामने इस तरह से किसी राजनीतिक प्रदर्शनकारी की पुलिस द्वारा हत्या भी नहीं हुई है । यह संसदीय इतिहास में पहला मौका था जब कि विधान भवन के सामने माननीय अक्षयवर मल्ल जी की हत्या हुई । संसदीय इतिहास में यह पहली चर्चा है। हम लोग कह रहे थे कि माननीय मुख्य मंत्री को ऐसी चर्चा के समय सदन में रहना चाहिये ताकि सारी बातें हो सकें । मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री को उस समय सदन में आने के लिये जो हम लोग कह रहे थे, हम लोगों ने जो उन्हें सदन में आने के लिए कहा, वह मांग रखकर उनका हम लोगों ने सम्मान किया, उनको बुलाने की बात कहकर मुख्यमंत्री जी का अपमान नहीं किया । मान्यवर, मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि अभी संसदीय कार्यमंत्री, जो मंत्रियों की उपस्थिति की बात कह रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री में या किसी मंत्री में कोई हैसियत नहीं है कि कोई निर्णय मुख्य मंत्री के बिना ले सकें । कई बार आपके चेम्बर में तमाम विषयों पर संबंधित मंत्रियों के साथ वार्तायें हुई, लेकिन उसके बाद कहीं कोई कार्यवाही नहीं । माननीय अक्षयवर मल्ल जी के मामले के संबंध में बात उठी, आपकी बात का हम सभी ने पालन किया कि होली पर जायें । आपसे बात चीत हुई और फिर रास्ता निकाला गया । मान्यवर, आप देखें कि जो यह मल्ल साहब के संबंध में सूचना थी, असेम्बली के सामने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसायी, जिसमें मल्ल साहब की मृत्यु हुई, लेकिन उसके बावजूद यह सरकार उन हत्यारों को सजा तक नहीं दे सकती है और उसी का हस यह भी है कि सारे माननीय सदस्यों का अपमान किया जा रहा है । उस कुर्सी की गरिमा को बनाये रखने के लिये, इस सदन की पवित्रता को बनाये रखने के लिये मेरी भी माननीय नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री से प्रार्थना है कि निलम्बन का प्रस्ताव वापस लें और कार्य स्थगन के प्रस्ताव को लेकर कार्यवाही को आगे चलवायें ।

श्री अध्यक्ष–

अब माननीय मुलायम सिंह जी मैं यह अनुरोध करूंगा कि अंचल जी से कहें कि उस प्रस्ताव के तहत सदन से बाहर चले जायें ।

(श्री सूर्य प्रताप शाही तथा कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जम्हूरियत, प्रजातंत्र प्रणाली की दुहाई दे रहे थे । मान्यवर, मैं आपके सामने बहुत ही विनम्र शब्दों में यह बात कहना चाहता हूं कि इस सदन में एक बार नहीं, अनेक बार ऐसी घटनाओं का उल्लेख हम लोगों ने किया, जिसमें विधायकों का अपमान हुआ । सत्ता पक्ष के दत्ता साहब के साथ पुलिस ने मारपीट की थी, इसी तरह श्री राम गोविन्द चौधरी के घर का ताला तोड़कर पुलिस ने लूटा था।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय अंचल जी का निलम्बन किया गया, पहले इसका पालन हो जाये, फिर मैं आपको सुनूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हम लोगों ने सरकार को बजट पास कराने के लिए 17 दिन का समय दिया और उसके बावजूद भी मान्यवर, यह लोग जो बात सदन में कहते हैं या उसके बाहर कहते हैं, उसका पालन नहीं होता । आज भी इसी तरह की विषम स्थिति यहां उत्पन्न हो गई है । आपने श्री शारदा नन्द अंचल का निलम्बन किया और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक प्रस्ताव रखा कि उनका निलम्बन वापस होना चाहिए । यह बात सदन में गौर करा ली जाय, यही हमारा कहने का मन्तव्य है । इस सदन में हम इसलिये नहीं आते हैं कि हमको सदन के बाहर कर दिया जाय, हम सदन में बैठने के लिये आते हैं, अपनी बात कहने के लिये आते हैं और यह सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं कि हम अपनी बात न कह सकें । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका वोट करा लिया जाय, अगर यह सरकार सदन चलाना चाहती है, तो अभी स्पष्ट हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

कुंवर रेवती रमण सिंह जी मैंने जो कहा है, पहले उसका पालन हो जाये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह सदन जो है, वह पूर्व की परम्पराओं और दृष्टान्तों पर चलता है । मैं इस विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो परम्परायें रही हैं मान्यवर, आप दोनों पक्ष के विधायकों के संरक्षक हैं और आप यह जानते हैं कि आपकी आज्ञा से यह सदन चलता है । मान्यवर, पहले की परम्परा और दृष्टान्त के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सदन के भीतर माननीय संसदीय कार्य

मंत्री जी ने आपके इंगित करने के बाद भी प्रस्ताव रखा है और आज सत्ता पक्ष इस बात को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें . . .

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

*श्री कल्यान सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक बहुत संक्षेप में दो बात कहना चाहता हूं । एक तो यह कि इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है । विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और विपक्ष से भी ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार से भी ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है । यह सदन का बड़ा ही बहुमूल्य समय जा रहा है . . .

(व्यवधान)

हम स्वयं चाहते हैं कि सदन चले । मान्यवर, पहली तारीख को जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, वह केवल इस बात पर हुआ था कि . . .

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, हमारी बात को मानना या न मानना तो आपके हाथ में है । ये लोग तो बात भी नहीं कहने देते । मान्यवर, स्व0 श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या एक ऐसी दर्दनाक घटना थी, जिसे सत्ता पक्ष व विपक्ष ने माना । आपने भी उस घटना को गम्भीरता से लिया, इसीलिए आपने भी नियमों को निलम्बित करते हुए इस पर चर्चा करने की अनुमति दी । गतिरोध इस बात पर हो गया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं हैं, जब तक वह सदन में नहीं आ जाते, इस घटना पर चर्चा करना व्यर्थ है । आज माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आ गये हैं, इसलिए माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने जो बात रखी है, वह उचित है ।

दूसरा, मान्यवर, आपके द्वारा जो निलम्बन के आदेश होते हैं, जरा-जरा सी बात पर, सत्ता पक्ष के लोगों से भी मेरा कहना है, इस तरह से सदस्यों का निलम्बन करना कोई उचित बात नहीं है, इससे और गतिरोध उत्पन्न होता है । आपको भी मान्यवर इसमें उदारता बरतनी चाहिए । जो अभी निलम्बन का प्रस्ताव हुआ है, केवल इस बात पर जिद्द पकड़ ली गई है कि पहले आपके आदेशों का पालन हो और जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि श्री अचल जी पहले सदन से बाहर चले जायं और मैं उसके बाद निलम्बन के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा, तो मेरा माननीय श्री मुलायम सिंह जी से व श्री अंचल जी से अनुरोध है कि अध्यक्ष पीठ से जो आदेश हुए हैं, उनका परिपालन हो जाय और उसके बाद सत्ता पक्ष ने जो आश्वासन दिया है, उसका परिपालन हो जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने एक सुझाव रखा है, उसका पालन किया जाय और मामले को खत्म किया जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री मुलायम सिंह, श्री कौशिक रमाशंकर तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके बैठ जायं । माननीय श्री मुलायम सिंह जी एक सुझाव श्री कल्याण सिंह जी ने रखा है, पहले उसका पालन हो जाय । मामला खिंचता जा रहा है । पहले परिपालन हो जाय, सुनने के लिए तो मैं यहां पर हूं ही ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपकी जो आज्ञा है, उसको हम शिरोधार्य करेंगे । मान्यवर, श्री कल्याण सिंह जी ने व कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने एक सुझाव दिया है, उसको मैं पूर्णतया मानता हूं और स्वीकार करता हूं । इस सदन की गरिमा बनाये रखने के लिए और आपके सम्मान को बनाये रखने के लिए, हम लोग हमेशा समर्पित हैं । इस तरह से जो निलम्बन होता है, बहुमत के आधार पर यदि आप कोई काम फोर्सिबली करवाना चाहेंगे तो वह आप नहीं कर पायेंगे ।

(शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपके पीछे जो माननीय सदस्य हैं, उन्हें आप चुप करायें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह कार्य-स्थगन तो स्वीकार हो ही गया था । यह स्थिति सरकार ने पैदा की है ।

(व्यवधान)

आपसे निवेदन यह है कि जो कार्य स्थगन प्रस्ताव है उस पर व्यवधान नहीं डालना चाहिये, हमको मौका देना चाहिये । इसके साथ ही मैं श्री शारदानंद अंचल जी से अनुरोध करूंगा कि वह थोड़ी देर के लिये सदन के बाहर चले जायं ।

(श्री शारदानन्द अंचल के सदन से बाहर चले जाने पर)

श्री मुहम्मद आजम खां–

आपको तो खुशी होनी चाहिए कि बाहर भी सदस्य पिटते रहें और यहां से भी उठकर चले जायं ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री शारदानन्द अंचल के सदन से निलम्बन को वापस लिए जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री शारदानंद अंचल जी, जिनके निष्कासन का प्रस्ताव अभी पारित हुआ था, को इस सदन में वापस ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव से, जिसे उन्होंने अभी इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, सहमत है ?

(प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ) (श्री शारदानंद अंचल ने पुन: सदन में आकर अपना स्थान ग्रहण किया)

नियमों को निलंबित करके श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या विषयक कार्य-स्थगन की सूचना को सर्व प्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैंने आपसे निवेदन किया था कि माननीय अक्षयवर मल्ल की हत्या पुलिस ने जान बूझकर कर दी है ।

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैंने आपसे निवेदन किया कि नियमों का निलम्बन करके कार्य स्थगन प्रस्ताव लिया जाय, 2 मार्च को यह तय भी हो गया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब सदन में आ जाएंगे, तब लिया जायगा । उसी के संबंध में थोड़े शब्दों में कुछ बातें रखना चाहता हूं ।

यह संविधान जब बना था, इस संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है वह है शान्तिमय प्रदर्शन और भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता । यह अधिकार इसलिये दिया गया था क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में जब स्वतंत्रता सेनानी भी शान्तिमय तरीके से अपने विचार व्यक्त करते थे और शान्तिमय प्रदर्शन करते थे, तो निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज किया जाता था । इसीलिये संविधान में शान्तिमय प्रदर्शन की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गयी थी । आपको याद होगा जब ''साइमन कमीशन'' आया, उस समय जब विरोध किया गया और बहिष्कार किया गया, तो नेहरु जी पर लाठीचार्ज हुआ । स्वर्गीय पंत जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी रक्षा की थी ।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने क्या नियमों का निलम्बन करके इसे शुरू करा दिया है या एजेण्डे के हिसाब से सुन रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने निलम्बित नहीं किया है, लेकिन मैं सुनना चाहता था कि अगर कोई नयी बात उठा रहे हैं ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, श्री जाहिदी साहब ने व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया है, वह प्रश्न उठता ही नहीं है क्योंकि आपने सदन उठने से दो दिन पूर्व ही निश्चित कर लिया था कि श्री मल्ल के संबंध में चर्चा सारी कार्यवाही का निलम्बन करके होगी लेकिन वह इस वजह से नहीं हो पायी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे । मान्यवर, यह तो प्रश्न उठता ही नहीं है । इस पर तो आप पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं कि सारी कार्यवाही को रोक कर पहले इस विषय पर चर्चा होगी । इसलिये श्री खान गुफरान जाहिदी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, यह उठना ही नहीं चाहिये ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, दो तारीख को माननीय स्वर्गीय अक्षयवर मल्ल की मृत्यु के संबंध में जब यहां पर चर्चा हुई थी तो माननीय नेताओं ने अपना भाषण उस विषय पर प्रारम्भ कर दिया था और इस मसले की गम्भीरता को देखते हुए उस दिन आपने सही निर्णय लिया और नियमों का निलम्बन करके आपने इस विषय को यहां पर उठाने की अनुमति दी थी । माननीय कल्यान सिंह जी इस पर बोल भी रहे थे किन्तु अवरोध वहां उत्पन्न हुआ कि जब मा0 कल्यान सिंह जी ने बोलते हुए कहा कि इतनी गम्भीर चर्चा के समय सदन में मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री मौजूद नहीं हैं, उनकी उपस्थिति में यह बात होनी चाहिये । इस पर अवरोध हुआ और सदन स्थगित कर दिया गया । दूसरे दिन भी जब मुख्य मंत्री जी नहीं आये सदन में तब भी वह अवरोध बना रहा । आज सौभाग्य से मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं, इसलिये नया कोई निर्णय उसके बाद से नहीं लिया गया है, जहां कार्यवाही रुकी थी मुख्य मंत्री जी के आगमन के लिये, अब वे आ गये हैं, अब आप उस विषय को सुनिये । मा0 अक्षयवर मल्ल की हत्या से सब लोग दुखी हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी दुखी हैं, आपको कोई नया निर्णय नहीं लेना है, जब निर्णय आपने ले लिया और सर्वसम्मत से उसको माना गया तो अब आप इस सिलसिले में मा0 कल्यान सिंह के भाषण से आरम्भ करिये क्योंकि उस दिन बीच में उनका भाषण रोक दिया गया था मुख्य मंत्री जी के आने के संबंध में । इसलिये पहले आप माननीय सिंह को सुनिये, उसके बाद और लोगों की भी सुनिये और बाद में मुख्य मंत्री जी को सुनिये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि साईमन के बहिष्कार कमीशन ने जवाहर लाल जी पर हमला किया तो स्वर्गीय पंत जी ने उनके जीवन की रक्षा की थी और उस हमले का असर उन पर इतना हुआ कि पंत जी जीवन भर उसके कारण अशक्त हो गये ।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मुलायम सिंह जी, जीरो आवर में अब कितनी देर है ? आपको जीरो आवर में मौका दिया जायेगा, अभी प्रश्नकाल निलम्बित नहीं किया गया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मुझे मौका दीजिये इस पर बोलने के लिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको पूरा मौका दूंगा । मैं प्रश्नकाल को निलम्बित नहीं कर सकता । नियमों को और अब मैं निलम्बित नहीं कर सकता ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपके चेम्बर में पहले ही तय हो गया था कि 7 तारीख को जब मुख्य मंत्री जी आ जायेंगे तो इस पर चर्चा होगी । उस समय मा0 संसदीय कार्य मंत्री भी थे और सरकार के और भी मंत्री लोग थे । मेरी अब थोड़ी सी ही बात रह गयी है, आप मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आपको पूरा मौका मिलेगा । नत्थी (क), प्रश्न संख्या-1 श्री माता प्रसाद पाण्डेय ।

(श्री शारदानंद अंचल तथा अन्य विरोध पक्ष के सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 रेवती रमण सिंह जी आप क्यों खड़े हैं ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर आपने कृपा पूर्वक दो दिन पहले जब यह चर्चा के रूप में एक प्रश्न बड़े उद्वेलित रूप में उठा था तो उस समय आपने इस सदन की कार्यवाही को निलम्बित कर स्थिति को देखते हुए हम लोगों को सुन लिया था, परन्तु उस दिन मा0 मुख्य मंत्री जी थे नहीं, आज आ गये हैं, परन्तु मान्यवर स्थिति जो उस दिन थी, आज भी वही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, (शोर)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

"जीरो आवर" में कुछ ही समय और रह गया है, इसको हो जाने दीजिए फिर आप अपनी बात रखें, यह अभी उचित नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर आज कोई नई बात नहीं पैदा हुयी है, उसी पूर्व स्थिति और पूर्व निर्णय जो आपने उस दिन दिया था, वही आज भी बात चल रही है, इसलिए इस पर कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है, उसी पूर्व निर्णय के अनुसार आप कार्यवाही चलाइए और आज भी उसी के अनुसार "जीरो आवर" को निलंम्बित कर दीजिए ताकि इससे स्थिति का निस्तारण हो सके ।

(श्री राम चन्द्र बख्श के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 रामचन्द्र बख्श सिंह जी अब आप क्यों खड़े हैं, जबकि आपके नेता बोल चुके हैं, कृपया बैठिए, कृपया काम को आगे बढ़ने दें ।

(व्यवधान)

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, वह यह कि प्रश्नोत्तर काल में लोग व्यवस्था पर किस प्रकार से बोल रहे हैं ? ऐसा नियमों में कहीं पर नहीं है और यह आप एक नई परम्परा डाल रहे हैं ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर आप प्रश्नोत्तर काल को तो निलंबित कर ही चुके हैं, अब प्रश्नोत्तर-काल के निलंबन का प्रश्न नहीं है, क्योंकि इस पर तो आपके पहले ही आदेश हो चुके हैं, कार्यवाही तो उसी निर्णय के अनुसार चल रही है और वैसे भी 12 बज ही रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने पूर्व आदेशों का पालन करवाइए इन लोगों से ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग निलंबन के प्रश्न को उस रोज लाए, एक मिनट के अंदर हमने उस दिन की आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए, घटना को देखते हुए, स्वीकार कर लिया था, वैसे होना यह चाहिए था कि उसे हाउस के सामने लाते और सदन उसकी स्वीकृति देता, मगर हमने भावनाओं को देखते हुए नियमों को निलंबित करते हुए उसे ले लिया था । लेकिन अब उसी प्रकार से रोज निलंबन हो, यह एक परम्परा पड़ जायेगी जो मुनासिब न होगा और अब "जीरो आवर" के खत्म में देर ही कितनी रह गयी है ? इसलिए आप लोगों से बड़ी नम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि इसको चलने दें । लगभग 20 मिनट बाद फिर इसे उठावें ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, केवल एक मिनट में कहूंगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं उसे शिरोधार्य करूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

(हंसकर) मा0 तिवारी जी आप तो हमारे पुराने सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह सही है कि उस दिन नियमों को निलम्बित किया गया था और मान्यवर यह भी सही है कि एक उपवेशन के लिए दी गयी रूलिंग, अगर आप टेक्निकली देखेंगे, तो वह लागू नहीं होगी, वहीं पर यह सही है कि स्थिति की गम्भीरता से दोनों पक्ष अवगत हैं। अब इस समय 12 बजे हैं, एक घन्टे का समय चला गया है। 20 मिनट बाकी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जब सारे लोग मानते हैं कि मल की जो मृत्यु हुई, लाठी चार्ज से, वह 50 वर्ष के इतिहास में पहली घटना है। उसकी गम्भीरता से लेना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि सदन क्यों नहीं चला, मुख्य मंत्री जी थे नहीं जायज था या नाजायज था, संयुक्त उत्तर-दायित्व की बात थी या नहीं चर्चा में सारी बातें आ जायेंगी, लेकिन मान्यवर बीस मिनट तक गति अवरोध रहे, उससे सदन की भावना को देखते हुए और मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं जो गतिरोध था वह भी समाप्त हो गया है । तो इसको अब समाप्त करें और नियमों को निलम्बित करके मामले को ले लें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप प्रश्न-काल को निलम्बित न कर दें तब तक एजेन्डा के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। इस समय प्रश्नकाल चल रहा है और मेरा निवेदन है कि आपने प्रश्न संख्या 2 इस समय पुकारा है और अशोक बाजपेयी जी का वह प्रश्न है। तो एजेन्डा के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए और उसका अनुपालन होना चाहिए। प्रश्नकाल के समय का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष–

मत्थी (क) प्रश्न सं0 1

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ग्रामीण अंचलों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को अनिवार्य चिकित्सा सेवा लागू करने की मांग

**1–श्री माता प्रसाद पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अंचलों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा लागू करने पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक इसे कार्य रूप दे दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

जी नहीं, शेष प्रश्न नहीं उठता।

हार्टिको द्वारा आर्थिक एवं भौतिक स्थिति से उभरने हेतु विकल्प का प्रस्तुतिकरण

**2–श्री सरदार सिंह–

क्या कृषी मंत्री की जानकारी में है कि हार्टिको के अधिकारियों ने लगातार हो रहे घाटे के कारण हार्टिको को बन्द करने की सबल संस्तुति की है? यदि हां, तो क्या शासन हार्टिको को बन्द कर रहा है? क्या मंत्री जी घाटे का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह)–

हार्टिको के अधिकारियों ने हार्टिको की आर्थिक एवं भौतिक स्थिति का विस्तृत विवरण देते हुए कठिन वित्तीय स्थिति से उभरने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में विकल्प प्रस्तुत किये हैं।

जी नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यू0 पी0 हार्टिकाॅ के घाटे का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–,

क्रमांक	वर्ष	हानि (लाख रुपये में)
1.	1978-79	23.53
2.	1979-80	30.37
3.	1980-81	34.57
4.	1981-82	38.99
5.	1982-83	35.24 (अनुमानित)
6.	1983-84	40.57 ,,
7.	1984-85	49.30 ,,
8.	1985-86	68.83 ,,
9.	1986-87	103.60 ,,
10.	1987-88 (30-11-1987 तक)	73.98 ,,
	योग–	498.98

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

हिल कैडर में नियुक्त दृष्टिहीन प्रवक्ताओं को आवासीय व्यवस्था

*1–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग द्वारा दृष्टिहीन प्रवक्ताओं को भी हिल कैडर में राजकीय इण्टर कालेजों में नियुक्त किया गया है तथा उन्हें आवासीय सुविधा नहीं दी गयी है? यदि हां, तो दृष्टिहीन प्रवक्ताओं को हिल कैडर में रख कर पर्वतीय क्षेत्र में नियुक्त करने तथा आवासीय सुविधा न देने का क्या औचित्य है? क्या मंत्री जी दृष्टिहीन प्रवक्ताओं को हिल कैडर से हटा कर उनके गृह जनपदों में नियुक्ति प्रदान करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

जी हां।

आवासीय भवन की उपलब्धता के अनुसार प्रवक्ताओं को आवासीय सुविधा दी जाती है।

रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र/संवर्ग में नियुक्तियां की गयी हैं।

आवासीय सुविधा भवन की उपलब्धता के आधार पर दी जाती है।

नियमान्तर्गत संवर्ग से बाहर स्थानान्तरित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नयी शिक्षा नीति लागू करने का समय एवं प्रारूप

*2–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 शासन प्रदेश में नयी शिक्षा नीति लागू करने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो नयी शिक्षा नीति का प्रारूप क्या है? इस नीति को प्रदेश में कब से अमल में लाया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 की प्रति संलग्न है†।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 को अमल में लाने की दिशा में गत सत्र से ही प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के अनुसार नील गायों की सुरक्षा

*3–श्री बदन सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियमाधीन प्रदेश में नील गायों का बध करना निषिद्ध है? यदि हां, तो कृषि में नील गायों द्वारा भारी हानि को देखते हुए नील गाय पर लगे प्रतिबन्ध को शासन हटायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार नील गायों का बिना अनुमति प्राप्त किये बध करना निषिद्ध है।

कृषि फसलों के सुरक्षार्थ जिलाधिकारी की अनुमति लेकर उन्हें नष्ट किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

[सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बाराबंकी को शासन द्वारा धूम रहित चूल्हे के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि एवं निर्माण कार्य

*2–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी को वर्ष 85-86 में धुआं रहित चूल्हों के निर्माण हेतु शासन द्वारा कितना धन दिया गया था? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद में विकास खण्ड अधिकारियों द्वारा स्थानीय बाजार से रद्दी माल खरीदा गया जिसके कारण कहीं पर भी धुआं रहित चूल्हे नही बन सके ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जनपद में कहां-कहां पर धुआं रहित चूल्हों का निर्माण हुआ तथा क्या वह काम कर रहे हैं?

†छापी नही गयी ।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

जनपद बाराबंकी में वर्ष 1985-86 में धूम्र रहित चूल्हे के निर्माण हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा रु0 5,73,500 का आवंटन किया गया था। चूल्हों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता के विषय में कोई शिकायत जिलास्तर पर प्राप्त नहीं हुई है। विकास खण्ड बंकी एवं मवाई में 4781 चूल्हों का निर्माण किया गया है जिसका विवरण संलग्न है। यह चूल्हे संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 127 पर)

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा नलकूपों/हैण्डपम्पों हेतु स्थल चयन में सिविल अभियन्ताओं का योगदान

*3–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा नलकूपों/हैण्डपम्पों हेतु स्थल चयन में सिविल अभियन्ताओं का कोई योगदान है? क्या यह सही है कि सिविल अभियन्ता द्वारा जनपद झांसी में दी गयी साइटें असफल हो गयी हैं? यदि हां, तो उसमें शासन का कितना वित्तीय नुकसान हुआ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, किन्तु यह योगदान आंशिक ही रहा है। इस विभाग द्वारा झांसी जनपद में जो साइटें अब तक बोरिंग के लिए नलकूपों/हैण्डपम्पों हेतु अन्य विभागों को उपलब्ध कराई गई हैं उनमें से कुछ साइटें असफल रहीं।

जनपद झांसी, बुन्देलखण्ड क्षेत्र का पठारी एवं भूगर्भीय जल स्थिति दृष्टिकोण से समस्याग्रस्त जनपद है, जहां भूगर्भ जल की उपलब्धता अत्यन्त संदिग्ध एवं अनिश्चित है। ऐसे क्षेत्रों में बोरिंग हेतु स्थल चयन का कार्य एक दुरूह अनुसंधान कार्य है, जिसमें भूगर्भ जल उपलब्धता का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। भूगर्भ जल की अपेक्षाकृत सही उपलब्धता हेतु यथार्थ में हाइड्रोलोजिकल सर्वे के अलावा जियो-फिजिकल, रिमोट सेन्सिंग, फोटोजियोलोजिकल व अन्य नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिन सबका विभाग में यथासम्भव उत्तरोत्तर विकास किया जा रहा है। इन्हीं उपरोक्त कारणवश यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि कितनी बोरिंग यथार्थ में असफल रही अथवा शासन का कितना वित्तीय नुकसान निहित रहा।

प्रदेश में लम्बी अवधि तक कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को शासन द्वारा प्रशिक्षण की छूट

*4–श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दस या दस वर्ष से अधिक की सेवा वाले उन अध्यापक/अध्यापिकाओं को जो बी0 टी0 सी0/एल0 टी0 प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हैं, को अधिक लम्बी अवधि की सेवा को देखते हुए एल0 टी0 ट्रेनिंग से छूट प्रदान करने का कोई प्राविधान है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों से उपरोक्तानुसार कितने अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को एल0 टी0 तथा बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण से छूट शासन स्तर से प्रदान की गयी?

श्री सिब्ते रजी–

बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण से मुक्ति देने के लिए शिक्षा विभाग के नियमों में कोई प्राविधान नहीं है परन्तु प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की लम्बी सेवाओं को देखते हुए शासन द्वारा अब तक दस वर्ष या उससे अधिक की सेवा वाले मान्यता प्राप्त गैर सरकारी जूनियर हाई स्कूलों के अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों/अध्यापिकाओं तथा सहायता प्राप्त कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों (कन्या) से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों की अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को निम्नानुसार प्रशिक्षण से छूट प्रदान की गई है :–

(1) शासनादेश सं0 2186/15(13)-1499(8) 77 दिनांक 20 जुलाई, 1979 द्वारा गैर सरकारी जूनियर हाई स्कूलों के अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को जिन्होंने 30 जून, 1978 को दस वर्ष अथवा दस वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी, बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण से छूट प्रदान की गई।

(2) शासनादेश सं0 256/15(13)1499(8) 77 दिनांक 29 मार्च, 1985 के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषदीय, विद्यालयों के ऐसे अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों/अध्यापिकाओं को जिन्होंने दिनांक 30 जून, 1984 को दस वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली थी, बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण से छूट प्रदान की गई।

(3) शासनादेश सं0 450/15(13)-1499(8)/77 दिनांक 5 जून, 1987 द्वारा सहायता प्राप्त कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/कन्या इण्टर कालेजों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत ऐसी अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को जिन्होंने 30 अप्रैल, 1987 को दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान की गई।

एल0 टी0 प्रशिक्षण से मुक्ति माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की मान्यता समिति द्वारा इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा 16(ई) में उल्लिखित परिषद् नियम संग्रह के अध्याय 7, विनियम 2(3) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को विहित न्यूनतम अर्हता से छूट प्रदान करने के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ही प्रदान की जाती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की मान्यता समिति द्वारा विगत 5 वर्षों में 25 अध्यापकों को एल0 टी0 प्रशिक्षण से छूट प्रदान की गयी है।

शासन स्तर से अभी तक एल0 टी0 प्रशिक्षण से किसी अध्यापक/अध्यापिका को मुक्ति प्रदान नहीं की गई है।

जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में वृक्षारोपण के संबंध में कथित अनियमितता की जांच

*5—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक के गांव सभा रानीपुर मोहन तथा पीठापुर सरैया में वर्ष 1986 में कागज पर ब्लाक के अधिकारियों द्वारा हजारों पेड़ों का वृक्षारोपण दिखाया गया है जबकि मौके पर एक भी पेड़ नहीं लगे हैं ? क्या यह सही है कि सामाजिक वानिकी द्वारा ब्लाक भीटी में भी ब्लाक अधिकारियों की साजिश और सहयोग से बड़े पैमाने पर इस प्रकार का घपला किया गया है ? यदि हां, तो दोनों ब्लाकों में मौके की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने और भविष्य में इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वृक्षारोपण किया गया था असफल हो गया है ।

वृक्षारोपण किया गया था कुछ क्षेत्र असफल हो गया है ।

जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा जांच करवाई जा रही है दोषी को दण्डित किया जायेगा ।

नव निर्मित भवन में बेसिक प्राइमरी पा0 जमुनीपुर (वाराणसी) का पठन-पाठन

*6—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद वाराणसी के विकास खण्ड हरदुआ के अन्तर्गत जमुनीपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बे0 प्रा0 पा0 के लिए ग्राम सभा द्वारा निर्मित कराए गये भवन के होते हुये भी यह पाठशाला खुले आकाश के नीचे चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त भवन में फर्जी इण्डाउमेन्ट पर मान्यता प्राप्त करके अनधिकृत रूप से जबरदस्ती कब्जा कर कुछ लोग व्यक्तिगत विद्यालय चला रहे हैं ? यदि हां, तो फर्जी मान्यता देने वाले अधिकारी एवं जबरदस्ती कब्जा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े जिले एवं साक्षरता की योजना नीति

*7—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक पिछड़े अर्थात जिनमें साक्षरता सबसे कम है पांच जिले कौन-कौन से हैं ? क्या मंत्री जी इन जिलों में शिक्षा के अधिक प्रसार हेतु आगामी पांच वर्ष में विशेष धनराशि का आवंटन जो सामान्य योजना मद के अतिरिक्त हो करके नए विद्यालयों की स्थापना करेंगे ? यदि हां, तो कितनी धनराशि तथा कितने नए विद्यालय आवंटित किए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रदेश के पांच जनपद, अर्थात बहराइच, बदायूं, गोण्डा, रामपुर तथा लखीमपुर खीरी साक्षरता के दृष्टिकोण से सबसे पिछड़े हुए हैं ।

साक्षरता प्राथमिक शिक्षा से प्रारम्भ होती है जो जिला योजना के अन्तर्गत है । इसके लिये योजना परिव्यय का आवंटन जिला समितियों के द्वारा किया जाता है । है । जिला समितियों द्वारा किये जाने वाले प्राविधान के अनुसार ही नये विद्यालयों की स्थापना की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*8–श्री पूरन सिंह गाहरा–

[7वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*9–श्री मैनेजर सिंह–

[6वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की नीति

*10–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के सिलसिले में शासन की क्या नीति है?

श्री सिब्ते रजी–

माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की नीति उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–19 सन् 1985) द्वारा दिनांक 23-8-85 को प्रख्यापित की जा चुकी है।

कुमाऊं तथा गढ़वाल मण्डल के पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों को क्षति से बचाने का उपाय

*11–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि कुमाऊं तथा गढ़वाल मण्डल के पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्ष के तने में ढाई फिट लम्बी तथा डेढ़ इंच गहरी तीन नालियां खोद कर लीसा निकालने का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित है परन्तु इसके विपरीत अधिक गहरी और अधिक लम्बी नालियां खोदी जा रही हैं जिससे पूरा लीसा तने से नकल जाता है और पेड़ कमजोर होकर गिर जाता है? यदि हां, तो वनों को बचाने के लिए क्या सरकार लीसा निकालने पर दस वर्ष के लिए पाबन्दी लगाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

कभी कभी मेटों द्वारा लापरवाही से काम करने के कारण निर्धारित गहराई से अधिक गहरे घाव बनाये जाते हैं। इस प्रकार के गहरे घावों से वृक्षों को क्षति पहुंचती है, जिससे आंधी में ऐसे वृक्षों के गिरने की सम्भावना अधिक हो जाती है।

वर्ष 1986 से लीसा टिपान हेतु परम्परागत वसूले के बजाय क्षतिमुक्त वसूले का उपयोग आरम्भ कर दिया गया है। इस वसूले के उपयोग से नाली की गहराई अधिक नहीं होने पाती है।

चीड़ वृक्षों को गहरे लीसा घावों के कारण हो रही क्षति से बचाने के लिए उपरोक्त उपाय को ध्यान में रखते हुए दस वर्ष के लिए लीसा निकालने पर पाबन्दी लगाने की आवश्यकता नहीं है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुघरावली, बुलन्दशहर को परीक्षा केन्द्र बनाने की मांग

*12–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुघरावली, विकास खण्ड ऊंचागांव, जनपद बुलन्दशहर में परीक्षा केन्द्र बनाया जाये, के स्पष्ट आदेश मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 22-12-87 को दिए गए थे? यदि हां, तो मुख्य मंत्री जी के आदेश सी0 एम0-(वि0 को) एम0-4/1169/32/म/87 का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए उपरोक्त संस्था में क्षेत्रीय बालक-बालिकाओं की सुविधा हेतु तत्काल परीक्षा केन्द्र निर्धारित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

जी नहीं।

उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाना इसलिए सम्भव नहीं हो सका क्योंकि वर्ष 1987 में परीक्षा केन्द्र के रूप में इस विद्यालय के विरुद्ध परीक्षा में अनियमितता बरतने एवं परीक्षार्थियों से अनुचित धन लेने की शिकायतें प्राप्त हुयी थीं। इस विद्यालय के हाई स्कूल संस्थागत छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र मात्र 05 कि0 मी0 की दूरी पर जी0 एस0 ए0 इण्टर कालेज नरसैना, बुलन्दशहर को बनाया गया है। हाई स्कूल/इण्टर की व्यक्तिगत बालिकाओं को बालकों के साथ ही मात्र 08 कि0 मी0 की दूरी पर एन0 एस0 हा0 से0 स्कूल, दरावर बुलन्दशहर परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित किया गया है। अतः दूरी की दृष्टि से बालक/बालिकाओं को कोई असुविधा नहीं है। अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

*13–श्री कृष्ण कुमार–

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

*14–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–
[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

*15–डा0 शिवानन्द नौटियाल–
[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत चपरासियों को समयमान वेतन देने का प्रस्ताव

*16–श्री राज किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अंतर्गत जूनियर हाई स्कूलों में सहचर (चपरासी) के पद कार्यरत कर्मचारियों और जिला परिषद् हाईस्कूल इण्टरमीडिएट कालेज में उक्त पद पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान एक समान हैं? यदि हां, तो क्या जिला परिषद् के हाईस्कूल इंटरमीडिएट कालेज में कार्यरत सहचरों (चपरासियों) की भांति भविष्य निधि, सालाना वेतनवृद्धि व पेन्शन आदि की सुविधायें बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत चपरासियों (सहचरों) को भी दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त सुविधायें कब तक प्रश्नगत श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों को रु0 305 प्रति माह नियत वेतन दिया जा रहा है ।

नियत वेतन रु0 305 प्रति माह पाने वाले कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य समस्त चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों का भविष्य निधि, वार्षिक वेतन वृद्धि व पेंशन की सुविधा दी जा रही है ।

नियत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समान समयमान वेतनमान दिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति को संदर्भित कर दिया गया है ।

वन विभाग में सीजनल कार्मिकों के वेतन मान सम्बन्धी आदेश

*17–श्री हर्षवर्धन–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन परिस्थितियों में वन विभाग में कार्यरत वाचर, ठूंट मुंशी तथा बैरियर मोहर्रिरों को प्रतिमाह 275 रुपये वेतन दिया जाता है ? क्या यह सही है कि यह दर प्रदेश में लागू न्यूनतम मजदूरी की सभी श्रेणी की दरों से भी कम है ? क्या सरकार इन कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी की सीमा के अंतर्गत वेतन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वन विभाग में सीजनल कार्मिकों जैसे वाचर, खूंट मुंशी तथा बैरियर मुहर्रिर को शासनादेश संख्या जी-2-1192/दस-303-78 दिनांक 26 दिसम्बर, 1986 द्वारा जिला मुख्यालय पर शासन द्वारा स्वीकृत रु0 300 प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों पर रु0 275 प्रतिमाह या बाजार दर से मजदूरी जो भी इन दोनों में से कम हो भुगतान किये जाने के आदेश हैं । जिला मुख्यालय के बाहर यह मजदूरी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम है । वन विभाग में कार्यरत वाचर, खूंट मुंशी तथा बैरियर मोहर्रिर के पद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, अतः न्यूनतम मजदूरी की सीमा के अंतर्गत वेतन दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*18–श्री रमाकान्त मिश्र–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

*19–श्री बैजनाथ–

[दिनांक 29-2-88 को ता0 प्र0 सं0 9 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास

*20–श्री अमिताभ अनिल दुबे–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र सरकार की नयी शिक्षा नीति के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी क्या राय दी है? क्या सरकार आर्थिक रूप से तथा प्रशिक्षण व प्रशिक्षित अध्यापक के उपलब्ध होने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार नयी शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने में सक्षम है?

श्री सिब्ते रजी–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "शिक्षा की चुनौती" विषयक दस्तावेज पर विचार करने के लिए राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी 1 नवम्बर से 3 नवम्बर, 1985 तक लखनऊ में आयोजित की गई। इस गोष्ठी की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजा गया।

उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का अनुदान हेतु आवेदन पत्र एवं शासन को योजना

1–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वर्ष 87-88 में कितने पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा कितने हाई स्कूल अनुदान की सूची में लाने के लिए शासन में आवेदन पत्र हुए हैं और उनमें से कितने विद्यालय बलिया जनपद के हैं? क्या सरकार शैक्षणिक प्रगति को दृष्टि में रखते हुए प्रदेश के सम्पूर्ण अनुदान की मांग करने वाले विद्यालयों को लाभान्वित कराने जा रही है? यदि नहीं, तो वर्ष 1987-88 में प्रदेश के कितने-कितने विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने की योजना है?

श्री सिब्ते रजी–

वर्ष 1987-88 में अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने हेतु शिक्षा निदेशालय में 97 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें एक विद्यालय जनपद बलिया का है।

अशासकीय हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लेने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित नहीं हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त मान्यता पत्र के तिथि की वरीयता क्रम के अनुसार अनुदान सूची पर लिया जाता है। दिसम्बर, 1986 तक मान्यता प्राप्त 420 बालक तथा 31 बालिका विद्यालयों में बलिया जनपद के 6 बालक तथा 1 बालिका कुल 7 विद्यालय हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्प्रति सम्भव नहीं है। वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में प्रश्नगत नये विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण किसी भी विद्यालय को अनुदान सूची पर लिया जाना सम्भव नहीं है।

उ0 प्र0 नियोजन एवं विकास कार्मिक संघ के प्रतिनिधि मण्डल का ज्ञापन तथा कार्यवाही

2–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9-12-84 को नियोजन एवं विकास कार्मिक संघ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मण्डल व तत्कालीन मंत्री पंचायती राज व ग्राम विकास उत्तर प्रदेश के बीच कोई लिखित समझौता हुआ था? यदि हां, तो समझौता क्या था और उस संबंध में क्या निर्देश दिये गये थे? क्या ग्राम्य विकास निदेशालय पर उक्त निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन दोषी है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं। दिनांक 9-12-84 को नियोजन एवं विकास कर्मिक संघ, उ0 प्र0 के प्रतिनिधिमण्डल ने ग्राम्य विकास मंत्री से मिलकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

उक्त ज्ञापन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में यथोचित कार्यवाही की जा चुकी है। अतएव दोष निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय के आडिट रिपोर्ट द्वारा अनियमितता बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

3–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1985 में तत्कालीन अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय का स्पेशल आडिट कराये जाने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो क्या स्पेशल आडिट कराया गया?, स्पेशल आडिट अथवा आडिट रिपोर्ट के प्रत्येक भाग की अलग-अलग कार्यवाही पूर्ण हो गयी है तथा इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये? यदि आडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है तो विभाग में कार्यरत कौन-कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं? कब तक कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

जी हां।

आडिट रिपोर्ट के प्रत्येक भाग पर आवश्यक कार्यवाही की गई है। अन्ततः सात वाहन चालकों, सर्वश्री सहदेव प्रसाद शुक्ला, सुन्दर लाल शुक्ला, भरत सिंह, सब्बीर हसन, नादिर खां, गुलाम मोहम्मद एवं राम स्वरूप के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण करके उन्हें दण्डित किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त सर्वश्री बाबूराम गुप्ता, सेवा निवृत्त अधीक्षक ग्रेड–1, आगा रईस, मोहम्मद, सहायक लेखाकार व आर0 बी0 सिंह कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। चूंकि आडिट रिपोर्ट काफी विस्तृत है अतः इसके अनुपालन में समय लगना अपरिहार्य है। ऐसी दशा में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता।

आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय में सहा0 आयुक्त एवं उपायुक्त के पदों पर नियमानुकूल नियुक्ति

4–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय में सहायक आयुक्त (मु0) एवं उपायुक्त (मु0) का पद क्रमशः आई0 ए0 एस0 एवं पी0 सी0 एस0 कैडर का पद है ? यदि हां, तो खण्ड विकास अधिकारी सम्वर्ग के अधिकारी किस प्रकार इन पदों पर कार्यरत हैं? क्या कोई शासनादेश इस संबंध में जारी हुआ है? यदि हां, तो आदेश संख्या व दिनांक कृपया बतायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं। आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय के उप आयुक्त (मु0) एवं सहायक आयुक्त (मुख्यालय) क्रमशः आई0 ए0 एस0 एवं पी0 सी0 एस0 संवर्ग के पद नहीं हैं। वर्तमान में इन दोनों पदों पर खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग के अधिकारी नियमानुकूल कार्यरत हैं। प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती यशोधरा रानी, संस्कृत प्रवक्ता, महिला विद्यालय इण्टर कालेज सती कुण्ड कनखल हरिद्वार, सहारनपुर को सेवा में रखने हेतु आदेश

5–श्री महाबीर सिंह राणा–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती यशोधरा रानी, संस्कृत प्रवक्ता, महिला विद्यालय इंटर कालेज, सती कुण्ड, कनखल, हरिद्वार जिला सहारनपुर को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 13 अक्तूबर, 1987 को, उन्हें सेवा में रखने का आदेश हुआ है? यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

उक्त कालेज में प्रवक्ता का कोई पद रिक्त न होने के कारण इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 ड. के अन्तर्गत समायोजन हेतु मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ को शिक्षा निदेशक द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा लखीमपुर खीरी द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की अनियमित नियुक्ति एवं स्थानान्तरण

6–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0 प्र0, लखनऊ के पत्रांक 4663/ग्रा0-अ0 से0/स्था0/अन्य-3/नियुक्ति/86–87 दिनांक 20-6-1986 द्वारा स्पष्ट आदेश जारी करने के बावजूद कि "कनिष्ठ-लिपिकों" की नियुक्तियां अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा न की जायेगी इसके बाद भी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी द्वारा किन परिस्थितियों में कनिष्ठ-लिपिकों के पद पर नियुक्तियां की गयीं जबकि मुख्य लिपिक का पद रिक्त था? क्या नियुक्तियों में अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-लखीमपुर-खीरी द्वारा उ0 प्र0 सरकार, कार्मिक अनुभाग–2, संख्या 20-7-87 कार्मिक–2, लखनऊ दिनांक 8 सितम्बर, 1986 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उ0 प्र0 लखनऊ के पत्रांक–4663/ग्रा0 अ0 से0/अन्य-3/नियु0/86-87, दिनांक 28-6-86 द्वारा समूह "ग" लिपिक वर्ग में नियुक्त न करने के निर्देश दिये गये थे। अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लखीमपुर खीरी द्वारा माह फरवरी, 1987 में दो कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियां अल्पकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्णतया तदर्थ/अनन्तिम रूप से वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद एवं एक अन्य रिक्त पद के विरुद्ध कार्यहित में की गयी थी। इन नियुक्तियों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था जिसके कारण नियुक्ति प्राधिकारी को चेतावनी दे दी गयी है तथा प्रकरण में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

7–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त नियुक्त कर्मचारी किस जनपद के हैं तथा इनका स्थानान्तरण जनपद सीतापुर में इतनी जल्दी किन परिस्थितियों में तथा किसके स्तर से किया गया है? अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड-सीतापुर ने पत्रांक-5178/ग्रा0 अ0 से0/स्था0/86-87 दिनांक 10-3-1987 एवं पत्रांक-16/ग्रा0 अ0 से0/स्था0/87-88 दिनांक 2-4-1987 द्वारा "कनिष्ठ-लिपिक" के पद पर नियुक्ति हेतु मांगी गई स्वीकृति क्या उपलब्ध करा दी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रार्थना-पत्रों में दिये गये पते के अनुसार श्री दीन बन्धु जनपद लखीमपुर खीरी तथा श्री शीतला प्रसाद भारतीया जनपद जौनपुर के निवासी हैं। दोनों लिपिकों का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध पर परिमंडल स्तर से किया गया है। चूंकि रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति स्थानान्तरण द्वारा कर दी गयी थी, अतः प्रखण्ड सीतापुर को नियुक्ति हेतु स्वीकृति उपलब्ध कराने का कोई प्रश्न ही नहीं रहा।

श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, विज्ञान शिक्षक जू0 हा0 स्कूल पुखरायां, कानपुर देहात के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

8–श्री अचल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री योगेन्द्र पाल सिंह, एडवोकेट ब्लाक प्रमुख अमरोधा जनपद कानपुर देहात का श्री जी0 एस0 खरे बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात को सम्बोधित, श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी विज्ञान शिक्षक जू0 हा0 स्कूल पुखराया जनपद कानपुर देहात के विद्यालय विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने संबंधी शिकायती पत्र दिनांक 14-8-87 क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों श्री लाखन सिंह, श्री प्यारे लाल अध्यक्ष जिला हरिजन एवं विकास समिति कानपुर श्री राधाकृष्ण दीक्षित, मंत्री, नगर कांग्रेस कमेटी के संलग्नकों सहित उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई जो जांच में प्रमाणित नहीं हुए।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कैलाश नाथ स0 अ0 जूनियर हाई स्कूल पुखरायां, (कानपुर देहात) का कथित पत्र

9–श्री अचल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे श्री कैलाश नाथ स0 अ0 जूनियर हाईस्कूल पुखराया जनपद कानपुर देहात का उप विद्यालय निरीक्षक कानपुर को सम्बोधित पत्र दिनांक 19-3-84 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्न में संदर्भित माननीय सदस्य का पत्र उप विद्यालय निरीक्षक, कानपुर को प्राप्त नहीं हुआ

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कतिपय विकास खण्डों का पुनः परिसीमन करने की मांग

10—श्री शारदा प्रताप—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड सरोजनीनगर, काकोरी, बख्शी का तालाब, चिनहट का पुनः परिसीमन किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं । विकास खण्ड सरोजनी नगर, काकोरी, बख्शी का तालाब, एवं चिनहट का पुनः परिसीमन कराने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र समितियों का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव फिलहाल विकास खण्डों का परिसीमन सम्भव नहीं है।

11—12—श्री रमाकान्त यादव—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद फैजाबाद के कामता प्रसाद सुन्दर लाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वनस्पति विभाग में एम0 एस-सी0 कक्षायें चलाने की अनुमति

13—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कामता प्रसाद सुन्दर लाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान में एम0 एस-सी0 की कक्षायें चलाने की अनुमति शासन द्वारा जुलाई, 86 से मिली थी जबकि विद्यालय में में उक्त कक्षायें वर्ष 1985 से ही चालू कर दी गयी थीं ? क्या यह सही है कि इसी कारण से उक्त विषय में एम0 एस-सी0 में वर्ष 1985 में भर्ती किये गये छात्रों का परीक्षाफल रोक दिया गया था परन्तु वर्तमान कुलपति ने विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा राजाज्ञा का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए उसे घोषित करा दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर सही कारणों का पता लगाने और इस भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

एम0 एस-सी0 वनस्पति विज्ञान में शासन द्वारा क्लियरेन्स शासनादेश दिनांक 29-8-85 द्वारा प्रदान की गई थी और इस विषय में अस्थायी सम्बद्धता कुलाधिपति महोदय द्वारा 1-7-86 से प्रदान की गई है।

जी हां ।

जी हां । विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचनानुसार कालेज द्वारा छात्रों का प्रवेश शासन द्वारा प्रदत्त क्लियरेन्स के आधार पर 1985-86 में ही कर लिया गया था । छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुये विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति एवं कार्य परिषद् के निर्णय के अनुसार इन छात्रों की परीक्षा आयोजित की गई और परीक्षाफल घोषित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री परमहंस सिंह, प्रधानाचार्य, अशोक इण्टर कालेज, रामपुर कारखाना जिला देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

14—श्री राज बहादुर—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोक इण्टर कालेज, रामपुर कारखाना, जिला देवरिया के उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध कथित शिकायतों की जांच संस्था के मैनेजर द्वारा करायी गयी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कथित शिकायतों की अब शासन उच्च स्तरीय जांच करायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जांच के फलस्वरुप वर्तमान प्रधानाचार्य श्री परमहंस सिंह दोषी नहीं पाये गये । अतएव उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 शासन द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजन पर रोक

15—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजन पर रोक लगाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उक्त रोक को समाप्त करेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

वर्तमान समिति वित्तीय संसाधनों के कारण व्यय में मितव्ययता की दृष्टि से आयोजनेत्तर पक्ष के पदों का सृजन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ।

सम्मति नहीं ।

16—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद देवरिया के कन्या क्रमोत्तर पाठशाला बांकी को कन्या जूनियर हाई स्कूल में परिवर्तित किए जाने संबंधी पत्र व्यवहार

17—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्रमोत्तर पाठशाला बांकी, विकास खण्ड व जनपद देवरिया को कन्या जूनियर हाई स्कूल में परिवर्तित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-9-1987 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर शासन स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

कन्या क्रमोत्तर पाठशाला बांको विकास खण्ड देवरिया को कन्या जूनियर हाई-स्कूल में परिवर्तित करने हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया को दिनांक 18 जनवरी, 1988 को भेजा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

18–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों का दूसरी नगरपालिका से स्थानान्तरण निषिद्ध

19–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों का एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका में स्थानान्तरण निषिद्ध है ? यदि हां, तो वर्तमान परिस्थितियों में जब हर गली मुहल्ले में प्राइवेट संस्थाएं खोली जा रही हैं और परिषदीय विद्यालयों में निरन्तर छात्र संख्या घट रही है क्या मंत्री जी इस निषिद्धता को हटाने हेतु अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में सुदृढ़ीकरण की योजना

20–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 1352/39-41674/1975, दिनांक 15 मार्च, 1977 तथा भारत सरकार के पत्र संख्या 27/197 एन0 आई0 ए0/दिनांक 26 अक्टूबर, 1976 के संदर्भ में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत बने भू भौतिकी खंडों में प्रथम श्रेणी पद सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट, सीनियर ज्योफिजिस्ट के नाम से स्वीकृत हुए थे ? यदि हां, तो पद विभाजन में इसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया ? क्या केवल ज्योफिजिक्स संवर्ग को ही दोनों पद दे दिये गये परन्तु आज तक ज्योलाजी के अधिकारी ही इन पदों पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

प्रथम श्रेणी के पदों के संवर्गवार विभाजन के पश्चात विभाग में जियोहाइड्रोलाजिस्ट एवं जियोफिजिस्ट के पद वर्ष 1982 में निर्धारित किये गये थे, परन्तु पदों के विभाजन से पूर्व ही जनवरी 1978 में उक्त दोनों पदों (सीनियर हाइड्रोलाजिस्ट/सीनियर जियोफिजिस्ट) पर जियोलाजी अर्हता के अधिकारी नियुक्त हो चुके थे, वर्तमान में एक पद पर जियोलाजी अर्हता का अधिकारी कार्यरत है तथा दूसरे पद पर जियोफिजिस्ट अर्हता के सहायक जियोफिजिस्ट को खण्ड का दोहरा चार्ज दिया गया था । वर्तमान में स्थान रिक्त है ।

प्रदेश में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा भूमिगत जल प्रदूषण समस्या का निराकरण

21–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय भूजल परिषद् उत्तरीय क्षेत्र, लखनऊ में भूमिगत जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण हेतु एक पृथक निदेशालय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्या राज्य भूमिगत जल सर्वेक्षण विभाग में भी जनपदवार भूमिगत जल के प्रदूषण हेतु खण्डों की स्थापना की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

भूमिगत जल प्रदूषण की समस्या के अध्ययन एवं निराकरण हेतु सम्प्रति इस विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है किन्तु इस विषय को भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण विषयक प्रस्ताव के अंतर्गत देखा जा रहा है ।

22–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[करण संख्या 26(1) के अंतर्गत उत्तरित]

जनपद मेरठ में प्राइमरी पाठशाला विहिन गांवों की संख्या एवं अध्यापक विहीन भवनों की संख्या

23–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें अभी तक प्राइमरी पाठशालायें नहीं हैं ? क्या यह भी सत्य है जिन गांवों ने अपने प्रयास से प्राइमरी पाठशालाओं के लिये भवनों का निर्माण किया था वहां अभी तक अध्यापक की व्यवस्था नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

68 ग्राम ।

7 गांव ऐसे हैं जहां भवन हैं किन्तु अध्यापक नहीं हैं क्योंकि वहां के लिये विद्यालय अभी स्वीकृत नहीं हैं ।

नवीन विद्यालय स्वीकृत होने पर ही अध्यापक भेजे जाते हैं अन्यथा नहीं ।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, हरदोई द्वारा ह्यूम पाइपों के क्रय हेतु व्यय धनराशि एवं उनका उपयोग

24—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85, 1985-86 व 1986-87 में अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जनपद, हरदोई द्वारा कितनी धनराशि के ह्यूम पाइपों का क्रय किया गया ? क्या समस्त ह्यूम पाइप कार्यों में प्रयुक्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, जनपद हरदोई द्वारा वर्ष 1984-85, 85-86 तथा 1986-87 में क्रमशः 18.055 लाख, 5.805 लाख तथा 5.614 लाख रुपये के कुल 1478 ह्यूम पाइप क्रय किये गये ।

क्रय किये गये कुल 1478 पाइपों में से 1439 पाइप प्रयुक्त हो चुके हैं और 39 पाइपों का प्रयोग स्थान के चयन एवं स्थल विवाद के कारण पूर्व में नहीं किया जा सका है । अवशेष पाइपों के प्रयोग हेतु कार्यवाही प्रगति में है । प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त ह्यूमपाइपों का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

आयुक्त ग्राम्य विकास की नियोजन एवं विकास कार्मिक संघ से वार्ता के अनुक्रम में निस्तारणीय बिन्दुओं का अनुपालन

25—श्री सुरेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 14-7-87 को नियोजन एवं विकास कार्मिक संघ, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों एवं श्री आर0 एस0 टोलिया, आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के मध्य हुई वार्ता में श्री टोलिया द्वारा विभाग को जो निर्देश दिये गये उनका पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? विभाग उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

आयुक्त, ग्राम्य विकास की नियोजन एवं विकास कर्मिक संघ से वार्ता के अनुक्रम में विभागाध्यक्ष के स्तर से निस्तारणीय बिन्दुओं में अधिकांश के बारे में अनुपालन सुनिश्चित किया जा चुका है । शेष बिन्दुओं पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय लिपिकीय कर्मचारियों की नियमानुसार पदोन्नतियां

26—श्री सुरेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय में लिपिकीय कर्मचारियों का संवर्ग विभाजन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या अलग-अलग सम्वर्गवार ज्येष्ठता सूची जारी कर दी गई है ? यदि नहीं, तो जो पदोन्नति की जा रही है वह क्या मिश्रित ज्येष्ठता सूची से की जा रही है? यदि नहीं, तो अनियमितता के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? यह अनियमितता कब तक समाप्त की जा सकेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

आयुक्त, ग्राम्य विकास के कार्यालय में लिपिक और लेखा कर्मचारियों का अलग-अलग संवर्ग अभी नहीं बना है ।

जी नहीं ।

जहां तक पदोन्नतियों का प्रश्न है मिश्रित ज्येष्ठता सूची में स्थायी कर्मचारियों की संवर्गीय पदों पर पदोन्नतियां नियमानुसार विभागीय चयन समिति के माध्यम से की गई हैं । अतः इसमें किसी अनियमितता का प्रश्न नहीं उठता ।

आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय में लम्बित प्रत्यावेदनों का विवरण

27–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय में लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों में से किस-किस कर्मचारी का विभिन्न विषयों पर प्रत्यावेदन दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 को 1 जनवरी, 1987 अथवा उसके पूर्व से अनिर्णीत चल रहे हैं ? प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की तिथि क्या है और इन प्रत्यावेदनों के अब तक लम्बित रहने के क्या कारण हैं ?, इन लम्बित प्रत्यावेदनों के कब तक निर्णीत होने की सम्भावना है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

31-12-87 को आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय में लम्बित लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न कर्मचारियों के 1-1-87 से पूर्व प्राप्त हुए प्रत्यावेदनों का विवरण संलग्न है। इसमें प्रत्यावेदन संख्या 9 का अंतिम निस्तारण हो गया है । शेष के संबंध में कार्यवाही हस्तगत है और शीघ्र ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 128 पर)

28–श्री सुरेन्द्र सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद नैनीताल (हल्द्वानी) में गौला नदी से निकाले गये खनिज पदार्थों पर रायलटी वसूली की दर

29–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0-82 के उत्तर के संबंध में क्या वन मंत्री बताने की कष्ट करेंगे कि प्रश्नगत गौला नदी हल्द्वानी नैनीताल से माह जून, 87 तक निकाले गये रेत, बजरी तथा पत्थर के स्टाक को ट्रकों द्वारा निकासी के समय चौंतीस रुपये के चालीस रुपये प्रति ट्रक रायल्टी बैरियर पर दी जाती है ? क्या गेट पास पर रसीद नम्बर चढ़ाया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

नदी से निकाले गये उप खनिज पदार्थ पर निकासी करते समय निम्न दरों से रायल्टी वसूल किये जाने के आदेश हैं :–

1–रेता रु0 3.50 प्रति घ0 मी0

2–बजरी रु0 5.00 प्रति घ0 मी0

3–पत्थर रु0 4.00 प्रति घ0 मी0

औसतन एक ट्रक में 7 घ0 मी0 उक्त उप खनिज की निकासी को मानते हुये, प्रत्येक ट्रक के लिये यह रायल्टी निम्न प्रकार वसूल की जाती है :–

रेता रु0 24.50 प्रति ट्रक

बजरी रु0 35.00 प्रति ट्रक

पत्थर रु0 28.00 प्रति ट्रक

किसी ट्रक में 7 घ0 मी0 से अधिक या कम माल भरा हुआ हो तो उक्त निर्धारित दरों के अनुसार गणना कर रायल्टी वसूल की जाती है ।

उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 के अनुसार निकासी रसीद खान्ना एम0 एम0 11 गेट पास में दी जाती है, जिसमें बुक नं0 तथा क्रम संख्या मुद्रित रहते हैं । इसमें वसूल की गई धनराशि तथा निकासी किये जा रहे उप खनिज पदार्थ का पूरा विवरण दिया जाता है । अतः गेट पास पर रसीद नम्बर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

जनपद बलिया के सीयर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्डों में विकास परियोजना द्वारा निर्माण कार्यों पर हुए व्यय का विवरण एवं सत्यापन

30–श्री सारदानन्द अंचल–

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985-86, 1986-87 में सारदा सहायक परियोजना द्वारा विकास खण्डवार कितने-कितने धन का खर्च निर्माण कार्यों में हुआ है ? क्या सरकार किसी उच्चाधिकारी दल द्वारा प्राक्कलन के मुताबिक कार्यों का सत्यापन कराने जा रही है ? यदि हां, तो किस रूप में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद बलिया के सीयर विधान सभा क्षेत्र में 3 विकास खण्ड रतनपुरा, नगरा तथा सीयर में सारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में वर्ष 85-86 व 86-87 में निम्नलिखित धनराशि व्यय की गई :–

विकास खण्ड		वर्ष 85-86	86-87	योग
रतनपुरा		295154.00	146607.40	441761.40
नगरा	..	805627.15	822447.28	1628074.43
सीयर	..	1519071.00	1332624.00	2851695.00

निर्माण कार्यों का सत्यापन निर्धारित मानक के अनुसार उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है । अतः उच्चाधिकारी दल द्वारा प्राक्कलन के मुताबिक इन कार्यों का पुनः सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

31—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

32—श्री पूरन सिंह साहरा—

[3रे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 153 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

33—श्री पूरन सिंह साहरा—

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 136 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

34—श्री हर्ष वर्धन—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

खण्ड विकास अधिकारी, मल्वां, फतेहपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

35—श्री अचल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड मल्वां के खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध एक शिकायती प्रार्थना-पत्र श्री राज किशोर तिवारी प्रधान व श्री महेश सिंह प्रधान मलवां के संयुक्त हस्ताक्षरों से दिनांक 4-1-88 को जिलाधिकारी महोदय को दिया था और उक्त प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी महोदय ने प्रभारी अधिकारी सूखा राहत/सहायक अभियन्ता अल्प सिंचाई को जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम आये ? क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जी हां ।

उपरोक्त शिकायतों की जांच सहायक अभियंता (लघु सिंचाई) द्वारा की जा रही है । जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री बी0 बी0 लाल भूतपूर्व जिला विकास अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

36—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व जिला विकास अधिकारी देवरिया श्री बी0 बी0 लाल द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 30 जुलाई, 87 को जिला अधिकारी, देवरिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्यों पर शासन स्तर से जिलाधिकारी स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

उक्त पत्र में वर्णित शिकायतों की प्रारम्भिक जांच जिला स्तर पर की गई है । इस प्रकरण में विधिवत अंग्रेतर जांच कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री केशव प्रसाद त्रिपाठी, खण्ड विकास अधिकारी, गौरी बाजार देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच एवं स्थानान्तरण

37–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में स्थित विकास खण्ड गौरी बाजार में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी (श्री केशव प्रसाद त्रिपाठी) के स्थानान्तरण किये जाने एवं उनके द्वारा किये कार्यों की जांच कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 19-7-87, आयुक्त ग्राम विकास एवं पंचायतीराज, उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्य क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

संदर्भित पत्र में श्री त्रिपाठी द्वारा राजनीति करने तथा निष्क्रियता के आरोप लगाये गये थे । यह भी उल्लेख किया गया था कि उनके विरुद्ध गबन के मामले हैं । श्री त्रिपाठी द्वारा किये गये कार्यों की जांच कराने एवं उनके स्थानान्तरण की मांग की गई थी । इन शिकायतों के संबंध में विधिवत जांच कराई जा रही है । श्री त्रिपाठी अन्यत्र स्थानान्तरित हो चुके हैं ।

38–श्री रणजीत सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह–

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

समादेश क्षेत्रों में सृजित अवर अभियन्ताओं को स्थायी करने का मामला विचाराधीन

39–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समादेश को कार्य करते 14 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी जूनियर इंजीनियर को स्थायी क्यों नहीं किया गया जबकि शासन ही का निर्णय है कि जिस विभाग को 5 वर्ष तक चलते रहने की सम्भावना हो उसे स्थायी घोषित किया जाये तथा 3 वर्ष की सेवा कर चुके कर्मचारियों को स्थाई कर दिया जाय ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

समादेश क्षेत्रों में सृजित अवर अभियन्ता (जूनियर इंजीनियर) के अस्थाई पदों को स्थायी किए जाने का मामला शासन के विचाराधीन है । पदों के स्थायीकरण से संबंधित निर्णय उपरांत ही अवर अभियंताओं (जूनियर इंजीनियर) को स्थायी किए जाने के संबंध में यथास्थिति नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

40—श्री सरदार सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद गाजियाबाद के न्याय पंचायत बम्बाफड को विकास खण्ड दादरी में सम्मिलित करने का प्रस्ताव विचाराधीन

41—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड विसरख ने अपने प्रस्ताव दिनांक 17-7-86 द्वारा न्याय पंचायत बम्बाफड़ को विकास खण्ड दादरी को देने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया, जिसको विकास खण्ड दादरी ने अपने प्रस्ताव 18-2-86 द्वारा सर्वसम्मति से मान लिया था तथा जिला अधिकारी/गाजियाबाद ने अपने पत्र संख्या 1575/7/41/नि0 स0/86-87 दिनांक 1-9-86 द्वारा अपनी पुष्टि संस्तुति सहित क्षेत्र समिति के परिसीमन हेतु शासन को एक प्रस्ताव प्रेषित किया था ? यदि हां, तो न्याय पंचायत पंचायत बम्बाफड को अब तक विकास खण्ड दादरी में क्यों नहीं सम्मिलित किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

42—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इण्टर कालेजों को प्रान्तीयकृत करने का लक्ष्य एवं पूर्ति

43—श्री पूरन सिंह महरा—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष पर्वतीय क्षेत्र में कितने इण्टर कालेजों को प्रान्तीयकृत करने का लक्ष्य था ? क्या लक्ष्य के विपरीत सभी विद्यालयों का प्रान्तीकरण पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? मुख्य मंत्री जी द्वारा जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत नैकड़ा पैंसियां इण्टर कालेज को प्रान्तीयकृत किये जाने के संबंध में सचिव पर्वतीय विकास को दिये गये लिखित आदेशों की पूर्ति कब तक कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)—

वित्तीय वर्ष 1987-88 में पर्वतीय क्षेत्र में एक अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रान्तीयकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । इसे पूरा कर लिया गया है । निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो जाने के कारण, नैकड़ा पैंसिया इण्टर कालेज का प्रान्तीयकरण किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद अल्मोड़ा में ग्रामीण आई0 टी0 आई0 की स्थापना

44—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को जानकारी है कि मुख्य मंत्री जी ने जनपद अल्मोड़ा के अपने भ्रमण काल में स्थान बमस्यु चौखुटिया तथा भतरौंजखान नामक स्थानों पर ग्रामीण आई0 टी0 आई0 खोले जाने की जनहित में आम जनता के सम्मुख घोषणा की थी ? यदि हां, तो एक वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने पर कोई कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ? निकट भविष्य में उसे कब तक खोल दिये जाने की सम्भावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद अल्मोड़ा में बमस्यू चौखुटिया तथा भतरौंजखान नामक स्थान में ग्रामीण आई0 टी0 आई0 खोलने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक पुस्तिका "ट्रेनिंग मैनुअल" के पैराग्राफ 44 के आधार पर परीक्षण करने से विदित होता है कि वर्ष 1985-86 तथा 86-87 में तहसील रानीखेत के रानीखेत, दौला तथा स्याल्दे नामक स्थान पर 3 ब्रांच आई0 टी0 आई0 स्थापित किये गये हैं जो क्षेत्रीय जनता की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं ।

जनपद अल्मोड़ा में कतिपय मार्गों एवं पुलों के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही

45—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को जानकारी है कि मुख्य मंत्री ने जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत दघाट खल्डुवा, विनायक पचेतमोहन, विनायक रिखाड़ तथा सौनी तितालीखेत चमड़ खान मोटर मार्ग व विनोद नदी के ऊपर स्थान उल्मरा तथा रामगंगा नदी के ऊपर डयौना नामक स्थान पर पुल बनवाये जाने के आदेश सचिव पर्वतीय विकास विभाग को दिये हैं ? यदि हां, तो ये कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत 4 मार्गों व दो पुलों में से प्रथम तीन मार्गों एवं प्रथम पुल के संबंध में मुख्य मंत्री जी तथा अंतिम पुल के संबंध में राज्यमंत्री जी, पर्वतीय विकास ने प्रश्नकर्ता महोदय के पत्रों पर आदेश दिये हैं । अंतिम मार्ग के बारे में कोई आदेश उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं । डयौना स्थान पर रामगंगा नदी के ऊपर पुल की स्वीकृति की कार्यवाही द्वितीय अनुपूरक मांगों के माध्यम से करायी जा रही है । प्रश्नगत प्रथम तीन मार्गों तथा प्रथम पुल के बारे में मुख्य अभियन्ता सा0 नि0 वि0, कुमायूं मण्डल अल्मोड़ा से संबंधित स्थानों का सर्वेक्षण कराकर आवश्यक सूचनाएं जैसे भूमि उपलब्धता (वन भूमि निहित न होना) मार्ग/पुल की अनुमानित लम्बाई एवं लागत, लाभांवित होने वाले गांवों व आबादी की संख्या पर्यावरण पर प्रभाव, कृषि उपज एवं औद्योगिक/वाणिज्यिक वस्तुओं के लाने ले जाने की सुविधाओं के संबंध में एकत्र कराकर उपलब्ध कराने को कहा गया है । सूचनाएं मिलने पर सभी पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरान्त निर्माण के बारे में यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

जनपद अल्मोड़ा में हाईस्कूल एवं इण्टर मीडिएट की कक्षा खोलने हेतु निर्धारित मानक की कमी

46—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को जानकारी है कि मुख्य मंत्री जी ने जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत रघुली पीपल, पटल गांव खुजराडी मीताकोट खाल खुमाड़ तथा सालीखेत नामक स्थानों पर जू0 हा0 स्कूलों का उच्चीकरण हाई स्कूल स्तर पर तथा बांगीघाट, लोधिया खान, जैनोली तथा बंगोडा नामक स्थानों पर हाई स्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के लिखित आदेश सचिव पर्वतीय विकास को दिये हैं ? यदि हां, तो आज तक आदेशों का परिपालन न होने के क्या कारण हैं तथा आदेश कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिला अल्मोड़ा में निम्नलिखित स्थानों पर (क) हाई स्कूल खोले जाने तथा (ख) हाई स्कूलों के उच्चीकरण किये जाने हेतु आदेश दिये हैं, अथवा, घोषणा की है :—

(क) हाई स्कूल खोला जाना :—

1—रघुली पीपल

2—पटलगांव

3—खजुरानी

4—मीताकोट खाल (सल्ट)

5—खुभाड़ (सल्ट)

6—सालीखेत (घोषणा)

(ख) हाई स्कूल को इण्टर स्तर का किया जाना :—

1—बांगीघाट

2—लोधियाखान

3—जैनोली

4—बंगोड़ा (घोषणा)

हाई स्कूल खोले जाने हेतु उक्त छः स्थान व इण्टर कक्षायें खोले जाने हेतु उक्त चारों विद्यालय, निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं । फलस्वरूप आदेशों व घोषणा का परिपालन किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

इण्टर के परीक्षा के प्रमाण-पत्र वितरित किए जाने में विलम्ब के कारण

47—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 78 एवं 79 के इण्टर के परीक्षा प्रमाण-पत्र आज तक छात्रों में वितरित नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? क्या वे उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनके कारण प्रमाण-पत्र वितरण में विलम्ब हुआ है, कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रज़ी—

इण्टर परीक्षा 1978 के 2,69,006 प्रमाण-पत्र छात्रों में वितरण हेतु भेजे जा चुके हैं। केवल पूरक परीक्षा के 934 प्रमाण-पत्रों का प्रेषण शेष है। इण्टर परीक्षा 1979 के 3,24,349 प्रमाण-पत्र वितरण हेतु भेजे जा चुके हैं। केवल 7512 प्रमाण-पत्रों का प्रेषण शेष है। इन अवशेष प्रमाण-पत्रों को भी शीघ्र भेजने की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रमाण-पत्रों के वितरण में हुए विलम्ब का मुख्य कारण राजकीय प्रेस, इलाहाबाद द्वारा मुद्रित प्रमाण-पत्रों का अत्यधिक विलम्ब से आपूर्ति करना तथा प्रमाण-पत्र लेखकों का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होना रहा है।

किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के तहसील पडरौना के ग्राम प्रधान, सपहा को बहाली के आदेश

48—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के तहसील पडरौना के ग्राम प्रधान, सपहा को अकारण निलम्बित कर प्रताड़ना देने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र शासन तथा पंचायती राज निदेशक उ0 प्र0 को दिनांक 9-9-86 को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्यों का जांच कर संबंधित प्रकरण के शीघ्र निपटारे के लिए निर्देश दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। परन्तु पत्र शासन को प्राप्त हुआ, निदेशालय में प्राप्त नहीं हुआ।

जी हां। उक्त प्रधान को बहाल करने के आदेश 12 जनवरी, 1988 को निर्गत हो गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव चपरासी, अशोक इण्टर कालेज रामपुर कारखाना, देवरिया की सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि में कटिंग

49–डा0 बंगाली सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 31 के उत्तर के संदर्भ में शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्याम देव चपरासी की सेवा पुस्तिका देखने से यह जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि उसमें प्रथमतः अंकित जन्म तिथि 20-5-1929 पहले काटकर दूसरी जन्म तिथि लिखी गयी है और उस पुनः लिखी गयी जन्म तिथि को वर्तमान प्रधानाचार्य द्वारा ही पुनः मिटाकर 1-5-1923 अंकित की गई है जिस पर उनके इनिसियल भी हैं तथा इस संबंध में शासन को गलत सूचना दी गयी है? यदि हां, तो गलत सूचना देने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

श्री श्यामदेव की सेवा पुस्तिका देखने से प्रतीत होता है कि उनकी सेवा पुस्तिका में जन्म-तिथि के स्तम्भ में पहले लिखी गयी जन्म-तिथि मिटाकर दूसरी स्याही से 20-5-1929 जन्म-तिथि अंकित की गयी है। इस स्तम्भ में किसी के हस्ताक्षर नहीं है। अधिवर्षता वाले स्तम्भ में 1-5-83 काटकर 20-5-89 बनाया गया है। इस कटिंग पर भूतपूर्व प्रधानाचार्य के लघु हस्ताक्षर हैं। जन्म-तिथि वर्तमान समय में भी सेवा पुस्तिका में 20-5-1929 ही दूसरी स्याही से अंकित है, 1-5-23 नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वन विभाग में वन अपराध के पंजीकृत मामले में कृत कार्यवाही

50–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 83 के उत्तर के संदर्भ में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन अपराधों में लिप्त असामाजिक तत्वों के अवैध कटानों के कितने मामले प्रकाश में आये हैं तथा उनके खिलाफ कितने मुकदमें पंजीकृत कर कितने अपराधियों को जेल भेजा गया है तथा इसमें वन विभाग को अनुमानित कितनी हानि हुई है? अवैध कटान के इस सारे घोटाले की जांच विजिलेन्स द्वारा न कराये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वन अपराधी में लिप्त असामाजिक तत्वों के अवैध कटानों के वर्ष 1985-86 में 22 तथा वर्ष 1986-87 में 33 (कुल 55) मामले प्रकाश में आये, जिसमें से उनके विरुद्ध 13 मामले पंजीकृत किये गये एवं किसी को जेल नहीं भेजा गया। इसमें वन विभाग को रुपये 68,508 की हानि हुई।

इन अवैध कटानों के मामलों में विभागीय कर्मचारियों की कोई साजिश प्रकाश में नहीं आई है। अतः विजिलेन्स द्वारा जांच कराये जाने का कोई अवसर नहीं है।

प्रदेश के आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली नदियों के उपखनिज पदार्थों की सार्वजनिक नीलामी

51—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं5 82 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रश्नगत ठेका वर्ष 1985-86 में नहीं वरन् 86-87 में रोका गया है? क्या कुमायूं मण्डल विकास निगम से ठेके का प्रोफिट मुतालबे की अदायगी में नहीं वसूला जा सकता था? क्या सरकार फिर से ठेकेदारी प्रथा लागू करने पर विचार करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या—82 के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के क्रम में अवगत कराना है कि मामले में पुनः जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 1985-86 में कुमायूं मण्डल विकास निगम ने कार्य किया था, परन्तु वर्ष 1986-87 में निगम द्वारा पुराना बकाया अदा न करने के कारण उन्हें कार्य नहीं दिया गया।

कुमायूं मण्डल विकास निगम एक सहकारी उपक्रम है। इसलिए अवशेष राजस्व जमा करने हेतु इनको बार-बार लिखा गया। परन्तु इनके द्वारा किसी भी प्रकार अवशेष धनराशि को जमा नहीं किया गया। वर्तमान में इनके विरुद्ध सरकारी राजस्व अभी भी अवशेष है।

वर्ष 1987-88 में आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली नदियों के उप खनिज पदार्थों का सार्वजनिक नीलाम करने के आदेश वन विभाग द्वारा प्रसारित किये गये हैं।

प्रदेश के पश्चिमी वृत्त के विभिन्न वन प्रभागों के काश्तकारों को निःशुल्क प्रकाष्ठ देने की सीमा

52—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 84 के उत्तर के संबंध में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन बन्दोबस्त में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार विभिन्न ग्रामों के ग्रामवासी काश्तकारों को वनों से जो लकड़ी निःशुल्क दी जाती है उसकी निर्दिष्ट सीमा क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

पश्चिमी वृत्त के विभिन्न वन प्रभागों में हक-हकूक एवं रियायत में विभिन्न ग्रामों के ग्रामवासी काश्तकारों को वन बन्दोबस्त में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार उस ग्राम के लिए निम्नलिखित निर्धारित सीमा तक वनों से निःशुल्क प्रकाष्ठ प्रति वर्ष दिए जाने के निर्देश हैं :–

प्रभाग का नाम		कुल मार्गों की संख्या	प्रकाष्ठ की मात्रा घन मी0 में
1		2	3
हल्द्वानी	..	157	885.200
लाई केन्द्रीय	..	157	862.254
रामनगर	..	272	2291.610
कालागढ़	..	406	1075.000
तराई पश्चिमी	..	179	1602.740
तराई पूर्वी	..	425	4304.210
योग	..	1596	11021.014

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रामवासियों को गिरी पड़ी लकड़ी ले जाने की अनुमति भी दी जाती है।

शासन द्वारा वक्फ गजट नोटिफिकेशन के अनुसार वक्फ सम्पत्तियां अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश का अनुपालन

53–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो वक्फ गजट नोटीफिकेशन किया है, क्या उसके द्वारा वक्फ सम्पत्तियों को सभी सरकारी अभिलेखों में अंकित करने के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों तहसीलदारों व चकबन्दी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है? यदि हां, तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया जाता है?

श्री सिब्ते रजी–

इस आशय के सामान्य निर्देश जारी किए गये हैं कि जो वक्फ सम्पत्तियां राजस्व अभिलेखों में अन्यथा दर्ज हैं उन्हें वक्फ के रूप में दर्ज किया जाय। प्राप्त सूचना के अनुसार इन आदेशों का नियमानुसार अनुपालन किया जा रहा है।

श्री कौशल किशोर, लिपिक शिक्षा परिषद् कार्यालय, बाराबंकी की सेवा समाप्ति पर एक माह का वेतन भुगतान आदेश

54–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय, बाराबंकी के लिपिक (श्री कौशल किशोर) की सेवा समाप्ति की स्थिति में एक माह की नोटिस के बदले वेतन और इसके पूर्व तीन माह का वेतन भुगतान के संबंध में वे कौन सी औपचारिकतायें हैं जो 12 वर्ष से अब तक पूर्ण नहीं हुई हैं?

श्री सिब्ते रजी–

तीन माह के वेतन भुगतान तथा एक माह के नोटिस के बदले देय एक माह के वेतन के भुगतान के आदेश दे दिये गये हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्रवक्ता के पद पर चयन हेतु आरक्षण कोटे की मांग

55–श्री कृष्ण कुमार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गतवर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के प्रवक्ता पद के चयन का विज्ञापन आरक्षण कोटे के अन्तर्गत किया गया था? यदि हां, तो उस पद पर किसी आरक्षण कोटे के अभ्यर्थी का चयन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राविधान नहीं है।

जनपद गोरखपुर में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम पर किए गये व्यय का विवरण

56–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम पर कितने रुपये वर्ष 1985-86 और 1986-87 में खर्च किये गये?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम पर गोरखपुर जनपद में वर्ष 1985-86 और 1986-87 में किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	व्यय (रु0 में)
1985-86	53,99,409.65
1986-87	94,72,500.00

जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में जजरेट पुल से जुटाया ग्राम तक स्वीकृत नक्से के अनुसार सम्पर्क मार्ग का निर्माण

57–श्री बलराम यादव तथा श्री राम जनम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में सूखा राहत कार्य के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में जजरेट पुल से जुटाया ग्राम तक 4 कि0 मी0 लम्बे सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य स्थानीय ग्रामवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए शासन ने स्वीकृत नक्शे व आगणन के अनुसार प्रारम्भ किया था? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग का निर्माण स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो रहा है? यदि हां, तो गलत निर्माण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सक्षम अधिकारी द्वारा पद सृजन न होने के कारण श्री कौशल किशोर, लिपिक शिक्षा परिषद् कार्यालय बाराबंकी की सेवा समाप्ति

58–श्री शिव दर्शन–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 86 के प्रथम सोमवार को उत्तरित अता0 प्रश्न 109 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कौशल किशोर की नियुक्ति जिला विद्यालय उप निरीक्षक बाराबंकी के आदेश संख्या सी0 क 1353/73 नियुक्ति 72-73 दिनांक 19 फरवरी, 73 द्वारा लिपिक के पद पर सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से की गयी थी? क्या यह सही है कि श्री कौशल किशोर की नियुक्ति को अवैध बताकर उन्हें हटा दिया गया था और उसी दिन एक अन्य व्यक्ति की लिपिक के पद पर नियुक्ति कर दी गयी थी? यदि हां, तो पूरी स्थिति क्या थी? क्या कौशल किशोर को पुनः नियुक्त कर लिया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

श्री कौशल किशोर की नियुक्ति सेवायोजन कार्यालय बाराबकी से प्राप्त सूची के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के आदेश संख्या–शि0 क0/1353-73/नियुक्ति/72-73 दिनांक 19-2-73 द्वारा की गई थी।

श्री कौशल किशोर की सेवायें सक्षम अधिकारी द्वारा पद सृजन न होने के अभाव में समाप्त कर दी गई थी। जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रिक्ति होने पर आवेदन करने के लिए स्वतन्त्र है।

59–श्री शिव दर्शन–

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

60–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

61–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

62–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

श्री बृज किशोर जैन प्रधानाचार्य, सरदार पटेल इन्टर कालेज चिरगांव, झांसी के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

63—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का सरदार पटेल इण्टर कालेज चिरगांव झांसी में प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों से प्रवेश के लिए अवैध वसूली किये जाने विषयक दिनांक 9-8-86 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नकर्ता का दिनांक 9-8-86 का नहीं, बल्कि दिनांक 9-9-86 का पत्र प्राप्त हुआ है।

पत्र में छात्रों से प्रवेश के समय अवैध धनराशि लिये जाने की शिकायत की गई है। इसकी जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी द्वारा की गयी तथा उक्त आरोप सही पाया गया। सम्बन्धित कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री बृज किशोर जैन के विरुद्ध कार्यवाही हेतु विद्यालय प्रबन्धतंत्र को आदेशित किया गया है। अब श्री जैन प्रधानाचार्य के पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं।

जनपद जौनपुर में विकास खण्ड मछलीशहर के अन्तर्गत ग्राम मछली गांव में कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा चलवाये जा रहे अवैध ईंट भट्ठे के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

64—श्री राजेन्द्र सिंह चौहान—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित श्री राज बहादुर स0 वि0 स0 द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के उत्तर के संबंध में क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन दोषी कर्मचारियों को चेतावनी एवं अधिकारियों को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों? भट्ठा मालिक के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिए जाने पर भी उक्त ईंट भट्ठा अब तक बन्द न होने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी अवैध चल रहे ईंट भट्ठों को तुरन्त बन्द करवाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

कार्यालय अधीक्षक व लाइसेन्स लिपिक जिला परिषद्, जौनपुर को लिखित चेतावनी दी गयी। तत्कालीन कार्य अधिकारी जिला परिषद् जौनपुर को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दिया जाना प्रस्तावित था, परन्तु अंतिम निर्णय लिये जाने के पूर्व उनके सेवा निवृत्त हो जाने के कारण वह अंकित नहीं की जा सकी।

प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है। अतः शासन द्वारा कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

जनपद मेरठ में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण की संख्या एवं वृक्ष पट्टा योजना

65—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में मेरठ जनपद में वन विभाग द्वारा कुल कितने और किस किस जाति व प्रजाति के वृक्षों का रोपण कराया गया? क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि वन विभाग द्वारा किसानों को वृक्ष लगाने में रुचि रखने वाले लोगों को निःशुल्क पौध की व्यवस्था शासन द्वारा कराई जायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद मेरठ में वन विभाग द्वारा वर्ष 1985-86 में विभागीय वृक्षारोपण में 8,35,763 वृक्षों का रोपण किया गया। प्रजातिवार विवरण निम्न प्रकार है :—

1—यूक्लिप्टस	2,47,519
2—शीशम	66,474
3—खैर	62,500
4—सूबबूल	6,330
5—सेमल	2,050
6—सिरस	77,948
7—आम	6,983
8—अन्य	3,65,959
	8,35,763

जी नहीं, शासन द्वारा केवल अनुसूचित जाति, जनजाति मुक्त बंधुआ मजदूर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों, भूदान व सीलिंग के अन्तर्गत भू-आवंटियों तथा वृक्ष पट्टा योजना के अन्तर्गत पट्टा धारकों को ही 100 पौध तक निःशुल्क तथा शेष वर्गों के लोगों को लागत मूल्य पर पौध आपूर्ति की जाती है।

जनपद जौनपुर के कतिपय विकास खण्डों में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण

66—श्री पारसनाथ यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि सूखा राहत योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्ग बनाने की योजना खण्ड विकास स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है? जिसमें जिस गांव को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जायेगा उसी क्षेत्र के मजदूर कार्य करेंगे और उन्हें जीविका के लिए सूखा राहत में अनाज एवं नकद पैसा दिया जायेगा? यदि हां, तो क्या खण्ड विकास करसठी एवं खण्ड विकास रामपुर जिला जौनपुर के मजदूरों एवं सम्पर्क मार्गों की सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

क्रमशः 8 एवं 14 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें स्थानीय मजदूरों को कार्य पर लगाने एवं नकद मजदूरी तथा अनाज देने की व्यवस्था है। सम्पर्क मार्गों की सूची संलग्न है। मजदूरों का विवरण अत्यन्त विस्तृत होने के कारण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 129 पर)

जनपद देवरिया के पथरदेवा ब्लाक में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत आवंटित अनुदान

67–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के पथरदेवा ब्लाक में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ से अब तक अनुदान की धनराशि का 15 लाख रुपया का बैंक लाग है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है? दोषी कौन है और रिलीज करने की क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां। 1-4-87 को विकास क्षेत्र पथरदेवा में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत मानक के अनुसार आवंटित अनुदान राशि उपभोग के उपरान्त 14.65 लाख अवशेष थी। अवशेष का कारण यह है कि विकास क्षेत्र में बैंकों की संख्या कम रही है, केवल एक सहकारी बैंक पथरदेवा ही कार्यरत रहा है। इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। योजनाकाल के उत्तरार्ध में ग्रामीण बैंक पथरदेवा, बघोचघाट, बंजरिया एवं कंचनपुर खोले गये और पंजाब बैंक की एक शाखा विकास क्षेत्र परिसर में ही गत वर्ष से प्रारम्भ हुई है। उक्त बैंकों को आवश्यकतानुसार अग्रिम अनुदान की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।

68–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

डा0 एल0 आर0 खरे प्राचार्य बी0 एन0 एस0 टी0 कालेज कानपुर की सेवा समाप्ति

69–श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राचार्य बी0 एन0 एस0 टी0 कालेज कानपुर डा0 एल0 आर0 खरे को अवैध रूप से माह अगस्त, 87 में प्रबन्धक मण्डल द्वारा हटा दिया गया था जिसके खिलाफ जन प्रतिनिधियों एवं शिक्षकों का प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्राचार्य को हटाने के क्या कारण थे तथा शासन ने इस संबंध में मिले प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन जनहित को देखते हुए उक्त प्राचार्य को पुनः पद भार ग्रहण कराने का कष्ट करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय के अनुमोदन से प्राचार्य डा0 एल0 आर0 खरे की सेवायें समाप्त की गई थीं ।

जी हां।

प्रबन्धक के अनुसार उनके विरुद्ध निम्नांकित प्रमुख आरोप लगाये गये थे:–

(1) प्रधानाचार्य पद हेतु निर्धारित अर्हतायें न रखना।

(2) प्रशासकीय अक्षमता।

प्राप्त प्रत्यावेदनों पर कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय तथा शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) से आख्या मांगी गई ।

प्रश्न नहीं उठता।

कुलपति से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधानाचार्य डा0 डी0 एल0 आर0 खरे ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत माननीय कुलाधिपति महोदय से अपील कर रखी है । डा0 खरे के प्रकरण पर उक्त वैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत माननीय कुलाधिपति द्वारा ही निर्णय लिया जाना है।

उ0 मा0 विद्यालय मिट्ठोली (मथुरा) को इण्टरमीडिएट साहित्यिक वर्ग की मान्यता

70–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 18 सितम्बर, 1986 को आदर्श उ0 मा0 विद्यालय मिट्ठोली (मथुरा) को बिना सरकारी सहायता के इण्टरमीडिएट की मान्यता दिलाने हेतु उक्त स्कूल के प्रबन्धक श्री मुरारी लाल के प्रार्थना पत्र के साथ पत्र दिया था ? यदि हां, तो बगैर सरकारी सहायता के उक्त स्कूल को मान्यता देने में कोई आपत्ति है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो कब तक मान्यता प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी–

हां ।

संदर्भगत विद्यालय को इण्टरमीडिएट साहित्यिक वर्ग की नवीन मान्यता वर्ष 1989 की परीक्षा से शासन द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है ।

जनपद मुरादाबाद के कतिपय मार्गों का सूखा राहत कार्य के अंतर्गत मरम्मत

71–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन दो सड़कों-गोट से लखनपुर 2.500 कि0 मी0 तथा इस्लाम नगर से रामगंगा नदी 3.00 कि0 मी0 का सूखा राहत योजना के अंतर्गत जिला परिषद् मुरादाबाद द्वारा निर्मित हो रही है क्या उसमें कम मिट्टी डाली गयी है तथा सड़कें निर्धारित माप से नीची तथा खराब हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों की जांच टी0 ए0 सी0 द्वारा कराना चाहेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

गोट से लखनपुर एवं इस्लामनगर से रामगंगा नदी तक के प्रश्नगत मार्ग अभी निर्माणाधीन हैं । इन मार्गों पर स्थल की आवश्यकतानुसार एवं मिट्टी की उपलब्धता के आधार पर मिट्टी डलवाई गयी है जो सामान्यत: किनारे के खेतों से औसतन एक फीट ऊंची है । इन सड़कों पर ड्रेसिंग एवं पुलिया निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है । फायनल ड्रेसिंग के समय निरीक्षण में पाई गई कमियों को ठीक कराया जा रहा है । इन परिस्थितियों में जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

72–श्री राज किशोर सिंह–

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

73–श्री राज किशोर सिंह–

[3रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 124 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की जानकारी

74–श्री राज किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् जौनपुर के अध्यापकों का सितम्बर, 1972 से फरवरी, 1975 तक लगभग ढाई वर्ष की अवधि में भविष्य निधि के लिए वेतन से काटी गयी धनराशि 738 एकाउन्ट खाते में जमा की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

इस मद से संबंधित लेखा शीर्षक-838- के अंतर्गत कोषागार में खाता खुलने पर प्रश्नगत धनराशि दिनांक 16-8-75 व 28-8-75 को जमा की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्ण जाजू कन्या इण्टर कालेज बुलन्दशहर के प्रधानाचार्य द्वारा अनुदान में की गई अनियमितता के विरुद्ध जांच कार्यवाही

75–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बुलन्दशहर में डिवाई में श्रीकृष्ण जाजू कन्या इण्टर कालेज की प्रधानाचार्य को 'अपना देश अपना प्रदेश जानों' कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं के भ्रमण हेतु वर्ष 1984-85 में प्रदेश सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ था, जिसकी स्थलीय जांच जिला विद्यालय निरीक्षक बुलन्दशहर ने दिनांक 12-8-86 को की और इस जांच में उक्त अनुदान राशि का गबन पाया ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका प्रथम मण्डल मेरठ ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, अनुदान प्राप्त हुआ था । जिला विद्यालय निरीक्षक बुलन्दशहर द्वारा स्थलीय जांच की गई तथा उपभोग को संदिग्ध पाया गया ।

मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ द्वारा प्रधानाचार्या को निलम्बित कर दिया गया है । उनके विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के समक्ष विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

76–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में डिवाई के श्रीकृष्ण जाजू कन्या इण्टर कालेज की प्रधानाचार्य को 'अपना देश अपना प्रदेश जानों' कार्यक्रम में छात्राओं के भ्रमण हेतु वर्ष 1984-85 में प्रदेश सरकार ने अनुदान दिया था जिसकी वरिष्ठ सम्परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा ने अगस्त सन् 1986 में लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण करने पर आगे जांच एवं कार्यवाही करने को लिखा जिस पर उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने जांच कार्यवाही पर प्राधानाचार्य को गबन का दोषी पाते हुए प्रधानाचार्य को पदच्युत करने का संकल्प पारित कर माध्यमिक शिक्षा आयोग को मार्च, 1987 में स्वीकृति हेतु भेज दिया है ? यदि हां, तो आयोग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्रधानाचार्यों की सेवा समाप्ति का प्रकरण माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है । आयोग द्वारा श्रीमती महेश्वरी को नोटिस दिया गया है कि यदि वह अपना कोई लिखित उत्तर प्रस्तुत करना चाहें, तो उसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में शिक्षा पुर्नव्यवस्था के अन्तर्गत प्रसार अध्यापकों से रिक्त विद्यालयों की संख्या

77–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था के अंतर्गत सीतापुर जनपद में ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है जहां प्रसार अध्यापक नहीं है ? ऐसे विद्यालयों में अध्यापक कब-कब से नहीं है तथा सरकार द्वारा उनकी व्यवस्था कब तक कर दी जायगी ?

श्री सिब्ते रजी–

कुल 13

वर्ष 1981 से	–2 विद्यालयों में
वर्ष 1982 से	–2 विद्यालयों में
वर्ष 1983 से	–1 विद्यालय में
वर्ष 1984 से	–1 विद्यालय में
वर्ष 1985 से	–3 विद्यालयों में
वर्ष 1987 से	–4 विद्यालयों में

विषय परीक्षणाधीन है ।

जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद में ईंट भट्ठों के जारी लाइसेन्स की संख्या एवं शर्तों का पालन

78—श्री अफजाल अंसारी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद की सीमा के अंतर्गत वर्तमान समय में कुल कितने ईंट बनाने के भट्ठों का लाइसेन्स है ? ये लाइसेन्स किन-किन व्यक्तियों के नाम से हैं और किस-किस स्थान पर भट्ठा चलाने के लिए है ? क्या लाइसेन्स देते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि जिस स्थान के लाइसेन्स दिया जाय उस स्थान के आस पास फलदार वृक्षों का कोई बाग न हो ? यदि हां, तो कितनी दूरी तक फलदार वृक्षों जैसे आम के बाग नहीं होने चाहिए ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद की सीमा के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 31 ईंट भट्ठों (चिमनी) के लाइसेन्स जारी किये गये हैं ।

सूचना संलग्न है ।

एक मील पूरब पश्चिम तथा एक फर्लांग उत्तर दक्षिण ढाई एकड़ का कोई बाग न हो, लाइसेन्स देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 130 पर)

अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त (प्रशासन) उ0 प्र0 को आवंटित वाहन एवं तत् संबंधी आदेश का पूर्णतया पालन

79—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 8-4-86 को पत्रांक 6170 बजट (स) वाहन कक्ष 86 के द्वारा तत्कालीन अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त उ0 प्र0 ने वाहनों के संबंध में क्या आदेश जारी किये थे ? क्या उक्त आदेशों का पालन किया जा रहा है ? कार्यालय की वाहन संख्या यू0 जी0 यू0 4567 किस अधिकारी को आवंटित है और किस प्रकार 13-10-87 से लगातार रात्रि में सड़क पर असुरक्षित खड़ी रहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त (प्रशासन) उ0 प्र0 के कार्यालय आदेश संख्या 6170/बजट (स) वाहन कक्ष/86, दिनांक 8 अप्रैल, 1986 द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि जवाहर भवन के प्रागंण में निर्मित गैराज में पूल की गाड़ियों के साथ वे सभी गाड़ियां जो रात्रि में अधिकारियों के निवास स्थान पर खड़ी न होकर अन्यत्र खड़ी की जाती हैं, नियत स्थान पर खड़ी की जाएगी आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है ।

वाहन संख्या-यू0 जी0 यू0 4567 वर्तमान में श्री विद्यासागर तिवारी सहायक आयुक्त (मुख्यालय) से सम्बद्ध है तथा ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज निदेशालय के पत्र सं0-1192ए/पी0 ए0 (ए0 क्यू0)/87, दिनांक 14 अक्टूबर, 1987 द्वारा शासन के आदेशों के तहत उनके निजी प्रयोग हेतु अनुमन्य करायी गयी है। संदर्भगत गाड़ी कभी भी रात्रि में सड़क पर असुरक्षित नहीं खड़ी रही ।

आयुक्त ग्राम विकास कार्यालय स्टोर में प्राप्त पत्रावलियों का परीक्षण

80—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 में तत्कालीन अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त उ0 प्र0 ने अपने कार्यालय के स्टोर को सील्ड करवाया था ? यदि हां, तो क्या उसमें प्राप्त हुई 352 पत्रावलियां जो छिपा कर रखी गयी थीं उनका अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त के निर्देशानुसार परीक्षण किया जा चुका है ? यदि हां, तो उन्हें छुपा कर रखने का क्या कारण था ? यदि आदेशों के अनुसार परीक्षण नहीं किया गया तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय के स्टोर में 352 पत्रावलियां पाई गई । इनका परीक्षण किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद के कतिपय सम्पर्क मार्गों पर वृक्षारोपण की योजना

81—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 विभाग द्वारा बनाये गये सम्पर्क मार्गों के किनारे वन विभाग द्वारा पेड़ लगाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो जनपद गाजियाबाद व मेरठ के गाजियाबाद से लोनी बन्धला ढिकौली मार्ग बागपत मुरादनगर मार्ग लोनी स्टोल मार्गों पर वृक्ष न लगाने का क्या कारण है ? क्या उपरोक्त मार्गों पर पेड़ लगाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । सड़कों के किनारे वन विभाग द्वारा पेड़ लगाये जाते हैं ।

गाजियाबाद लोनी मार्ग के 4 है0 क्षेत्र में, बन्धला ढिकौली मार्ग के 10 है0 क्षेत्र में, बागपत मुरादनगर मार्ग पर जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत 9.50 है0 क्षेत्र में तथा जनपद मेरठ के अंतर्गत 6 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा चुका है ।

लोनी स्टोल मार्ग तथा प्रश्नगत मार्गों के शेष क्षेत्र में वर्ष 1988 तथा आगामी वर्षों में वृक्ष लगाये जायेंगे ।

जनपद सीतापुर के ब्लाक मच्छरहेटा में हाईस्कूल खोलने की मांग

82—श्री राम कृष्ण—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के ब्लाक मच्छरहेटा जहां की आबादी दस हजार से अधिक है, में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है और 20 कि0 मी0 दूर तक कोई हाई स्कूल नहीं है ? यदि हां, तो क्या वहां कोई हाई स्कूल खोलने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में बालकों के लिए राजकीय हाईस्कूल खोलने की योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है ।

अतः योजना के अभाव में मच्छरहेटा में राजकीय हाईस्कूल खोला जाना सम्भव नहीं है ।

भदोही में वन विभाग द्वारा लगाये गये वृक्षों की संख्या एवं व्यय तथा जीवित पौधों की संख्या

83–श्री मूल चन्द्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1985 से अब तक वन विभाग द्वारा भदोही 249 सुरक्षित क्षेत्र में वृक्षारोपण में कुल कितना व्यय किया गया है ? कितने वृक्ष लगाये गये हैं और कितने मौजूद हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत अवधि में वन विभाग द्वारा भदोही 249 सुरक्षित क्षेत्र में सन् 1985 से अब तक वृक्षारोपण पर कुल 17.95 लाख रु0 व्यय किया गया, 6,91,000 वृक्ष लगाए गए और 3,27,018 पौधे जीवित हैं ।

84–श्री अफजाल अंसारी–

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

विवेकाधीन इण्टर कालेज दुबौलिया, बस्ती में आरक्षित छात्रों की संख्या एवं छात्रवृत्ति

85–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विवेकाधीन इण्टर कालेज दुबौलिया बाजार जिला बस्ती में 1984-85, 85-86 में अनुसूचित जाति के कितने छात्र पढ़ते थे ? उक्त दो वर्षों में अनुसूचित जातियों के तथा पिछड़े जातियों के छात्रों को किन-किन तारीखों में कितना धन छात्रवृत्ति एवं अन्य सहायता के रूप में हरिजन कल्याण विभाग बस्ती द्वारा दिया गया है ? उक्त धन किस-किस बैंक में किसके नाम जमा किया गया ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

विवेकानन्द इण्टर कालेज, दुबौलिया, बाजार जिला बस्ती में 1984-85 में 51 एवं 1985-86 में 57 अनुसूचित जाति के छात्र पढ़ते थे । उक्त दो वर्षों में अनुसूचित जाति के छात्रों को एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को हरिजन कल्याण विभाग बस्ती द्वारा दी गई छात्रवृत्ति एवं अन्य सहायता का दिनांक एवं धनराशि के विवरण की सूची संलग्न है । †

छात्रवृत्ति की धनराशि की बिल सीधे स्टेट बैंक दुबौलिया बाजार, बस्ती में जमा कर दी गई जिसकी धनराशि बैंक द्वारा संबंधित छात्रों के खातों में स्थानान्तरित कर दी गई । उसका भुगतान छात्रों को प्राप्त हो चुका है । सूची संलग्न है †

प्रश्न नहीं उठता ।

---

† छापी नहीं गई ।

गोरखपुर के फरेन्दा वन राजि क्षेत्र के अंतर्गत लकड़ी कटाई हेतु जारी परमिट

86—श्री हर्ष वर्धन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के संदर्भ में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के फरेन्दा वन राजि क्षेत्र के अंतर्गत आम की लकड़ी की कटाई हेतु जारी परमिट के आधार पर जिन गांवों में आम की लकड़ी काटी गयी थी, उन गांवों में बृजमनगंज रेलवे स्टेशन तक ढुलाई हेतु फरेन्दा वन राजि अधिकारी से अभिवहन परमिट लेना नियमानुसार आवश्यक था ? यदि हां, तो क्या यह जारी हुआ साथ ही वन राजि क्षेत्र फरेन्दा गोरखपुर के अंतर्गत आम के पेड़ों की कटाई हेतु जारी परमिटों की कुल संख्या कितनी थी एवं इनमें कितने परमिट निजी कार्य हेतु जारी हुए थे एवं कितने परमिट व्यवसायिक उपयोग हेतु जारी हुए थे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

दिनांक 1 जुलाई 1984 से 30 अप्रैल 85 तक फरेन्दा वन राजि क्षेत्र के अंतर्गत कुल 11 परमिट आम की लकड़ी की कटाई हेतु जारी हुए थे, जिनमें से 2 परमिटों की काटी गई लकड़ी को उन गांवों से बृजमनगंज रेलवे स्टेशन तक ढुलाई हेतु अभिवहन पास जारी हुआ ।

वन राजि क्षेत्र फरेन्दा गोरखपुर के अंतर्गत आम के पेड़ों की कटाई हेतु जारी परमिटों की कुल संख्या 11 थी जिनमें 2 परमिट निजी कार्य हेतु तथा 9 परमिट व्यवसायिक उपयोग हेतु जारी हुए थे ।

87—88—श्री रमाकान्त मिश्र—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

89—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

बस्ती जनपद के ग्राम लोहटा के ग्रामवासियों के शिकायती पत्र पर जांच कार्यवाही

90—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के ग्राम लोहटा विकास खण्ड इटवा के ग्राम वासियों का कोई पत्र दिनांक 17-7-87 उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां, परन्तु ग्राम लोहटा विकास खण्ड इटवा के बजाय विकास खण्ड खुनियांव में स्थित है ।

शिकायतों की जांच कराई गई तथा जांचोपरांत दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के प्राथमिक विद्यालयों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की संख्या एवं पेंशन भुगतान

91–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में प्राथमिक विद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको पेंशन प्राप्त है ? पेंशन वितरण का तरीका क्या है तथा पिछले आठ महीनों से पेंशन के भुगतान न होने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी–

प्राथमिक विद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों की संख्या 1168 है ।

पेंशन वितरण बैंक में खोले गये पेंशन भोगियों के खाते के माध्यम से किया जाता है ।

जनवरी, 1988, तक की पेंशन का भुगतान 8-2-88 को किया जा चुका है ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी में ग्रामीण अभियन्त्रण द्वारा निर्माण कार्य के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

92–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा

श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा निर्माण कराये जा रहे स्कूल भवनों की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का 7-1-87 का पत्र मय संलग्नकों के उन्हें मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है और प्रश्नगत निर्माण कार्यों की जांच टेक्निकल आडिट सेल से कराने में शासन को क्या आपत्ति है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मा0 विधायक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का शिकायती पत्र दिनांक 7-1-87 ग्राम्य विकास मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा निर्माण कराये जा रहे स्कूल भवनों की जांच कराये जाने विषयक मा0 विधायक जी का पत्र दिनांक 27-10-87 मुख्य मंत्री कार्यालय में दिनांक 11-12-87 को प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र में की गयी शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा करायी गयी और जांच का कार्य पूर्ण संतोषजनक पाया गया ।

जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में आई0 आर0 डी0 योजना के अंतर्गत कराये गये कार्यों में शिकायती पत्र पर जांच

93–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा–

श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री श्याम नारायण विश्वकर्मा निवासी ग्राम पीठापर सरैया ब्लाक कटेहरी जनपद फैजाबाद का आई0 आर0 डी0 योजना में होने वाले

भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के दिनांक 3-11-87 के पत्र के साथ जिलाधिकारी फैजाबाद को मिल गया है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने तथा अपराधियों को दण्डित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । शिकायतों की जांच जिला पशुधन अधिकारी, फैजाबाद द्वारा की जा रही है । जांच पूर्ण होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बस्ती के ब्लाक प्रमुख खलीलाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र

94–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुख, खलीलाबाद, जिला बस्ती ने ब्लाक कार्यालय के ठीक सामने लगभग 36 दुकानों का निर्माण बिना नक्शा पास कराये और बिना जिला प्रशासन के बताये खुद अपने भट्ठे से दोयम एवं सोयम ईंट लगवा कर बिना टेण्डर दिये स्वंय निर्मित करवा दिया है तथा क्या यह सच है कि ब्लाक प्रमुख के भ्रष्ट कार्यों की जांच के लिए ग्राम प्रधानों ने जिला प्रशासन बस्ती एवं प्रदेश शासन से मांग की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ब्लाक प्रमुख को निलम्बित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

95–श्री रणजीत–

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 122 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

96–श्री रणजीत–

[4थे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 98 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

शासन द्वारा समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाओं के संबंध में किये गये निर्णय

97–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा कमाण्ड एरिया के अलग से कैडर निर्धारित करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये जिसकी पुष्टि कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21-10-86 को उच्चाधिकारियों की बैठक में की गयी है ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भारत सरकार द्वारा कमाण्ड एरिया में अलग से कैडर निर्धारित करने हेतु कोई निर्देश प्रसारित नहीं किये गये हैं । समादेश क्षेत्रों में अलग से कैडर बनाने के विषय में शासन द्वारा कई बार विचार किया गया और दिनांक 21-10-86 की कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी इस विषय पर विचार किया गया था । शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि समादेश क्षेत्र विकास परियोजनायें

विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम हैं जो निर्दिष्ट योजना अवधि में समाप्त हो जायेंगें । अतः अलग से कैडर बनाने की न तो सम्प्रति आवश्यकता है एवं न ही ऐसा किया जाना जनहित में होगा ।

राज्य विकास विभाग में समादेशों के जूनियर इंजीनियर की कार्य पद्धति

98–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्य अभियंत्रण विभागों की भांति ग्राम्य विकास विभाग में समादेशों के जूनियर इंजीनियर से सीधे निर्माण कार्य कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि समादेश क्षेत्रों में कार्यरत जूनियर इंजीनियर की उपस्थिति कार्यालय में ली जाती है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है जबकि क्षेत्रों में कार्य प्रातः 8 बजे आरम्भ होता है और कार्यालय में 10 बजे उपस्थिति अंकित करने के पश्चात ही वह साईट पर जा सकता है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं । समादेशों में कृषि विभाग उ0 प्र0 के भूमि संरक्षण विभाग में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार निर्माण कार्य सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक के द्वारा भूमि संरक्षण निरीक्षक एवं जूनियर इंजीनियर की देख-रेख में कराया जाता है ।

जूनियर इंजीनियर जब कार्यालय में रहते हैं तभी उपस्थिति पंजिका में उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं । क्षेत्र भ्रमण तथा कार्य के निरीक्षण की दशा में उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है । निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जूनियर इंजीनियर क्षेत्र में प्रातः 8 बजे के पूर्व जाते हैं और कार्य आवश्यकतानुसार क्षेत्र में निवास करते हैं । भ्रमण के दिनों में उनको 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है ।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मधवापार, आजमगढ़ के सुरक्षित कोष का विवरण

99–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसान उच्चतर मा0 विद्यालय मधवापार जनपद आजमगढ़ के सुरक्षित कोष में कितना धन किस बैंक में जमा है ? क्या संस्था के सुरक्षित कोष का संचालन प्रधानाचार्य द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या संस्था के सुरक्षित कोष का विगत पांच वर्षों के सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सुरक्षित कोष में कुल रु0 3000 (तीन हजार) यूनियन बैंक आफ इण्डिया, बिलरियागंज, आजमगढ़ में जमा है । सुरक्षित कोष के सावधि प्रमाण-पत्र (एफ0 डी0 आर्स0) प्रधानाचार्य के पद नाम से बनवाये गये थे । किन्तु तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री पुरुषोत्तम यादव ने वर्ष 1984 में उक्त एफ0 डी0 आर्स0 वर्तमान प्रधानाचार्य को चार्ज में नहीं दिये, जिससे वर्ष 1982 के बाद इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सका ।

गत पांच वर्षों में सुरक्षित कोष की पूरी धनराशि निम्नलिखित एफ0 डी0 आर0 के रूप में रखी गयी :–

क्र0 सं0	सावधि प्रमाण पत्र निर्गत तिथि	नम्बर	धनराशि	प्रमाण पत्र परिपक्व होने की तिथि
1.	9-10-1972	37245/145/136	750/–	9-10-82
2.	3-11-1972	37290/150/136	250/–	13-11-82
3.	27-8-1976	32356/263	2000/–	27-8-82
		योग	3000/–	

श्री इन्द्रजीत सिंह, विज्ञान अध्यापक जनता इण्टर कालेज चरगांवा, गोरखपुर का आमेलन

100–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के जनपद गोरखपुर में जनता इण्टर कालेज चरगांवा गोरखपुर में किसी आरक्षित समूह विज्ञान अध्यापक का एल0 टी0 वेतनमान में बिना पद के जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर ने आमलेन माह अक्टूबर, 1985 में किया था तथा जांच के बाद उक्त आमेलन 20-2-87 को निरस्त कर दिया गया तथा उसके विरुद्ध उक्त आरक्षित समूह विज्ञान अध्यापक व प्रबन्धतंत्र ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त किया है ? क्या स्थगन आदेश में उक्त अध्यापक को अन्यत्र आमेलन से रोक दिया गया है ? यदि नहीं, तो वर्ष 1986 एवं 87 में सेवा निवृत्त से हुए रिक्त पर जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर एवं उप शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल गोरखपुर द्वारा अन्यत्र आमेलन न करने के क्या कारण थे ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी हां ।

मा0 उच्च न्यायालय ने केवल जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-2-87 का कार्यान्वयन स्थगित किया है ।

संबंधित अध्यापक श्री इन्द्रजीत सिंह का आमेलन वर्ष 1985 में ही किया जा चुका था अतः वर्ष 1986 तथा 87 में उनका आमेलन किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी के तहसील गरौठा में नया विकास खण्ड खोले जाने की मांग

101–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जिले में एक नया विकास खण्ड गरौठा तह0 के अंतर्गत स्थापित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है जिसका केन्द्र गरौठा हो, जो वर्तमान में तहसील केन्द्र है ? यदि हां, तो इस प्रकरण पर अंतिम निर्णय कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा यहां के पिछड़े-

पन को देखते हुए गरौठा तहसील में ही एक अतिरिक्त विकास खण्ड स्थापित किये जाने पर मंत्री जी विचार करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण नए विकास खण्ड सृजित करना संभव नहीं है ।

जनपद झांसी में तहसील गरौठा तथा विकास खण्ड बामौर के बीच सीधे सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

102–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री जी झांसी जिले की गरौठा तहसील केन्द्र को सीधा सम्पर्क मार्ग द्वारा विकास खण्ड केन्द्र बामौर से स्थापित किये जाने हेतु ग्राम फेरोखर, सेगुवां, परसुखा गढ़वई होते हुए मार्ग निर्माण कराये जाने के आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गरौठा तहसील-केन्द्र तथा विकास खण्ड बामौर के बीच 30 कि0 मी0 का पक्का सम्पर्क मार्ग पहले ही बना हुआ है । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के स्तर पर सड़कों का चयन स्थानीय प्राथमिकताओं और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मापदण्डों के आधार पर किया जाता है ।

श्री राजेश कुमार वर्मा स0 अ0 प्रा0 पा0 बाहरा बाराबंकी के अपील के संबंध में प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

103–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बाराबंकी द्वारा श्री राजेश कुमार वर्मा स0 अ0 प्रा0 पा0 दरहरा, बाराबंकी द्वारा की गयी अपील के निर्णय के संबंध में विषयान्तर्गत पत्र संख्या शि0 सं0/1921-22/86-87 दिनांक 4-8-86 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

नियमानुसार कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बच्चू सिंह, वनविद, बांदा की जन्म तिथि में परिवर्तन करने वाले लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही एवं आहरित वेतन की वसूली

104—श्री राम सजीवन—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा वन प्रभाग के श्री बच्चू सिंह वन-विद को उनकी जन्म तिथि के अनुसार वर्ष 1983 में सेवा निवृत्त होना था परन्तु उनकी सेवा पुस्तिका में उनकी जन्म तिथि बढ़ाकर उन्हें वर्ष 1985 में सेवा निवृत्ति किया गया ? यदि हां, तो इस गंभीर अनियमितता के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

इस अनियमितता के लिए दोषी अधिष्ठान लिपिक को निन्दित किया गया तथा सम्बन्धित वन दरोगा से दिनांक 1-6-83 से 31-1-85 तक अधिक आहरित वेतन एवं भत्ते की वसूली कर ली गई है ।

105—श्री राम सजीवन—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई में फारेस्ट गार्डों की नियुक्ति

106—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई अगस्त, 1987 के दौरान जनपद हरदोई में फारेस्ट गार्डों की नियुक्तियां अनैतिक ढंग से की गयीं? यदि नहीं, तो क्या यह सही नहीं है कि ऐसी ही शिकायत आने पर जिलाधिकारी हरदोई द्वारा चयन का परिणाम रोके जाने हेतु आदेशित करने के बाद भी सूची घोषित कर दी गयी? क्या वन मंत्री जी इन सारे तथ्यों की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

जिलाधिकारी हरदोई द्वारा चयन का परिणाम रोके जाने के कोई आदेश नहीं दिये गये। जिलाधिकारी, हरदोई ने प्रभागीय निदेशक, हरदोई को आदेश दिये कि नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व संबंधित पत्रावली सहित जिलाधिकारी से विचार-विमर्श कर लें। प्रभागीय निदेशक, हरदोई व जिलाधिकारी, हरदोई से विचार-विमर्श करने के उपरान्त ही वन रक्षक/वन प्रसार कर्ता के पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किये गये। उपरोक्त कार्यवाही के परिपेक्ष में इसकी आवश्यकता नहीं है।

107—108—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 4-1-88 को अता0 प्र0 सं0 9 व 10 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत मार्गों का निर्माण

109—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् हरदोई द्वारा जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 के दौरान

किन-किन मार्गों पर खड़ंजा का कार्य कराया गया एवं उन पर प्रति वर्ग मीटर औसत कितनी ईंटों को बिछाया गया? क्या इसकी जानकारी टी0 ए0 सी0 द्वारा कराकर वस्तु स्थिति से सदन को जानकारी देने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि जिला परिषद् हरदोई द्वारा खड़ंजा कार्यों के निमित्त ईंटों की आपूर्ति में पी0 डब्लू0 डी0 जैसे अन्य विभागों के मुकाबले लगभग 20 प्रतिशत अधिक धनराशि व्यय की गयी है? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

आलोच्य अवधि में जिला परिषद् हरदोई द्वारा निम्नलिखित मार्गों पर खड़ंजे का कार्य कराया गया :–

1–काशीपुर–सौहा मार्ग
2–अनंगपुर-अल्लाहगंज मार्ग
3–अटिया-मझिगवां मार्ग
4–अन्धपुर-लोधौरा मार्ग
5–लखनऊ रोड से मुन्नू खेड़ा मार्ग
6–रनिया मऊ कटारपुर मार्ग
7–रामपुर-अधरनपुर मार्ग
8–मवैया बेहटागोकुल मार्ग
9–अतरौली-छतिहा मार्ग
10–कोथावा-माल रोड से हत्याहरण मलेहरा मार्ग
11–अहिरावां अटिया शाहपुर मार्ग

उक्त मार्गों पर प्रति वर्ग मीटर औसतन 60 ईंटों का प्रयोग किया गया।

प्रसंगत मार्गों के निर्माण में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है इसलिए टी0 ए0 सी0 के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

ईंटों की आपूर्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग के शिड्यूल आफ रेट के अनुरूप ही की गई है।

110–111–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

112–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद देवरिया के विकास खण्ड गौरी बाजार में निःशुल्क बोरिंग एवं अनुदान देने की संख्या

113–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड गौरी बाजार जनपद देवरिया में 1984-85, 1985-86, 1986-87 में कितने निःशुल्क बोरिंग लगाये गये तथा कितने पम्पिंग सेट दिये गये तथा कितनों पर छूट दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

विकास खण्ड गौरी बाजार जनपद देवरिया में वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 में क्रमशः 12, 63 तथा 71 निःशुल्क बोरिंग की गयी। समस्त बोरिंग पर पम्पसेट लग चुके हैं तथा सभी मामलों में अनुदान दिया जा चुका है।

जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध शिकायत सम्बन्धी कथित पत्र

114–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-4-86 जो जिला पंचायत राज अधिकारी देवरिया द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारियों की अनियमित नियुक्ति किये जाने के संबंध में, था प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नकर्ता का दिनांक 26-4-86 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

समादेश क्षेत्रों के अन्तर्गत रामगंगा कमाण्ड में कार्यों का मापन

115–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समादेश क्षेत्रों के अंतर्गत कच्चे कार्य का मापन गैर तकनीकी कर्मचारियों से कराया जाता है? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा कमाण्ड में पक्के कार्यों का भी मापन गैर तकनीकी कर्मचारी ही करता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

समादेश क्षेत्रों के अन्तर्गत कच्चे कार्यों का मापन भूमि संरक्षण में प्रशिक्षित भूमि संरक्षण निरीक्षक द्वारा कराया जाता है। इन कार्यों का मापन के पश्चात् जूनियर इंजीनियर द्वारा शत प्रतिशत सत्यापन किया जाता है। रामगंगा कमाण्ड में पक्के कार्यों का भी मापन भूमि संरक्षण निरीक्षक द्वारा किया जाता है जिसका शत प्रतिशत सत्यापन जूनियर इंजीनियर द्वारा किया जाता है।

प्रदेश के समादेश क्षेत्रों के जूनियर इंजीनियर को प्रोन्नति देने के प्रस्ताव प्रशासक को प्राप्त

116–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारियों/उप कृषि निदेशकों के रिक्त पदों पर विकास अधिकारियों को वेस्ट लैण्ड वलीकरण योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति देकर पद स्थापित करने का मामला शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों जबकि इस योग्यता वाले अनुभवी जूनियर इंजीनियर भी कमाण्ड में कार्यरत हैं? क्या समादेशों के मूल क्षेत्रीय कर्मचारी जू0 इं0 की पदोन्नति उच्च पदों पर नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

इस प्रकार की कोई योजना समादेश क्षेत्रों के अन्तर्गत नहीं है। अतः प्रोन्नति का प्रश्न ही नहीं उठता। समादेश क्षेत्रों के जूनियर इंजीनियर की प्रोन्नति के प्रस्ताव परियोजना प्रशासक, शारदा सहायक से प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

जिला परिषद् फैजाबाद द्वारा स्कूलों के निर्माण किये गये व्यय का विवरण

117–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् फैजाबाद के पास जनपद फैजाबाद की प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाईस्कूलों के भवनों के निर्माण कार्यों को अब तक प्रारम्भ अथवा पूरा न करा पाने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है तथा उक्त निर्माण कार्यों को कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला परिषद् फैजाबाद को विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण/मरम्मत हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि तथा उसके समक्ष व्यय की धनराशि का अद्यावधिक विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0 वर्ष	स्वीकृत की गयी धनराशि रुपया	उपयोग की गयी धनराशि रुपया	अवशेष रुपया
1–द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल से वर्ष 1971-72 तक	10,97,050.16	6,08,252.89	4,88,797.27
2–1980-81	4,50,000	4,50,000	—
3–1980-81	3,00,000	3,00,000	—
4–1983-84	30,000	30,000	
5–1983-84	3,60,000	3,60,000	—

उक्त कुल स्वीकृत धनराशि से 37 विद्यालय भवनों का निर्माण/पुर्ननिर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया था, जिसमें 27 भवनों की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है, शेष 10 भवनों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जिसे वर्ष 1987-88 के अन्त तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव द्वारा विद्यालयों में श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी की जयन्ती मनाये जाने के निर्देश

118–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में स्व0 विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की जन्म तिथि मनाये जाने संबंधी आदेशों के अनुपालन

में उन्नाव जिले के विद्यालयों में कलैण्डर वर्ष 86 व 87 में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है? क्या यह सच है कि किसी भी बेसिक जूनियर हाईस्कूल में त्रिपाठी जयंती आदेशों की अवहेलना कितने विद्यालयों ने की? कितने विद्यालयों में जयन्ती मनाई गयी है? अवहेलना के लिए दोषी लोगों पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सिब्ते रजी–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव द्वारा 5 अक्तूबर को श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी की जयन्ती मनाये जाने के निर्देश थे। यह निर्देश वर्ष 86 व 87 की अवकाश तालिका में दिये गये थे। विद्यालय शिक्षण समय में ही उक्त जयन्ती मनाये जाने के निर्देश थे। ऐसा न करने की सूचना किसी विद्यालय से प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में "इनसैट फार एजूकेशन प्रोजेक्ट" के अन्तर्गत दी जाने वाली शिक्षा में जनपदों एवं विद्यालयों की संख्या

119–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उ0 प्र0 के किन किन जिलों में कितने विद्यालयों में टी0 वी0 द्वारा शिक्षा दी जा रही है तथा उस पर कितना धन अभी तक व्यय किया जा चुका है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के 896 चयनित बेसिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में "इनसैट फार एजूकेशन प्रोजेक्ट" के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता से लगाये गये श्वेत-श्याम टी0 वी0 सैट्स के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है।

ऐसे जनपदवार विद्यालयों की संख्या निम्नवत् है :–

1–गोरखपुर	457
2–बस्ती	233
3–आजमगढ़	206

अब तक इस परियोजना पर 79 लाख रुपये व्यय किया गया है, जिसमें से रु0 41 लाख आवर्तक और रु0 38 लाख अनावर्तक व्यय है।

120–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[दिनांक 29-2-88 को अता0 व0 सं0 48 द्वारा उत्तरित]

भूगर्भ सर्वेक्षण संगठन उत्तर प्रदेश में भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त "सुदृढ़ीकरण योजना"

121–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में ग्राम्य विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 8063/38-3/1874/1975 दिनांक 30-12-77 द्वारा भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त "सुदृढ़ीकरण योजना" के

अन्तर्गत 2 परिकल्प मंडल एवं 8 विशिष्ट खण्ड स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो वे कौन से कारण थे कि परिकल्प हेतु स्वीकृत 5 डिजाइन खण्डों को क्षेत्रीय खण्डों में परिवर्तित करने के पूर्व भारत सरकार से विधिवत् अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था? यदि नहीं, तो क्यों? विभाग को सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत केन्द्र से विगत तीन वर्षों में कितनी मैचिंग ग्रान्ट प्राप्त हुई तथा क्या परिणाम रहे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उत्तर प्रदेश में भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त ''सुदृढ़ीकरण योजना'' के अन्तर्गत तीन यूनिट्स की पदों के साथ स्वीकृति प्राप्त हुयी थी, जिसमें दो मण्डल तथा 8 खण्ड थे, जिनमें से अभियंत्रण परिकल्प हेतु तीन खण्ड सृजित हुए थे।

अप्रैल, 1981 में प्रदेश सरकार द्वारा सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मण्डलों तथा खण्डों को राज्य योजना के अन्तर्गत ले लिया गया और कार्य की आवश्यकतानुसार इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मण्डलों तथा खण्डों के कार्यों एवं कार्य क्षेत्र में तत्पश्चात् परिवर्तन किये गये इसी कारण भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हुयी। भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के केन्द्रीय सुदृढ़ीकरण योजना जो अब केवल विशिष्ट उपकरण के लिए है, के अन्तर्गत भारत सरकार से केवल वर्ष 86-87 में ही रु0 20 लाख (50 प्रतिशत मैचिंग ग्रान्ट) की स्वीकृति प्राप्त हुयी जिसके अन्तर्गत विशिष्ट उपकरणों के क्रय की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में शासनादेशानुसार वन दरोगाओं को उपराजिक पद पर प्रोन्नति

122–श्री धनराज यादव–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में वन दरोगाओं के छः प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिनमें प्रशिक्षित प्रथम स्थान प्राप्त दरोगाओं के पदोन्नति उपराजिक पद पर किये जाने की परम्परा है और उसी परम्परा के अनुपालन के तहत वर्ष 1984 तक विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित वन दरोगाओं को पदोन्नति उपराजिक पद पर की गयी? यदि हां, तो 1984 के बाद प्रथम श्रेणी प्राप्त दरोगाओं के पदोन्नति न होने का क्या कारण है?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

जी हां। इस संबंध में शासनादेश है।

जी नहीं।

अनुपालन की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बस्ती के कतिपय विकास खण्डों के प्राइमरी पाठशालाओं में लगे टेलीविजन की स्थिति एवं व्यवस्था

123–श्री धनराज यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास खण्ड बर्डपुर उस्का बाजार नौगढ़ में किन किन प्राइमरी पाठशालाओं में वर्ष 85-86, 86-87 में टेलीविजन लगे हैं तथा उन लगे टेलीविजनों में कहां कहां सेट चल रहे हैं और कहां

कहां कितने दिनों से खराब पड़े हैं इनकी मरम्मत न होने का क्या कारण है? क्या इन खराब पड़े टेलीविजन सेटों को सरकार वापस लेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

वर्ष 85-86 में बर्डपुर ब्लाक के 7, उस्का बाजार के 6 तथा नौगढ़ ब्लाक के 7 स्कूलों में टेलीविजन सेट लगे हैं। वर्ष 1986-87 में उक्त तीन विकास खण्डों में कोई अतिरिक्त टेलीविजन सेट नहीं लगाए गये।

उन लगे सेटों में से बर्डपुर में 2, उस्का बाजार में 5 तथा नौगढ़ में 2 टेलीविजन सेट कार्य कर रहे हैं। खराब सेटों की स्थिति निम्नवत् है :–

1–बर्डपुर	5
2–उस्का बाजार	1
3–नौगढ़	5

टेलीविजन सेट्स के रख-रखाव का कार्य प्रदेश शासन तथा अपट्रान इण्डिया लिमि0 के मध्य हुए अनुबन्ध के अनुसार अपट्रान इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है जो आवश्यकतानुसार खराब सेटों की मरम्मत का कार्य संबंधित सेट्स के कस्टोडियन्स से सूचना प्राप्त होने पर एक निर्धारित अवधि के अन्दर ही कराते रहते हैं। यह एक निरन्तर चलती हुई प्रक्रिया है। इस प्रकार खराब सेटों की मरम्मत का उचित प्रबन्ध किया गया है और उनकी मरम्मत न होने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी बांदा के ग्राम रहूसत में गड़रा नाले पर पुल बनाने सम्बन्धी कथित पत्र

124–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 113 सी0 पी0 दिनांक 9 नवम्बर, 1985 को जिलाधिकारी बांदा को ग्राम रहूसत ब्लाक नरैनी जनपद बांदा में हरिजन एवं पिछड़े वर्गों के आवागमन के लिए गड़रा नाला में पुल बनवाने के संबंध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र में क्या कार्यवाही हुई? क्या तुरन्त उपरोक्त नाले पर पुल के निर्माण के संबंध में सर्वे कराके प्राक्कलन तैयार करके अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी परियोजना बांदा को भेजा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम रहूसत में गड़रा नाला वर्षा में बाढ़ के कारण विकराल रूप धारण कर लेता है जिस पर बड़ी लागत के पुल के निर्माण की आवश्यकता है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत इस आयाम के निर्माण कार्यों को करने की व्यवस्था नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य

125–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा जनपद बुलन्दशहर में दिनांक 31-10-87 तक कितने कि0 मी0 खड़ंजा स्तर तक सड़क का निर्माण हुआ है? क्या उपरोक्त सड़कों को पेन्टिंग स्तर तक निर्माण कराने की इस वर्ष एक विकासशील योजना स्वीकृत करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा जनपद बुलन्दशहर में दिनांक 31-10-87 तक 247.78 कि0 मी0 खड़न्जा स्तर का सड़क निर्माण हुआ है। संसाधनों के अभाव में कारण इस वर्ष इन सड़कों की पेन्टिंग स्तर तक पूर्ण करने की कोई योजना नहीं है।

जनपद सुल्तानपुर में सहायता प्राप्त इन्टरमीडिएट कालेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की संख्या

126–श्री हर्षवर्धन–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में सहायता प्राप्त इन्टरमीडिएट कालेजों में प्रधानाचार्यों के कितने पद माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा भरे जाने हेतु रिक्त हैं? उनमें स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को आरक्षण की सुविधा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

इस समय जनपद सुल्तानपुर के सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कालेजों में प्रधानाचार्यों के 5 पद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा भरे जाने हेतु रिक्त हैं।

प्रत्येक कालेज में प्रधानाचार्य का केवल एक पद होता है, अतः इस पद के लिए आरक्षण नहीं किया जा सकता।

जनपद बलिया के कतिपय विकास खण्डों में लगाये वृक्षों की अलग-अलग संख्या

127–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सीयर, नगरा व रतनपुरा विकास खण्ड में वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 में विभिन्न स्तरों से कितने-कितने वृक्ष लगाये गये हैं तथा इनमें से फलदार वृक्ष कितने लगाये गये हैं? क्या सरकार मात्र सीयर व नगरा विकास खण्डों में पांच-पांच ग्राम सभाओं में वृक्षारोपण का सत्यापन करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । सीयर, नगरा व रतनपुरा विकास खण्डों में वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 में विभिन्न स्तरों से लगाये गये वृक्षों की संख्या तथा फलदार वृक्षों की संख्या निम्न है :–

वर्ष	विकास खण्ड का नाम	रोपित पौधों की संख्या	रोपित फलदार पौधों की संख्या (कालम 3 में से)
1	2	3	4
1984-85	रतनपुरा	13900	590
	सीयर	76000	2525
	नगरा	59900	3593
1985-86	रतनपुरा	32425	595
	सीयर	46370	3001
	नगरा	30200	175
1986-87	रतनपूरा	182045	1517
	सीयर	98934	3679
	नगरा	94757	730

सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपणों का मूल्यांकन विभाग में स्थापित मूल्यांकन इकाई द्वारा समय-समय रेंडम सैम्पलिंग के आधार पर किया जाता है, अतः इसके लिए अलग से कोई सत्यापन कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

जनपद बदायूं में ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या

128–श्री सरदार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद में ग्राम पंचायत अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं? क्या इनकी पूर्ति हेतु कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

38 पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री छाबी लाल यादव व श्री मोती लाल हरिजन ग्राम सभा पियार, जनपद बांदा का अर्द्ध निर्मित नलकूप को पूरा कराने सम्बन्धी कथित पत्र

129–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 25-9-87 पत्रांक संख्या घ, 020947 बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी ग्राम सभा पियार के मजरा मुखियनपुरवा के श्री छाबी लाल यादव व श्री मोतीलाल हरिजन

के संलग्न पत्र के साथ प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पत्र में अर्द्ध निर्मित कूप को पूरा कराने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो कूप कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-9-87 शासन स्तर, आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय तथा जनपद कार्यालय में प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के तहसील नरैनी मुख्यालय में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने की मांग

130–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या 282/शिक्षा/87 दिनांक 27-7-87 का पत्र बांदा जनपद के तहसील नरैनी मुख्यालय में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

नरैनी तहसील में पूर्व से बालिका हाईस्कूल है। अतः योजना/प्राविधान के अभाव में नरैनी में राजकीय बालिका हाईस्कूल खोलना सम्भव नहीं हो सका ।

श्री शुकदेव प्रसाद, अवकाश प्राप्त अध्यापक, हिन्दू इण्टर कालेज, अतर्रा, बांदा के जी0 पी0 एफ0 का भुगतान

131–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या 284/शिक्षा/87/दिनांक 27-7-87 श्री शुकदेव प्रसाद अवकाश प्राप्त अध्यापक, हिन्दू इण्टर कालेज, अतर्रा, जनपद (बांदा) के जी0 पी0 एफ0 के निष्कासन के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

सम्बन्धित अध्यापक को जी0 पी0 एफ0 से अन्तिम निष्कासन का भुगतान किया जा चुका है।

लघु सिंचाई विभाग, फैजाबाद मण्डल में लिपिकों की नियुक्ति हेतु आरक्षण नीति

132–श्री मित्रसेन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का शासनादेश निहित है ? यदि हां, तो लघु सिंचाई विभाग, फैजाबाद मण्डल में कितने ज्येष्ठ लिपिक अनुसूचित जाति के वरिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत हैं ? क्या शासनादेशानुसार अधिशासी अभियन्ता (ल0 सिं0) फैजाबाद द्वारा अनुसूचित जाति के कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति वरिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?

क्या अल्प सिंचाई विभाग में अनुसूचित जातियों का आरक्षण कोटा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का फैजाबाद मण्डल में पूर्ण है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का शासनादेश निहित है।

लघु सिंचाई विभाग, फैजाबाद मण्डल में ज्येष्ठ लिपिक अनुसूचित जाति का कोई भी वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत नहीं है।

जी नहीं ।

अधिशासी अभियन्ता (ल0 सिं0) फैजाबाद द्वारा अनुसूचित जाति के कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति वरिष्ठ लिपिक के पद पर नहीं की गई है।

अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति नहीं की जा सकी ।

जी नहीं ।

वर्तमान में पर्याप्त रिक्तियां न होने के कारण आरक्षित कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका ।

133–श्री राज किशोर सिंह–

[3रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

134–श्री राम सागर–

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

जिला अल्मोड़ा के ग्राम डोटल में जल निगम द्वारा सुविधा

135–श्री भगवानदीन कुशवाहा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम डोटल गांव, तहसील रानीखेत, पो0 आ0 बगवाली पोखर, जिला अल्मोड़ा के निवासियों को विशेषकर हरिजनों को ग्राम सभापति की गलत सूचना के कारण नल, गूल, पीने के पानी की डिगियों की पर्याप्त सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो सरकार उक्त गांव वासियों की पानी की समस्या का समाधान कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ग्राम डोटल गांव हेतु जल निगम द्वारा क्रियान्वित योजना में एक जल स्तम्भ हरिजन बस्ती में लगाया गया है। ग्राम सभापति द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दिये जाने से ग्राम डोटल गांव में पानी की कोई असुविधा होने की पुष्टि नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता । फिर भी योजना के अन्तर्गत पानी निरन्तर उपलब्ध कराने हेतु जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

136–श्री राम सजीवन–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद बलिया में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में मृतकों के आश्रितों की नियुक्ति संख्या

137—श्री काशी सिंह एरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इण्टरमीडिएट कालेजों में वर्ष 1981 से दिसम्बर, 1987 तक कितने मृतकों के आश्रितों को राजाज्ञा सं0 म/6648/15-7-1(78)/1981 दिनांक 23-9-81 के अनुसार सेवायोजित किया गया है तथा कितने सामान्य अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उक्त शासनादेश के अन्तर्गत श्री शम्भू नाथ पाठक पुत्र स्व0 श्री ब्रह्मानन्द पाठक, प्रवक्ता (संस्कृत) अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय पचरुखा देवी इण्टर कालेज गाय बलिया की नियुक्ति की गयी ? यदि हां, तो उन्हें कार्यभार कब ग्रहण कराया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

14 मृतकों के आश्रितों को सेवायोजित किया गया है।

126 सामान्य अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की गयी हैं।

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया द्वारा डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज को कतिपय पदों पर नियुक्ति हेतु नोटिस

138—श्री काशी सिंह एरी—

क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया ने अपने पंजीकृत पत्रांक मा-3/16021-22/87-88 दिनांक 25-8-87 द्वारा प्रबन्धक डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज बिल्थरा रोड बलिया को मृतक के आश्रित श्री शम्भू नाथ पाठक को कार्यभार ग्रहण न कराने के विषय में 16 डी के अन्तर्गत कार्यवाही की नोटिस दी है? यदि हां, तो क्या साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया ने प्रबन्धक को सहायक लिपिक के रिक्त पद पर श्री शम्भू नाथ पाठक की नियुक्ति किये जाने के संबंध में नोटिस दी थी किन्तु इसी विद्यालय के एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी श्री दूधनाथ प्रसाद द्वारा पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत अपनी नियुक्ति किये जाने के लिए प्रस्तुत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 2-9-87 के परिपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक ने श्री दूधनाथ प्रसाद की प्रोन्नति को न्यायोचित ठहराते हुए उन्हें सहायक लिपिक के उक्त पद पर नियुक्त किये जाने का आदेश दिनांक 22-2-88 को पारित कर दिया जिसके फलस्वरूप उक्त रिक्त स्थान भर गया और श्री शम्भूनाथ पाठक की नियुक्ति नहीं की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

139–श्री राम सजीवन–

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 133 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित किया गया]

140–श्री विनोद कुमार–

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

(शिक्षा मंत्री, श्री सिब्ते रजी द्वारा प्रश्न सं0 7 का उत्तर पढ़ने पर सर्वश्री शारदानन्द अंचल, मुहम्मद आजम खां, जवाहर सिंह यादव आदि अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 2 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी। तत्पश्चात् 12 बज कर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि माननीय मल्ल साहब की हत्या . . . .

श्री अध्यक्ष–

अभी मैंने आपको पुकारा नहीं ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

अगर नियमानुसार नहीं है तो नियमों का निलंबन कीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

अभी दो मिनट में खतम किये देता हूं । पहले 301 की सूचनायें लेता हूं ।

जनपद कानपुर व जालौन की फर्जी हैण्डलूम इकाइयों द्वारा अनुदान के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अंतर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुईं । उनमें से 6 सूचनाएं स्वीकार हुई हैं । इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन सहमति से 6 सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गईं ।)

श्री मनोहर लाल–

[मान्यवर, कानपुर तथा जालौन जिले के कालपी कस्बे में हैण्डलूम वस्त्र बनाने वाली डेढ़ दर्जन से अधिक अस्तित्व हीन इकाइयों ने जिला उद्योग केन्द्र के सामान्य प्रबन्धक की साजिश से 80 लाख से ज्यादा का अनुदान हड़प लिया । इस तिकड़म ने सामान्य प्रबन्धक ने काफी साहस के साथ बिचौलियों के माध्यम से लेन देन तय किया तथा सरकारी कानून कायदों की परवाह न करते हुए कागजी इकाइयों को अनुचित लाभ कराया । इस अनुदान के राशि में सबसिडी की लाखों रुपये की धनराशि फर्जी विभाग के अधिकारियों के बंदरबांट का नमूना है । इस तरह से बुनकरों के साथ अन्याय करके फर्जी इकाइयों को करोड़ों रुपया पैदा करवाने का काम सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रहे हैं ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन व सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र कार्यवाही तथा दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद जालौन के गजेन्द्र कोल्ड स्टोरेज को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[महोदय, उरई जिला जालौन में गजेन्द्र कोल्ड स्टोरेज विगत 2 वर्षों से बनकर तैयार है किन्तु विद्युत विभाग के भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण आज तक उसका विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया जब कि माननीय मुख्य मंत्री ने ऊर्जा सचिव को 24 फरवरी, 88 तथा 26 फरवरी, 88 को लिखित आदेश देने के बाद भी गजेन्द्र कोल्ड स्टोरेज द्वारा सभी औपचारिकताएं को पूरा करने के बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया । जालौन जिले में एक मात्र यह शीतगृह है ।

किसानों ने हजारों बोरे आलू कोल्ड स्टोरेज पर लाकर जमा कर दिया है जो बाहर रखा है । वहां आलू रखने कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने से कोल्ड स्टोरेज के विद्युत कनेक्शन न देने से किसानों में भारी रोष व क्षोभ है । उनके आलू सड़ने की गम्भीर समस्या है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से गजेन्द्र कोल्ड स्टोरेज को विद्युत कनेक्शन देने हेतु अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

बरेली महानगर में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

डा0 दिनेश जौहरी–

[महोदय, गत सप्ताह बरेली नगर के सिटी स्टेशन के सामने राष्ट्रीय मार्ग पर एक ट्रक का ड्राइवर अपना सन्तुलन खो बैठा जिसके कारण एक धर्मशाला के सामने जहां एक हरिजन परिवार में शादी की तैयारी हो रही थी, शादी में आये लोगों को रौंद दिया और चार लोग मर गए जिसमें 3 हरिजन नवयुवक थे । अनेकों को गम्भीर चोटें आयी तथा कई लोगों के हाथ पैर कट गए । शादी मातम में बदल गई ।

इस प्रकार की घटनाएं बरेली नगर में आये दिन हुआ करती हैं तथा इस वर्ष अनेकों दर्दनाक दुर्घटनाएं व मौतें हुई हैं ।

दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बरेली महानगर में ट्रांसपोर्ट नगर का न होना व शाहजहांपुर रोड को रामपुर रोड को जोड़ने वाली सड़कों पर बाई पास न होना है, जिसके कारण ट्रकों को शहर के मुख्य मार्गों से गुजरना होता है । तेजी से आते हुए ट्रकों से हर समय दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है । स्कूली बच्चे, दफ्तर जाने वाले लोगों व राहगीरों को जान का खतरा सदैव बना रहता है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बरेली में ट्रासपोर्ट नगर बनाने व लखनऊ-दिल्ली राजमार्ग पर बरेली में बाई पास बनवाने तथा कथित दुर्घटना में मारे गए हरिजन युवकों के परिवारों को उचित मुआवजा दिये जाने की मांग करता हूं]

सिंचाई विभाग के अंश कालीन नलकूप चालकों को वेतन वृद्धि व मंहगाई भत्ता आदि सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[सिंचाई विभाग में कार्यरत अशंकालीन नलकूप चालकों के शोषण की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इन्हें वेतन बहुत कम दिया जाता है । न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत यदि कार्यरत माना जाय तो भी 17.60 पैसे मिलना चाहिए। महगाई भत्ता भी नहीं दिया जाता है जिसकी 6 अगस्त 84 से 86 तक 5 किस्तें देय हैं। इस बारे में श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा जारी किये गये आदेश संख्या 4682 दिनांक 9 अप्रैल तथा उसी क्रम संख्या 8059 दिनांक 5 सितम्बर, 86 जारी हुआ । शासनादेश अ 300/85/-258/1133/1133/82 दिनांक 2-2-85 व शासनादेश संख्या अ 3-82/23 सि 8/82-113/82 दिनांक दिसम्बर 82 तथा श्रम अनुभाग 3 की अधिसूचना संख्या 1699/36/3-23 एम0 50 यू0 83 दिनांक 5 अगस्त 84 देखने योग्य हैं । जिनका लाभ अभी तक इन्हें नहीं दिया गया ।

मैं अंशकालीन नलकूप चालकों की मांग की कि उन्हें समय-समय पर अनुमन्य मंहगाई भत्तों की किस्तें दी जांय तथा सेवायें स्थाई की जांय तथा आवश्यकता पर आधारित वेतन तय करने हेतु एक कमेटी गठित की जाय पर बल देकर उनकी पूर्ति की मांग करता हूं]

जनपद उन्नाव के थाना गौरांवा की पुलिस द्वारा अत्याचार किए जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[उन्नाव जनपद में होली के अवसर पर पुलिस और आराजकता तत्वों की मिली-जुली गुण्डई के कारण लगभग 100 लोग घायल हुए हैं । थाना गौरावां में स्थानीय सब-इन्सपेक्टर ने दारु पीकर बाजार में पूरी बाजार को अपमानित किया और एक सामाजिक कार्यकर्ता विधान सभा क्षेत्र पुरवा, की जनता पार्टी के संगठन मंत्री शिव कुमार गुप्त को लाठियों से मारा, जब जनता ने शराब में बेहोश दरोगा को समझाने की कोशिश की तो दरोगा ने अपना सर्विस रिवाल्वर तान लिया ।

कस्बा गौरावां में शराब के नशे में की गयी इस पुलिस नंगई को लेकर व्यापारियों और नागरिकों में तीव्र जनाक्रोश है । बाजार बन्द होने की धमकी दी जा चुकी है । पुलिस अत्याचार से उत्पन्न जनाक्रोश के अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गाजीपुर के जिला पूर्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[मैं जनपद गाजीपुर, में जिलापूर्ति विभाग द्वारा किये जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । जहां पर मिट्टी के तेल डीजल एवं पेट्रोल जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कमीशन लेकर की जा रही है । मिट्टी का तेल 2.40 पैसे की जगह 3.00 एवं रु0 3.50 प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है । जमानियां तहसील में मिट्टी के तेल का बिक्री भाव आवश्यकता से ज्यादा क्यों निर्धारित किया गया है ? मिट्टी के तेल एवं डीजल की मिलावट आम बात हो गयी है । मिट्टी के तेल की डीजल एवं कोयले के होल सेलरों से जिलापूर्ति कार्यालय की मिली भगत है । जिलापूर्ति विभाग के इस मनमानी पन से जनता में बड़ा ही क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है । शासन की दूकानों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति समय से एवं उचित मूल्य पर नहीं की जा रही है । निश्चित रूप से इससे शासन की छवि खराब हुई है ।

अतः मान्यवर, आपसे निवेदन है कि उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने का निर्देश दें । जिससे जनता के साथ न्याय मिल सकें ।

इसके लिये मैं आपका सादर आभारी रहूंगा ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अंतर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई जिन्हें मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

(सर्वश्री शारदा नन्द अंचल, कमलेश पाठक, भगौती सिंह आदि अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे उत्पन्न व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सैंतीसवां संशोधन) नियमावली, 1986 †

परिवहन राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 3734 टी 30-4-13-पी-81, दिनांक 29 जनवरी, 1986 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सैंतीसवां संशोधन) नियमावली, 1986 को विलम्ब के कारणों सहित मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

†छपी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (उन्चासवां संशोधन) नियमावली, 1987 †

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 2740-टी 30-4-2-पी-85, दिनांक 27 अक्टूबर, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (उन्चासवां संशोधन) नियमावली, 1987 को मोटर वेहिकिल्स एक्ट 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1984-85 एवं वर्ष 1985-86 †

पर्वतीय विकास एवं सहकारिता राज्य मंत्री (श्री राम अवतार दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, उत्तर प्रदेश की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1984-85 एवं वर्ष 1985-86 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की धारा 26 (ढ) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

दि यू0 पी0 स्टेट डेवेलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1983-84††

लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, दि यू0 पी0 स्टेट लेदर डेवेलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1983-84 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1983-84††

लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1983-84 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 1985-86 वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां)††

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 1985-86 वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत का संविधान के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापी नहीं गयी ।

††छापा नहीं गया ।

मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 5098-टी 30-4-25-के एम0-77, दिनांक 16 नवम्बर, 1987 को मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1987††

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 404 टी 30-4-87-11 पी-81, दिनांक 4 फरवरी, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (सातवां संशोधन) नियमावली 1987 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम 1962 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 15

(मद संख्या 15 के पुकारे जाने पर विरोध पक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे किन्तु श्री मुलायम सिंह यादव के प्रयास से सभी वापस चले गये).

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, पहले मैं आपसे क्षमा चाहते हुये यह कहना चाहता हूं कि आप इस सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिये आपको ही [× × ×].. (व्यवधान)

दिनांक 2 फरवरी, 1988 को हुए सचिवालय काण्ड में गिरफ्तार किये गये विधायकों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप कार्य-स्थगन के प्रस्ताव ले रहे हैं, इससे हम सारे लोग सहमत हैं लेकिन जो मद संख्या 11 है- गिरफ्तारी के संबंध में- उसके संबंध में 2 तारीख को 3 माननीय सदस्य गिरफ्तार हुये थे-श्री भोपाल सिंह, श्री शारदा प्रताप तथा श्री वीरेन्द्र सिंह .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उस सिलसिले में मैं निर्णय दे चुका हूं।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

नोट :–[× × ×] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

वह आपने विशेषाधिकार समिति को देने के संबंध में निर्णय दिया है। लेकिन गिरफ्तारी के बारे में मेरा निवेदन सुन लें, जो तीन सदस्यों की गिरफ्तारी की गयी थी वह फर्जी मुकदमें के तहत की गयी। उसको आप नियम 56 के बाद कहें तो उसके बाद सुन लें या पहले सुन लें जैसा आप कहें। माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी जिस तरीके से की गयी वह बहुत ही शर्मनाक है। यह माननीय सदस्यों की गरिमा का प्रश्न है जो बिल्कुल निर्दोष है। शिक्षा सचिव के यहां वह गये थे और जिस तरह से दफा 147, 542, 504, 506 में फर्जी दफायें लगा कर उनको गिरफ्तार किया गया तो उसके बारे में उन माननीय सदस्यों को सुन लें किस हालत में उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कहां ले जाया गया और किस तरह से व्यवहार किया गया?

श्री मुलायम सिंह यादव–

तो मान्यवर, मैं कह रहा था

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, इस पर क्या निर्णय दिया जो माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है?

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय मुलायम सिंह जी को बुला लिया है।

श्री सत्यपाल सिंह–

उस पर निर्णय दे देते।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसे देखूंगा।

दिनांक 29 फरवरी, 1988 को विधान भवन के समक्ष हुए लाठी चार्ज से श्री अक्षय वर मल्ल की मृत्यु विषयक कार्य-स्थगन की सूचना

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि अक्षयवर मल्ल जी की हत्या पुलिस द्वारा की गयी उससे एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है जो लोकतंत्र के लिए एक कलंक है। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले चाहे विधायक हों या किसी दल के कार्यकर्ता हों उनके जीवन का मुख्य कार्य जनता के सही कार्यों को अधिकारियों के सामने रखना या पुलिस या सरकार के सामने रखना होता है लेकिन आज वह काम मुश्किल हो गया है, एक दहशत पैदा हो गयी है। मैंने इस संबंध में संविधान का जिक्र किया था कि आखिर संविधान में शांतिमय प्रदर्शन, भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार उसमें क्यों दिया गया, क्यों इस बात को उसमें सबसे ज्यादा महत्व दिया गया? इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं। उसके पीछे कई कारण रहे हैं। पहला कारण यह रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़ाई लड़ रहे थे उस समय भी

शांतिमय तरीके से जो प्रदर्शन होते थे उसमें अंग्रेजों की पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इसीलिये संविधान में यह निश्चय किया गया कि कहीं आजाद हिन्दुस्तान में भी सरकार सत्ता के मद में आकर निहत्थे शांतिमय प्रदर्शनों पर पुलिस लाठी चार्ज न करे।

(इस समय 12 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय उपाध्यक्ष जी, जब साइमन कमीशन के बहिस्कार में स्व0 पं0 नेहरू ने प्रदर्शन किया उस समय इसी लखनऊ में उन पर लाठी चार्ज किया और पं0 नेहरू के प्राणों की रक्षा प0 गोविन्द बल्लभ पन्त ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर की थी और उस लाठी चार्ज के कारण पंत जी का जीवन हमेशा के लिए अशक्त हो गया। यही बात संविधान निर्माताओं के मन में रही कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पुलिस लाठी चार्ज न करे। यहां पर बहुत से विधायक बैठे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घरों से संबंधित हैं। इस समय मेरा प्रश्न लोक दल या विपक्ष के किसी दल से नहीं है यह सभी दलों से संबंधित है। यह कितनी विडम्बना की बात है जिन स्व0 पंत जी ने नेहरू जी को बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला था उनकी मूर्ति के सामने आजाद भारत की सरकार ने माननीय अक्षयवर मल्ल जी की बर्बर लाठी चार्ज से हत्या कर दी। तो इससे ज्यादा गम्भीर और क्या सवाल हो सकता है इससे हमारे अधिकारों को चुनौती दी गयी है और मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। आज सारे लोग परेशान हैं हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत विधान सभा है.....
सारे प्रदेश के लोग यहां फरियाद लेकर आते हैं और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि विधान सभा जो प्रदेश की सबसे बड़ी जन अदालत है उसके सामने टेंट लगाकर फरियाद करेंगे नारे लगाकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके उम्मीद लगाये रहते हैं कि प्रदेश की सबसे बड़ी जन अदालत हमारी फरियादों को सुनेगी। लेकिन श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या करके साबित कर दिया है कि इस पवित्र सदन का कोई मतलब नहीं रहा है चूंकि इस विधान सभा, इस सदन के सामने श्री मल्ल की हत्या की गयी। मान्यवर, आज सवाल विधायक और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का ही नहीं रह गया है बल्कि उत्तर प्रदेश के सामने और पूरे देश के सामने एक संकट पैदा हो गया है, आज जनता में सदन के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है कि सदन के चलते, सदन के सामने जो लोग अपनी फरियाद लेकर आये थे उनमें श्री मल्ल की पुलिस ने लाठियों से मार-मार कर हत्या कर दी जबकि 100-150 आदमियों पर लाठी चार्ज करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि इन लोगों से कहीं ज्यादा पुलिस और पुलिस अधिकारियों की तादाद थी।

मान्यवर, सभी जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में कार्यकर्ताओं के बीच जब मजिस्ट्रेट जाता है और अरेस्ट की घोषणा करता है तो कार्यकर्ता अपने को अरेस्ट कराने स्वयं चले जाते हैं, इसलिए लाठी चार्ज करने का कोई औचित्य नहीं था। यह स्थानीय प्रदर्शन था, स्थानीय नेता थे जिन्होंने पुलिस के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठायी थी इसलिये उनके खिलाफ यहां की पुलिस का होना स्वाभाविक था।

आपको बताया गया था कि श्री राज किशोर मिश्रा को हथकड़ी डालकर पुलिस पकड़ ले गयी थी जिसका विरोध श्री अक्षयवर मल्ल जो लोकदल के नगर अध्यक्ष थे और श्री फाकिर सिद्दीकी, युवा दल के अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने लगातार विरोध पुलिस का किया था। इसके अलावा श्री राम गोविन्द चौधरी के घर में पुलिस ने घुसकर अपमानित और चोरी करने का काम किया था जिसके सवाल को लेकर आपके चैम्बर में बात उठी थी, मुझे अफसोस है मैं इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का नोटिस सदन में दे रहा हूं, आपने स्वीकार किया था सारे नेताओं के सामने जिसमें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, कुंवर रेवती रामण सिंह, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह और नेता विरोधी दल भी थे जिनके सामने स्वीकार किया गया था कि पुलिस ने गलत काम किया है, इसलिए हमने (गृह मंत्री) ने ट्रान्सफर किया है, वह अलग चीज है, यही नही 2 मार्च, 1988 को सदन में, स्पीकर के चैम्बर में जब बात हुई तो उस समय भी गृह मंत्री ने स्वीकार किया सभी नेताओं के सामने और उसके बाद कहना कि मुलायम सिंह असत्य बोल रहे हैं और मैंने ऐसा नहीं कहा तो इससे ज्यादा उन पर क्या अविश्वास किया जा सकता है, यह विशेषाधिकार का प्रश्न अलग हम उठायेंगे। लेकिन यहां पुलिस के चार अधिकारियों–एस0 पी0 (सिटी), सी0 ओ0 हजरतगंज, इंस्पेक्टर, कैसरबाग और हुसैनगंज श्री अभय सिंह के खिलाफ डी0 आई0 जी0 का घेराव किया गया, कलेक्टर और एस0 एस0 पी0 के यहां प्रदर्शन किया गया और सभायें की गयीं तथा सदन में इनके संबंध में कहा गया, इसलिए यह लोग पहले से ही पेश बन्दी इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ की थी और इसके बावजूद मुख्य मंत्री ने ट्रांसफर रुकवा दिया और कहा कि कोई परिस्थितियां पैदा हो गयी थीं जिनके कारण ट्रान्सफर रोक दिया गया। उसके बाद जब लाठीचार्ज हुआ तो श्री अक्षयवर मल्ल को मार दिया गया और युवा दल के अध्यक्ष श्री फाकिर सिद्दीकी को इन पुलिस के चार अधिकारियों ने निशाना बनाया था लेकिन यह बच गये। तो श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री राज किशोर मिश्रा, डा0 रजनी कान्त दत्त को इन पुलिस के लोगों ने जो अपमानित किया था तो इनके खिलाफ कार्यवाही की जाती तो श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या नहीं हो सकती थी। इसलिए आज मुख्य मंत्री जी ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की तो मैं स्पष्ट आज सदन में यह कहना चाहता हूं कि मल्ल की हत्या के लिए मुख्य रूप से मुख्य मंत्री जी दोषी हैं। कार्यवाही कर दी जाती तो आज यह हत्या न होती।

मैं सारे सदन के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह यह न समझें कि किसी विरोध पक्ष के नेता अक्षयवर मल्ल की हत्या हुई है। दत्ता जी का भी उदाहरण आपके सामने है। कई स्टेशन पर पिटे तो उन्होंने आपसे नहीं कहा था। तो कांग्रेस के विधायक भी पिटेंगे, बचेंगे नहीं, यदि पुलिस का इतना मनोबल बढ़ जाएगा। पुलिस का मनोबल आज इतना बढ़ गया है कि उसी के चलते हमारे देश की प्रधानमंत्री की हत्या इस देश की पुलिस द्वारा हुई है। आप क्या समझते हैं आप बचेंगे आप भी नहीं बचेंगे। आप यह मत समझें कि आप अमर हो जाएंगे, आप भी नहीं बचेंगे। जब आप मुख्य मंत्री नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे तो आपको गोरखपुर में

बसना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह मत आप समझें कि आप अमर हो गये हैं। यह मामूली बात नहीं है। इसलिए मान्यवर आपसे हमारा निवेदन है कि आप और सत्ता पक्ष के सदस्य सत्ता मद में न आवें। यहां पर उपस्थित तमाम सदस्यों में से कुछ स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी परिवारों से भी आए हैं और उनकी कुरबानी की वजह से ही वह यहां बैठे हुए हैं। आज किसी दल का प्रश्न नहीं है। भेद मिटाकर हत्यारी पुलिस को सजा मिलनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, और दो मार्च को विधायकों के साथ जो अपमान हुआ है, पहली मार्च को यदि पुलिस को सजा दे दी गई होती तो विधायकों की यह पिटाई होने की नौबत न आती और इस तरह से उनको अपमानित न होना पड़ता। इस तरह से इधर और उधर के विधायकों में अधिकारियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी। जिस दिन बोलेंगे, जितने भी जनसामान्य के कार्य करेंगे, चाहे सदस्य सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के सारे सदस्य जिलों में पिटेंगे। इसलिए सारे मतभेदों को दूर करके, जिन पुलिस कर्मियों ने विधान सभा के सामने लाठीचार्ज करके अक्षयवर मल्ल जी की हत्या की है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। 4 अधिकारियों के खिलाफ, जो उन्होंने उनकी हत्या का षडयंत्र किया है कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए और तत्काल यहां के सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करके जेल भेजना चाहिए। यह मेरा निवेदन है और सदन के सभी सदस्यों की गरिमा और सदन की पवित्रता बनाए रखने के लिए और विधायकों का सम्मान बचाने के लिए, सारे सदन का सम्मान बचाने के लिए इस सदन की एक सर्वदलीय कमेटी बैठे, जो इस सारे मामले की जांच करे और विधायकों के साथ जो अपमान हो रहा है, उस पर कार्यवाही करे। सदन की सर्वदलीय कमेटी के बारे में मैं यह नहीं कहता कि बहुमत विपक्ष का हो, बहुमत सत्ता पक्ष का ही रहे।

श्री उपाध्यक्ष–

अब मा0 रेवती रमण सिंह जी ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मुझे अभी अपनी बात कहने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। इतनी जल्दी क्या हो गई? तो मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी से उस सर्वदलीय कमेटी में मैं यह नहीं कहता कि विरोध पक्ष के ही लोग हों या उनकी संख्या ज्यादा हो, भले ही सत्तापक्ष के सदस्यों की संख्या ज्यादा हो, किन्तु एक सर्वदलीय कमेटी बैठे जो इस गम्भीर प्रश्न पर विचार करे और उनके हत्यारों को दफा 302 का मुलजिम बनाकर जेल भेजा जाए।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय मुलायम सिंह जी ने स्वर्गीय अक्षयवर मल्ल की हत्या के बारे में नियम 56 में जो सवाल उठाया है, वह एक बड़ा ही अहम सवाल है। सवाल यह नहीं है कि किसी एक राजनैतिक या सामाजिक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, बल्कि मान्यवर, संसदीय इतिहास में, जब से यहां पर सदन चल रहा है, 50 वर्ष पूर्व से आज तक अंग्रेजों ने भी जो लाठीचार्ज किये, सम्भवतः उसमें भी किसी व्यक्ति की सन्न हत्या नहीं हुई थी।

मान्यवर, यह संसदीय इतिहास में पहली बार विधान सभा के गेट के सामने निहत्थे लोगों के ऊपर लाठी-चार्ज करके स्वर्गीय अक्षयवर मल्ल को मार डाला गया। मैंने यह सुना है कि डाक्टरी रिपोर्ट में यह है कि उनका हार्ट-फेल हो गया। मान्यवर, यह सवाल नहीं है कि हार्ट-फेल हो गया या ब्रेन-हैमरेज हो गया, सवाल यह है कि आज की पुलिस इतनी बर्बर और निरंकुश हो गई है। जिसके बारे में एक बार नहीं अनेक बार विपक्ष के लोगों ने ही नहीं सत्तापक्ष के लोगों ने भी कहा है, लेकिन यह सरकार पूरी तरह से संवेदनशील नहीं रह गई है। इस सरकार में पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करने की क्षमता नहीं रह गई है। उसी का परिणाम है कि यह घटना हुई है, यह कितनी शर्मनाक घटना है। उस दिन मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जो रूट बताया गया था उस रूट से जुलूस नहीं लाया गया तो तब आपके अधिकारी, एस0 एस0 पी0, डी0 एम0, एस0 पी0 सिटी, डी0 आई0 जी0 सब कहां थे, जो वह उस रूट में आ गये? मान्यवर, मेरी यह जानकारी है कि कोई भी बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं था। जब जुलूस आ गया और शान्तिपूर्वक ढंग से जुलूस बैठकर प्रदर्शन करने लगा, तो उन पर लाठी-चार्ज कर दिया गया। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। श्री अक्षयवर मल्ल ने अपना जीवन राजनीति को न्योछावर कर दिया। मान्यवर, आज सार्वजनिक जीवन में भी कठिनाई हो रही है उसका कारण यह सरकार है। जो बड़े-बड़े अपराधी हैं उनके ऊपर इस सरकार की पुलिस, लाठी और गोली नहीं चला सकती है, लेकिन जो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर इनकी पुलिस लाठी-चार्ज करने को तैयार रहती है।

मान्यवर, अखबार में मैंने फोटो देखी थी अक्षयवर मल्ल जी की, उनके सिर से खून बह रहा था और खून से बंडी और कुर्ता भीग गया था। यह कितनी शर्मनाक बात है। एक ऐसे आदमी की हत्या कर दी गई और उसमें कोई कार्यवाही भी नहीं हुई है। यह कहते हैं कि पुलिस का मनोबल गिर जाएगा कार्यवाही तत्काल करने, से, इसका नतीजा मान्यवर यह होता है कि दत्ता साहब से लेकर राम गोविन्द चौधरी जी और तमाम विपक्ष के लोग पुलिस की बर्बरता का शिकार हो रहे हैं। आप देखें किसी देश में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी केवल इसी देश में इस तरह की घटनायें होती हैं। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि साउथ कोरिया में 6–6 महीने तक विद्यार्थियों ने और मजदूरों ने हड़ताल की। कामकाज ठप्प रहा लेकिन एक गोली नहीं चलाई गई। एक आदमी को नहीं मारा गया, लेकिन यहां आदमियों को आदमी कौन समझता है यहां तो भेड़ बकरी समझते हैं जिसकी वजह से जन-आक्रोश पैदा होता है? आज भी जन-आक्रोश पैदा हो गया। हमारी सरकार उन अपराधियों के खिलाफ जिन लोगों ने लाठियां चलाई, जो लोग वहां मौजूद नहीं थे, जिनकी जिम्मेदारी थी वहां रहने की उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं, इसी का विरोध सदन में होता है तो बात गलत हो जाती है। मान्यवर, उस पार्टी के सदस्य भी उद्वेलित हैं यह सम्मान की बात है। राजनीति और सार्वजनिक कार्य करने वाले लोगों के साथ इस तरह से किया जाता है और यह सरकार कहती है कि हम प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, अब समय आ गया है कि जब किसी भी आदमी को केवल यह कहकर कि इनको बख्शा नहीं जायगा, इससे सदस्य शांत होने वाले नहीं हैं। जब मुख्य

मंत्री जी बोलें उसके बाद अगर समुचित कार्यवाही नहीं होती है तो यह सदन मान्यवर चलाना बड़ा मुश्किल होगा । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से माननीय मुलायम सिंह जी ने एक सदन की कमेटी बनाने की बात कही है, तो मान्यवर, यह सदन की परम्परा रही है और प्रदेशों के सदनों में भी इस तरह की कमेटियां गम्भीर मामलों पर बनायी गयी हैं, तो मेरा आग्रह है कि तत्काल आप सदन की एक कमेटी बनाने की घोषणा करें और सरकार पर दबाव डालें कि जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने रामगोविन्द चौधरी के घर में घुस कर लूट की थी और जिन्होंने अक्षयवर मल्ल की हत्या की है उनके खिलाफ इसी सदन में कार्यवाही का एलान होना चाहिये ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय अक्षयवर मल्ल की मृत्यु के बारे में यहां पर जितनी शोक संवेदना व्यक्त की जाय, कम है । हालांकि यह बड़ा दुखदायी है कि जनतांत्रिक तरीके से किसी राजनीतिक दल के द्वारा जन समस्याओं की अभिव्यक्ति की जाय तो सरकार की पुलिस इतनी निरंकुश हो जाय कि उसके नेता की हत्या कर दी जाय । मैं समझता हूं कि अक्षयवर मल्ल जी की मृत्यु जिसे हत्या कहना ज्यादा ठीक होगा उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इस सरकार की है । अक्षयवर मल्ल की हत्या इस सरकार पर एक ऐसा कलंक है जो आने वाले संसदीय इतिहास में कभी शायद न दोहराया जाय तो अच्छा होगा । जहां तक उनकी मृत्यु का सवाल है उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया जिससे वह घायल हुये और चोटें लगीं तो शाम को 6 या सवा 6 बजे उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गयी । इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा निंदनीय और खराब बात हुयी है वह यह हुयी कि उनकी मौत के बाद सरकार जिस तरह से सारे के सारे मामले पर लीपापोती करने का काम कर रही है ऐसी किसी भी जनतांत्रिक सरकार से उम्मीद नहीं है । ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा मंत्रिमण्डल पुलिस का अधीनस्थ हो गया है और पुलिस का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि पुलिस का साधारण दरोगा भी कोई रिपोर्ट दे देगा तो यहां के गृह और राज्य मंत्री हूबहू वैसा ही पढ़ देंगे । अगर इसी तरह से सारी प्रक्रिया सरकार की रही तो मुझे खतरा दिखायी देता है और मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि अगर जनतांत्रिक मान्यताओं का पालन नहीं किया गया, जनतांत्रिक तरीके से आन्दोलन करने वालों को अगर इसी तरह से मारने का सिलसिला जारी हो गया और सरकार पुलिस की कमजोरियों पर परदा डालने का काम करेगी तो इस प्रदेश के लोगों का अहिंसा से विश्वास उठ जायगा और फिर लोग जनतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहना बन्द कर देंगे और वह दिन दूर नहीं जब इस प्रदेश में हिंसात्मक संगठन बनना शुरू हो जायंगे । प्रदेश के कई ऐसे कोने हैं जहां हिंसात्मक संगठन अपनी कार्यवाही कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम कि सरकार कितनी गम्भीरता से उस पर विचार कर रही है । लेकिन अक्षयवर मल्ल की हत्या के सिलसिले में सरकार पुलिस का मन बढ़ाती रही और मंत्रिपरिषद् सबार्डिनेन्ट बन कर पुलिस की रह जायगी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो जनतांत्रिक तरीकों में लोगों का विश्वास उठ जायगा और लोग हिंसक तरीकों से, नक्सलाइट मान्यताओं को मानकर अपनी अभिव्यक्ति करना शुरू कर देंगे, और उस पर नियंत्रण करना कठिन हो जायगा । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस समय श्री अक्षयवर मल्ल के संबंध में सरकार का वक्तव्य विधान परिषद् में आने वाला था उस सरकारी डाक्टर ने रिपोर्ट दी है उसको जानने के बाद ऐसा लगा जैसे कहीं पर मैनयोरिंग की गयी है, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उसको ठीक ठीक नहीं रखा गया है । मैं मांग करूंगा कि जो पोस्टमार्टम की मेडिकल रिपोर्ट है उसके बारे में एक मेडिकल बोर्ड बैठाना चाहिये । जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आयी है उस पर साधारणतया विश्वास नहीं किया जा सकता । जो विसरा था उसको सुरक्षित रखने की बात की गयी है और जो दूसरी जगहों की चोटें हैं उनको सुरक्षित रखने की बात की गयी है । मुझे जहां तक जानकारी है, अक्षयवर मल्ल पर लाठी चार्ज न किया गया होता तो उनकी मृत्यु सिविल अस्पताल में न हुई होती । उन्होंने कोई जहरीली चीज नहीं खायी थी कि उनका विसरा सुरक्षित रखा गया है । विसरा तो तब सुरक्षित रखा जाता है जब मरने के पहले कोई व्यक्ति कोई जहरीली चीज को खा ले ।

मान्यवर, जिस तरीके से पोस्टमार्टम मेडिकल प्रोसेस में लाया गया है, मैं समझता हूं वह भी किसी भी तरीके से मानने लायक नहीं हो सकता है। जो मृत्यु का कारण अज्ञात बताया गया है, अगर यह मृत्यु का कारण अज्ञात माना जायगा, तो सही माने में जो आरोप इस सरकार पर लगाया गया है, उससे यह सरकार बरी नहीं हो सकती है। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी ने और माननीय रेवती रमण सिंह जी ने एक मांग की कि सदन की एक सर्वदलीय कमेटी बना दी जाय। मान्यवर, हमारे एक सदस्य एडवोकेट हैं, उनकी राय है और हमारे सभी लोगों की राय है कि इस मामले में खुली अदालत में कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाय।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, इनकी भावनाओं से संबंधित मैं भी एक मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, अगर माननीय मुख्य मंत्री ने और उनके मंत्रि परिषद् ने लापरवाही न की होती, तो यह दुर्घटना न हुई होती। यह बड़ा गम्भीर मसला है। इस मसले पर माननीय रेवती रमण सिंह जी ने और माननीय मुलायम सिंह जी ने जो मांग की है, उसे मान लेना चाहिए।

*श्री कल्याण सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, स्वर्गीय अक्षयवर मल्ल की हत्या जो संदर्भित नियम 56 के अन्तर्गत माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रश्न उठाया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, 29 फरवरी को इस विधान सभा के सामने जो कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घटित हुआ, वह उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक बड़ा घिनौना काण्ड के रूप में लिखा जायगा। मान्यवर, कल्पना कीजिए कि शान्त प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज, और वह लाठी चार्ज भी विधान सभा के सामने, और विधान सभा के सामने तब जबकि विधान सभा का सत्र चल रहा हो। मान्यवर, आमतौर से अगर किसी नागरिक के साथ कोई उत्पीड़न की कार्यवाही होती है, तो यह आशा की जाती है कि नागरिक के सवाल को लेकर कोई न कोई विधायक ऐसे प्रश्न को सदन में अवश्य उठावें लेकिन सदन के चलते हुए, सदन के सामने हत्याकाण्ड हो रहा है, तो प्रदेश का हर नागरिक पुलिस के डर से भयाक्रांत हो सकता है। मान्यवर, जब शान्त प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज हो सकता है माननीय अक्षयबर मल्ल की हत्या हो सकती है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा नहीं हो सकती है। पुलिस बल शायद प्रदर्शनकारियों से ज्यादा रहा होगा, अगर पुलिस बल चाहते, तो प्रदर्शनकारियों को पकड़-पकड़ कर अलग कर सकते थे। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री की राय से सहमत नहीं हूं कि रूट कोई और था प्रदर्शनकारियों का और वे दूसरे रूट से आ गये, अगर वे दूसरे रूट से आ गये थे, तो उन्हें वहीं पर रोक देना चाहिए था। मान्यवर, यह सुनियोजित षडयंत्र था कि लाठी चार्ज किया जायगा और लाठी चार्ज ऐसा किया जायेगा कि सबको सिखा दिया जायगा, हाथ-पैर पर लाठी नहीं, बल्कि सिर पर लाठी मारी जायेगी। मान्यवर, यह एक बहुत ही घिनौना काण्ड हुआ है, इसकी जितनी निन्दा की जाय, उतनी ही कम है। मान्यवर, यह जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर जब मैं विचार करता हूं, तो मेरे सामने घटनाओं की श्रृंखला आ जाती है। मान्यवर, माननीय दत्ता जी के प्रकरण को सभी जानते हैं अगर दोषी पुलिसजनों के खिलाफ कोई कार्यवाही हो गयी होती, तो पुलिस को सबक याद रहता। मान्यवर, माननीय राम गोविन्द चौधरी के साथ जो कुछ हुआ, उसमें भी पुलिस जनों के खिलाफ कुछ हो गया होता, तब भी पुलिस-जनों का इस प्रकार से उत्साह न बढ़ता। इसी तरह से मान्यवर, 29 फरवरी को जो मल्ल जी की हत्या हुई थी, अगर उसी 29 तारीख को ही उस मामले पर उचित कार्य-वाही की गयी होती, तो माननीय मुख्य मंत्री के गृह जनपद के (गृह नगर) गोरखपुर में पगलाये दरोगा ने एक की हत्या न की होती और तीन लोगों को मौत की नींद सुलाने का दुस्साहस न किया होता। ठीक होली के दिन जब पूरा प्रदेश रंग की होली खेल रहा था तो इस शासन की पुलिस खून की होली खेल रही थी। वह विषय जब आयेगा तब उठाऊंगा। जब एक किसी घटना के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती तो उसका दुस्साहस किस हद तक बढ़ जाता है। यह घटनाएं लगातार हो रही हैं। मान्यवर, मैं बहुत ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं। मान्यवर, यह अक्षयबर मल्ल जी की हत्या सत्ता पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है यह आम नागरिक की सुरक्षा का सवाल है। शासन का यह दायित्व है कि वह हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे शासन को इस विषय को इसी गम्भीरता से लेना चाहिए। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी इस जिम्मेवारी से बरी नहीं हो सकते। मैं कहना चाहता हूं कि इतनी निरंकुशता जो पुलिस को दी गयी है सरकार इसके लिए कितनी जिम्मेदार है। यह पुलिस निरंकुश हो रही है इसके लिए दो ही कारण हो सकते हैं कोई तीसरा कारण नहीं हो सकता। या तो एक कारण यह हो

सकता है कि मुख्यमंत्री सहित इस सरकार ने पुलिस को खुली सह दे रखी है कि हत्याएं करो, लाठीचार्ज करो, आतंक फैलाओ, लोकतंत्र की हत्याएं करो यह या तो इनकी शह से हो रहा है। अगर इनकी शह से हो रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का नहीं हो सकता है, नैतिकता का तकाजा है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इनके शह से नहीं हो रहा है और पुलिस अपने बलबूते से यह सब कर रही है तो इसका मतलब है कि शासन का नियंत्रण इस पर से समाप्त हो चुका है। इससे बढ़कर शासन के लिए शर्म की बात नहीं है इसलिए शासन में बने रहने का मुख्य मंत्री का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मुख्य मंत्री जब जवाब देंगे तो बतायेंगे कि कौन सा कारण है? मैं माननीय मुलायम सिंह जी की उस मांग का समर्थन करता हूं। जो भी दरोगा इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम करके जेल भेजा जाना चाहिए और जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। डी0 एम0, एस0 पी0, सी0 ओ0 सिटी और सिटी मैजिस्ट्रेट जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और नैतिकता का तकाजा यह है कि मुख्य-मंत्री को तत्काल सदन में अपने इस्तीफे की घोषणा करनी चाहिए। लगातार घटनाओं पर घटनाएं हो रही हैं इसके लिए सदन की एक निर्दलीय समिति बनायी जानी चाहिए जो सारे प्रकरण की जांच करे ताकि दोषी जनों के खिलाफ कार्यवाही हो सके ताकि ऐसी घटना फिर उत्तर प्रदेश के इतिहास में दुबारा न दुहराई जाय। यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि माननीय वीर बहादुर सिंह जैसे मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिले हैं इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और नहीं हो सकती है।

(श्री फजलुल बारी का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, गृह मंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह पूरा सदन माननीय अक्षयवर मल्ल की मृत्यु से चिन्तित है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको समय दे दूंगा अभी आप बैठें।

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, बोल तो लेने दें।

श्री उपाध्यक्ष–

पाण्डेय जी, आपको समय दे दूंगा।

*श्री फजलुल बारी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अक्षयवर मल्ल जी की हत्या असल में यह साबित कर रही है कि अब जनतंत्र की हत्या कर दी गयी है। मान्यवर, इटली की फासिज्म हमारे देश में दाखिल हो रही है। अक्षयवर मल्ल जी ने अपना रक्त दान देकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको रोकने की कोशिश की है। मैं और कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहता। इस प्रकरण में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब पुलिस को अपने निजी हितों के लिए और स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया जायेगा, अपने दुश्मनों को त्रस्त करने के लिए चाहे वह माननीय सदस्य हरिशंकर तिवारी जी हों चाहे और कोई माननीय सदस्य हों, अपने जातीय दुश्मनों को त्रस्त करने के लिए जब पुलिस का इस्तेमाल किया जायेगा तो पुलिस निरंकुश हो जायेगी। जब अपनी रैलियां करने के लिए पुलिस के अफसरों के जरियों बसों को रुकवाया जायेगा तो पुलिस निरंकुश हो ही जायेगी। मान्यवर, जब मेरठ में दंगा भड़काने के लिए हाशिमपुरा के नौजवानों को नहर के किनारे ले जाकर कत्ल कर दिया गया और उसके बारे में ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट सामने नहीं लायी जायगी तो उसका नतीजा यह होगा कि प्रजातंत्र के प्रति सम्मान इन लोगों की मर्जी के मुताबिक सदा सदा को समाप्त हो जायगा, जिसके लिए पंतजी का हवाला दिया गया, गांधी जी का हवाला दिया गया, राजेन्द्र लाहिड़ी, अशफाकउल्ला, इन लोगों की कुर्बानी को याद करते हुए आप एक सदन की कमेटी बना दें, ताकि प्रजातंत्र जीवित रह सके। ताकि इस पर विस्तार से जांच हो जाय।

*श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि आज इस समय पूरा सदन अक्षयवर मल्ल जी की मौत से चिंतित है। आज यह मांग की जा रही है कि इसकी न्यायिक जांच की जाय, या सदन की एक कमेटी बनाई जाय। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जांच बैठाई जाय, डाक्टरों ने उनका बिसरा जांच के लिए रखा है। हुआ यह कि लाठी चार्ज होने के बाद अक्षयवर मल्ल जी पैदल चल कर अस्पताल पहुंचे। उस समय वे पूरी तरह से स्वस्थ थे। जांच प्रक्रिया में यह बात जोड़ी जानी चाहिए कि शाम 5 बजे तक वे पूरी तरह से स्वस्थ थे। शाम को पांच बजे कुछ लोग उनसे मिलने गये, जिनके साथ वे हंसे बोले और बात की । उसकी फोटो आदि मौजूद हैं। उन्होंने विपक्ष की एकता के लिए बात की। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गयी। जांच में यह बात भी जोड़ी जानी चाहिए। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह व कुछ लोग शाम को उनसे मिलने गये। इसको भी जांच प्रक्रिया में जोड़ा जाना चाहिए और इसकी जांच कराई जाय। मान्यवर, पूरा सदन को इस पर शोक है। जांच प्रक्रिया में मेरी यह सब बातें भी जोड़ी जानी चाहिये।

(घोर व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, जिस तरीके से स्वर्गीय अक्षयवर मल्ल जी की हत्या पी0 ए0 सी0 और पुलिस ने सरकार के इशारे पर की है। यह न केवल आजाद भारत, बल्कि लखनऊ के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है . . (व्यवधान) श्रीमन्, मैं यह कह रहा था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि न केवल आजाद भारत में, बल्कि लखनऊ के इतिहास में यह सबसे शर्मनाक घटना है। अंग्रेजों के जमाने में भी लखनऊ नगर में किसी लाठीचार्ज में इस तरह की हत्या नहीं की गयी, न कोई मरा। मान्यवर, अफसोस इस बात पर कि जिस तरीके से सरकार इसको बचा रही है, मुझे कहना पड़ता है कि यह पुलिस व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रही है, सरकार के इशारे पर कर रही है। विधान परिषद् में जो बयान सरकार की ओर भेजा गया, उससे लगता है कि सरकार की नीति विपक्ष की असहमति की आवाज को दबा लेने की है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में दो चीजें सदैव रहती हैं। सहमत पक्ष सत्ता पक्ष में और असहमत पक्ष विपक्ष में होता है। विपक्ष सदन के अन्दर और बाहर दोनों जगह रहता है। इस तरह से लाठी के बल पर विरोध को दबाने की कोशिश करने का मतलब यह है कि सरकार का और सत्ता पक्ष के लोगों का विश्वास लोकतंत्र में नहीं रह गया है। यही बड़ी ही खतरनाक बात है। यह केवल विपक्ष के लिए ही नहीं, सत्ता पक्ष के लिए भी खतरनाक बात है। आपके साथ क्या हो रहा है और क्या होता है ? फर्जी मुठभेड़ें कराई जा रही हैं। सरकार के इशारे से बार-बार फर्जी मुठभेड़ें हो रही हैं, यहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उससे लगता है कि कांग्रेस सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि, आप बहुत दिनों तक सत्ता में रहने वाले नहीं हैं। यह चाहते हैं कि इनकी तानाशाही बनी रहे। मेरा अनुरोध है कि अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आप भी तबाह होंगे। इस नीति के चलते-चलते जिस तरीके से अधिकारियों और पुलिस को आप सारा शासन सौंप रहे हैं, यह ठीक नहीं है। यहां माननीय विधायकों को पीटा गया, बेइज्जत किया गया और यह सरकार उसे देख रही है। यह चिन्ता प्रकट करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक दोनों प्रकरणों पर मल्ल जी वाले मामले पर और माननीय विधायकों की जो बेइज्जती यहां पर हुई उसमें क्या एक्शन लिया गया? किन-किन पुलिस जनों को बर्खास्त किया गया किन-किन के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये और क्या कार्यवाही की गयी? मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा मल्ल साहब की जो मृत्यु हुई है, उसके कारणों की जांच के सम्बन्ध में, सदन की एक कमेटी बनायी जानी चाहिये और उसके द्वारा जांच की जानी चाहिए। पुलिस ने जो कुछ किया है और यह सरकार उस पर मूकदर्शक बनी रही, मुख्यमंत्री जी को इस सवाल पर आज सदन में अपने इस्तीफे की घोषणा करनी चाहिये।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, 29 तारीख को जो दुर्घटना हुई, वह हम सब लोगों के लिये बड़ी दुखद बात है, लोकतंत्र के लिये खतरे की घंटी है। मान्यवर अगर इस सरकार में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता बाकी है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर यह मानते हुए कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बड़ा ही खतरा पैदा हो गया है, जो इनकी गलत नीतियों के कारण हुआ है, थोड़ी सी संवेदनशीलता इनमें है, तो जो माननीय मुलायम सिंह ने, माननीय रेवती रमण सिंह ने जो बातें यहां पर रखी हैं, इस सरकार को उन्हें मान लेना चाहिये। माननीय देवेन्द्र पाण्डेय जी अभी कह रहे थे कि मल्ल साहब पैदल चलकर अस्पताल तक आये थे, इनको शायद मालूम नहीं है कि सिर की जो चोट होती

है वह ऐसी होती है कि किसी भी क्षण उसका आक्रमण हो सकता है मृत्यु के लिये, तत्काल मृत्यु न भी हो, बाद में भी हो सकती है। लोग उसमें बेहोश हो जाते हैं, 6-6- महीने तक आदमी बेहोश रह सकता है। अगर पाण्डेय जी यह सब न जानते हों, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनसे मालूम कर लें कि ऐसा होता है या नहीं । मान्यवर, बड़ी विचित्र बात यह है कि शासन की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी इनका प्रशासन, इनके फैसले को मानने के लिये तैयार नहीं है। मान्यवर, रूट की बात कही गयी, यह बात अपनी जगह है कि जो प्रदर्शन होता है उसके लिये रूट निश्चित करता है प्रशासन, यह सही बात है और उसका आदर भी करना चाहिये। लेकिन यह भी सही है, 1978 की बात यह सब मंत्रीगण सामने बैठे हुए हैं, इनको याद होगी, जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, इनके प्रदर्शन के लिये एक रूट तय हो गया था, उस जुलूस की भावना में उन मर्यादाओं को लोग तोड़ भी देते हैं, अम्मार रिजवी साहब को भी याद होगा, उन्होंने भी उसे तोड़ा था। इसलिये ऐसा हो सकता है कि उसे तोड़ा हो । लेकिन, मान्यवर जब भी कोई प्रदर्शन होता है, तो उसमें पुलिस की व्यवस्था रहती है, उन्हें दिशा निर्देशित करने के लिये। लेकिन, मान्यवर, कोई ऐसी व्यवस्था वहां नहीं थी ।

मान्यवर, प्रदर्शनकारियों की संख्या 150–200 रही होगी, इससे ज्यादा कतई नहीं थी, और वे लोग बैठे हुए थे, जब पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलायीं उस समय वे लोग बैठे हुए थे । मान्यवर, एक तारीख को यहां मामला उठा था, वह बात उठी थी, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में मौजूद थे, वे तब तक दिल्ली नहीं गये थे, अगर इनमें संवेदनशीलता होती, तो ऐसे गंभीर मसले पर यहां उपस्थिति रहते, उस बात को गंभीरता से लेते । लेकिन पुलिस का रवैया जो है वह तो राज व्यवस्था को चलाना है राज व्यवस्था में लगे लोगों की हिफाजत करना है। माननीय मुख्य मंत्री जी में संवेदनशीलता होती तो जब मालूम हो चुका था कि यह गंभीर मसला सदन में उठ चुका है तो वह उसी संवेदनशीलता के साथ इस सदन में आते, सदन की भावना जानते और उस भावना का आदर करते और जो दोषी अधिकारीगण हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करते। मान्यवर, उस घटना के लिये मेहरबानी है कि उन्होंने पिछली मरतबा पुलिस को रु0 50 पौष्टिक अहार के रूप में यहां का सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद नहीं था, जिसने अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं की, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया ? जिस दरोगा ने लाठी चलायी और जिसमें मल्ल जी की मृत्यु हुई, उसके विरुद्ध तत्काल मुकदमा कायम करके, उसको जेल भेजा जाना चाहिये ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

यहां पर अगर सभी बोलना चाहते हैं, तो बहुत देर लगेगी समय आपका ही जायगा। जिन लोगों के यहां पर नाम हैं, उनको बुलवाया जायेगा। मैंने आपके नेताओं को बुलवा लिया और अगर सभी को बुलवाऊंगा तो बहुत देर लगेगी ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मेरी बात उससे अलग है, आप मुझको सुन लें ।

(श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

बरार साहब आपने । तारीख को लिख कर दिया है और उस दिन के नाम लैप्स हो गये थे । दो तारीख के जो नाम हैं, मैं उनको ले रहा हूं, जिसमें आपके दल के नकवी और संजय सिंह का नाम है।

(श्री जयदीप सिंह बरार के बोलने से व्यवधान)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, जब कोई प्रकरण सदन के संज्ञान में आ जाता है और उस पर विवाद शुरू हो जाता है, उस समय वह किसी का नहीं रह जाता है । आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लें । जब चर्चा शुरू हो गई, तो, सबको मौका दिया जाना चाहिये, जिसका उससे संबंध हो अथवा न हो, सभी को बोलने का मौका दिया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर आप बोलना चाहते हैं, तो बोलिये। मैं तो सदन के समय की बचत के लिये ऐसा कर रहा हूं। यदि आप बोलना चाहते हैं तो बोलें, मैं बुलवा दूंगा ।

(श्री जयदीप सिंह बरार के फिर खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने अपना निर्णय दे दिया । जिन लोगों की सूचना है, पहले वह बोल लें ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सदन में उपस्थित हूं और एक माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है, उस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं, मुझे मौका दिया जाय ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

जब यह चर्चा खत्म हो जाये, तभी उन लोगों को बोलने का मौका दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले जिन लोगों का हमारे पास नाम है, उनको बुलवा लूं फिर आपको मौका दूंगा।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, मुझ पर एक आरोप लगा है, मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, आपने राज किशोर सिंह जी को बुला रखा है, पहले उनको बुलवा लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने कुछ शब्द कहे हैं, श्री तिवारी उसी संबंध में अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिखकर भिजवा दें कि मेरे ऊपर आरोप लगा है और मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, दिनांक 29 फरवरी, को जो घटना विधान सभा के ठीक नाक के नीचे हुई है बहुत ही चिन्ताजनक है । श्री अक्षयवर मल कोई मामूली हस्ती नहीं थे । वह लोकदल (ब) के लखनऊ नगर के अध्यक्ष थे और पुराने समाजवादी विचाराधारा के व्यक्ति व नेता थे और साथ ही वह नगर महापालिका लखनऊ के सदस्य भी रह चुके हैं । उनकी हत्या के पीछे एक सुनियोजित षडयंत्र है । 29 तारीख को पूरे प्रदेश में क्रान्तिकारी मोर्चा की तरफ से धरना प्रदर्शन का आयोजन था मंहगाई के खिलाफ, साम्प्रदायिकता के खिलाफ और देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखने के लिए प्रदर्शन था । उस पर जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया, उसने अंग्रेजों के जमाने के अत्याचार को भी मात कर दिया । यह हमारे मुख्य मंत्री जी की मेहरबानी है कि उन्होंने पिछली मरतबा पुलिस को रु0 50 पौष्टिक अहार के रूप में भत्ता दिया और इस बार ठीक उसका डबल कर दिया 100 रुपए । इसके बाद पुलिस का क्या कहना ? आज वह जुल्म का नंगा नाच नाचने लग गई है और अपनी वफादारी का परिचय देने लग गई है । इसी का परिणाम है कि श्री मल्ल की हत्या की गई । अंग्रेजों के जमाने का भी मुझे बहुत अनुभव है । पुलिस का मन इस तरह से नहीं बढ़ाया गया । मैं मुख्य मंत्री जी से व तमाम सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यदि इसी तरह से पुलिस का मन बढ़ाया गया और फौज का मन इसी तरह से बढ़ाया गया और जिस तरह से संसदीय प्रजातंत्र की आज हत्या की गई है, यदि ऐसा ही रहा तो न आप और न हम कभी चुनकर आकर यहां बैठ सकते हैं । उन्हें पुलिस ने मारा । पुलिस की लाठी से उनकी मृत्यु हो गई । एक कोई गौतम साहब है और आपके यहां के अधिकारियों का हाथ है श्री मल की हत्या में । अगर पुलिस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो कोई भी बचने वाला नहीं है, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के । आज यह जरूरी है कि पुलिस की मनमानी को रोका जाना चाहिए । आज पुलिस पूरे प्रदेश में अत्याचार कर रही है, इसमें कोई दो-राय नहीं है । सभी लोग परेशान हैं । आज जो पुलिस को छूट दी जा रही है, वह बहुत ही घातक है । जो बचा-खुचा जनतंत्र रह गया है, उसका भी सत्यानाश होना ही है । पुलिस की ज्यादती से आज पूरे प्रदेश में जनता भयभीत व त्रस्त है । इसे रोकने के लिए सक्रिय कार्यवाही की जानी चाहिए सरकार की तरफ से ।

मान्यवर, अभी श्री पाण्डेय जी एक बात फरमा रहे थे, पता नहीं यह बात किसने उन्हें सिखा दी ? ताज्जुब की बात तो यह है कि लाठी से उनकी हत्या हुई और इसकी जानकारी श्री पाण्डेय जी को नहीं है । जहां तक कि पुलिस ने डाक्टर के ऊपर प्रभाव

डाला, फलस्वरूप डाक्टरों ने यह लिखा कि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। विशाक्त रखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, पोस्टमार्टम का मामला कहां से आया ? अब कहा जा रहा है कि परीक्षण हेतु बिसरा आगरा भेजा जायेगा । वहां भी लीपा-पोती कर दी जायेगी । श्री मल्ल की मृत्यु के संबंध में विरोधी दलों के नेताओं ने विचार व्यक्त किए हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और मांग करता हूं कि नेता विरोधी दलों व सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों को मिलाकर एक कमेटी बना दी जाय, जो इस मामले की जांच करे । जो दोषी पुलिस कर्मी हैं, उनको दण्डित किया जाय, उन्हें जेल भेजा जाय तथा उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाय ।

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

मान्यवर, श्री मल्ल के निधन के संबंध में सभी माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किए हैं और जो चिन्ता प्रकट की है इस संबंध में मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । उन्होंने केवल एक पक्षीय बात रखी है ।

(श्री हरिशंकर तिवारी के खड़े होने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी । आप लिखकर दे दीजिए, मैं कार्यवाही देख लूंगा । अगर आपके ऊपर आरोप लगा है तो स्पष्टीकरण का मौका दिया जायगा।

* श्री मनोहर लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े मियां हैं लेकिन गोपीनाथ दीक्षित जी छोटे मियां बन रहे हैं । दीक्षित जी उन्नाव जनपद से आते हैं, मैं भी वहीं से आता हूं वह क्रान्तिकारियों की धरती रही है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि [x x x] जिस तरह से वह गृहमंत्री बने बैठे हैं, उनको ज्यादा बदनाम न करें। मैं कहना चाहता हूं गृहमंत्री जी से कि नैतिकता का तकाजा है कि मुख्यमंत्री जी तो बाद में इस्तीफा देंगे, पहले वह इस्तीफा दें।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

अभी तक सम्मानित सदस्यों ने जो प्रश्न यहां उठाये हैं, तो वे शासन का पक्ष भी सुन लें ।

(श्री गोपीनाथ दीक्षित के बिना अनुमति खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गृहमंत्री जी, आपको समय मिलेगा, आप बैठें । अभी मैंने मनोहर लाल जी को बुलाया हुआ है ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, उस जनपद से मैं भी हूं, गृहमंत्री जी भी हैं । जिस तरह से पूरे प्रदेश में आतंक राज्य कायम हुआ है, किसी से छिपा नहीं है । आज उत्तर प्रदेश में चार गृहमंत्री हैं । पहला गृहमंत्री कानपुर का दरोगा है, दूसरा एक उन्नाव का दरोगा है, तीसरे गृहमंत्री दीक्षित जी स्वयं हैं और चौथा गृहमंत्री [x x x] ।

(शोर)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मनोहर लाल जी। आप विषय की ग्राह्यता पर बोल रहे हैं या गृहमंत्री जी के ऊपर बोल रहे हैं? आपको विषय की ग्राह्यता पर बोलना चाहिए।

(श्री खान गुफरान जाहिदी एवं श्री त्रियुगी नारायण मिश्र द्वारा खड़े होकर श्री मनोहर लाल द्वारा गृहमंत्री के प्रति कहे गये अपमानजनक शब्दों के विरुद्ध आपत्ति करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा, जो अंतिम शब्द कहे हैं, उनको निकलवा दूंगा।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, माननीय उमाशंकर दीक्षित और शीला दीक्षित का नाम लिया गया है, जो कि यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसे देख लूंगा, आप बैठें।

श्री मनोहर लाल–

(व्यवधान के मध्य)

एक पागल गोरखपुर से निकल आया उसने तीन आदमियों को मार दिया। हर पागल गोरखपुर से ही क्यों आता है ? अभी मैंने सवाल उठाया था कि एक पागल हाथी गोरखपुर में निकल आया है . . .।

(शोर)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, आप इनसे कहें कि ग्राह्यता पर ही बोलें, इधर-उधर की बातें करके समय नष्ट न करें।

(घोर व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि होली के दिन उन्नाव में 200 आदमी को लाठी से मारा गया है और उसी दिन मुजफ्फरनगर में लाठी चार्ज करके आदमियों की हत्या की गयी है आज आपकी पुलिस जो काम कर रही है, ऐसी अवस्था में यह मामला गम्भीर है। मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार अपना वक्तव्य न दे बल्कि आप पूरे सदन की एक कमेटी बना कर इसकी जांच करायें।

श्री उपाध्यक्ष–

अब इस पर चर्चा नहीं होगी । अब इस पर सरकार के पक्ष का जवाब आ जाने दीजिये ।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मुझको सुन लें और यदि मेरे कहने से कोई बात रह जाती है तो माननीय मुख्य मंत्री जी उसे आपको बतायेंगे। मैं आपके सामने सरकार का पक्ष रखना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि. . . .

(घोर व्यवधान के मध्य श्री गोपी नाथ दीक्षित तथा मुहम्मद आजम खां खड़े होकर निरन्तर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 आजम साहब, आपका नाम इसमें नहीं है, आप बैठें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

उस दिन लखनऊ शहर में पुलिस लगी हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष–

क्या व्यवस्था का प्रश्न आपका है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह विषय बहुत ही गम्भीर है और इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय। आप गम्भीरता से ले नहीं रहे हैं। बहुत से ऐसे माननीय सदस्य हैं, हो सकता है कि हमसे भी अच्छी कोई बात वे कहें। अभी मा0 नेता विरोधी दल भी नहीं बोले हैं। वे तैयार बैठे ही हैं अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए इसलिए पहले जो बोलना चाहते हैं, उनको आप सुन लें, तब उन्हें बुलावें।

(श्री भगौती सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शारदा प्रताप–

ये इसलिये जल्दी कर रहे हैं अपना पक्ष प्रस्तुत करने में कि जो फैक्ट है इसको गृह मंत्री जी छिपाना चाहते हैं। आपने अभी देखा कि मा0 देवेन्द्र पाण्डेय जी जो अभी बोल रहे थे तो किस तरीके से हल्के-फुल्के ढंग से इसको कह रहे थे?

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 शारदा प्रताप जी, आपका नाम इसमें नहीं है, आप बैठें। मैंने माननीय भगौती सिंह जी को बुला लिया है।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ----

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 गृह मंत्री जी, अभी आप विराजें। मैंने माननीय भगौती सिंह जी को बुला लिया है।

*श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, जिस तरह से विधान सभा के समक्ष लाठी चार्ज हुआ और स्वर्गीय अक्षयवर मल्ल की हत्या हुई और जिस तरह से पूरा सरकारी पक्ष, माननीय मुख्य मंत्री जी, मा0 गृह मंत्री जी इस सारे काण्ड पर परदा डाल रहे हैं उससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं उनकी अवहेलना करने का ये पूरा-पूरा प्रयास कर रहे हैं । मान्यवर, कोई बहुत बड़ा वाद नहीं टूट पड़ा था, एक छोटा-मोटा प्रदर्शन था और उसको लेकर मा0 अक्षयवर मल्ल विधान सभा के समक्ष आ गये थे । सारे मापदण्ड टूट गये और सारी परम्परायें को उन्होंने तोड़ दी थीं, तो क्या पुलिस के लिये यह उचित था कि जो बैठे हुए प्रदर्शनकारी थे उन पर वे बर्बर लाठी प्रहार करते ? और ऐसा प्रहार करते कि जिसमें श्री अक्षयवर मल्ल दिवंगत हुए ? मान्यवर अक्षयवर मल्ल के साथ करीब 20-22 आदमी और थे, जिनके भी गम्भीर चोटें आयीं हैं और यही नहीं मान्यवर, सबसे बड़ा प्रश्न जो सोचने का है वह यह कि यह घटना जो हुई है वह एक सुनियोजित ढंग से की गयी है और सत्ता पक्ष के लोगों की साजिश से यह हत्या हुयी है और मान्यवर जिस तरह से राज किशोर मिश्र को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया गया था और बाद में जांच के बाद फिर उन्हें निर्दोष पाया गया और जिस तरह से मा0 गृह मंत्री जी ने व मा0 मुख्य मंत्री जी ने उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश व आश्वासन दिए थे, लेकिन बाद में इन लोगों की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं हुयी तो मान्यवर, इन सारी चीजों से यही लगता है कि मा0 मुख्य मंत्री जी और यह सत्ता पक्ष के लोग आज विरोध पक्ष को किसी भी प्रकार से बर्दास्त करने की स्थिति में नहीं हैं, इन्हीं कारणों से जानबूझकर इस प्रकार की सुनियोजित घटनाएं हो रही हैं और इस मामले में भी जानबूझकर ही एस0 आई0 श्री गौतम ने लाठी चार्ज कराया और विचारणीय प्रश्न जो है वह यह कि मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में लाठी चार्ज हुआ, जिससे पूरी तरह से यह स्पष्ट होता है कि इनकी हत्या पूर्व नियोजित तरीके पर की गयी है । इसलिए मान्यवर, इस मामले की सही स्थिति सामने आए एक कमेटी सदन के मा0 सदस्यों की गठित कर दी जाए जो मामले की गम्भीरता से जांच करे और जो दोषी हो उसको दण्ड दिया जाए और मान्यवर ऐसी निर्मम और दुखद हत्या की घटना को यह मा0 मुख्य मंत्री जी मुस्कराते हुए सुन रहे हैं, ऐसे अवसर पर मान्यवर आदमी कैसा भी हो हंसेगा नहीं लेकिन यह मा0 मुख्य मंत्री हंस रहे हैं, यह बड़े ही शर्म की बात है, इनको इस पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और ऐसे बेशर्म मुख्य मंत्री को इस सदन के अन्दर नहीं बैठना चाहिए । (शोर)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर यह घटना जो घटी है बड़ी ही दुखद घटना है इस विधान सभा के सामने ऐसे लोकतांत्रिक कार्यकर्ता की हत्या का किया जाना लोक तंत्र की हत्या करने के समान है । ऐसी लोकतांत्रिक हत्याओं को करने वालों को या कराने वालों को शर्म से मान्यवर डूब जाना चाहिए इसलिए मान्यवर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरी घटना के पीछे इस सरकार का और मुख्य मंत्री का हाथ है और जिस तरह से बल पूर्वक निर्मम हत्या कराई गयी और श्री अक्षयवर मल्ल के ऐसे अंगों पर लाठी के वार किये गये जिससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनकी मृत्यु हो गयी और जिस इन्सपेक्टर गौतम ने उनकी हत्या की या कराई, उसकी पुरानी रंजिश थी उनसे । मान्यवर, कार्यकर्ता को समस्याओं को लेकर कई बार ऐसे मामले आ जाते हैं जिसको लेकर बराबर धरना और विरोध करना पड़ता ही है, इस कारण श्री गौतम की इनसे लगातार दुर्भावना चल रही थी और वह ऐसे मौकों की तलाश में ही था, इसलिए उसने यह अवसर पाकर उसने जानबूझकर यह काम किया । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि इस सरकार में यदि जरा भी ईमानदारी है तो इस पर तत्काल चर्चा कराएं जायें और जो मा0 सदस्य इसमें बोलना चाहते हों, उन्हें पूरा अवसर दिया जाए । (शोर) और इस पर पूरी तरह से चर्चा हो । आज पुलिस के बल पर दिन रात अत्याचार हो रहे हैं । यही नहीं मान्यवर, गोरखपुर में होली के दिन खून की होली खेली गयी, यही आज पूरे प्रदेश की हालत है, नाजुक स्थिति थी इस घटना को लेकर इस पर यह होना चाहिए था कि दोनों पक्ष मिलकर कुछ रास्ता अख्तियार करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा न करके बल्कि मा0 मुख्य मंत्री जी अपना चेहरा छिपाने के लिए दिल्ली चले गये, इस लिए ऐसा लगा कि इस मामले में भी मा0 मुख्य मंत्री जी खुद ऐसी घटना के साजिश के शिकार हैं । उनके राज्य में पुलिस बेलगाम हो गई है । पुलिस की निरकुंशता और मनमानी के खिलाफ कार्यवाही न कर उन्होंने बराबर पुलिस का मनोबल बढ़ाया है क्योंकि वे अक्सर इसी प्रकार के स्टेटमेन्ट दिया करते हैं कि पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहिए । तो मान्यवर, यह सरकार आज इस प्रकार से अपना शासन चला रही है, इसलिए इस गम्भीर मसले पर सदन की कमेटी बैठाकर कार्यवाही होनी चाहिए और इस मामले पर जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि चर्चा होनी चाहिए, उसे भी कराया जाए । (शोर) विधान सभा के सामने विधान सभा के चलते हुए विधान की हत्या करते हुए एक व्यक्ति को मार डालना आजादी के बाद की पहली व असाधारण घटना है ? अतः कार्यवाही रोककर चर्चा करावें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सभी लोग क्यों खड़े हैं, अभी सिर्फ शुक्ला जी का नाम है और बेनी प्रसाद वर्मा जी आदि का है और बाबू राम जी का है, बाकी लोग कृपया स्थान ग्रहण करें । (शोर)

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर आपसे एक अनुरोध यह है कि यह बड़ा ही गम्भीर मामला है और यदि इसमें जिन लोगों के नाम नहीं हैं, और यदि वह बोलना चाहते हैं तो उन्हें अवसर अवश्य दे देना चाहिए जो अच्छे वक्ता हैं विरोध पक्ष के उन्हें तो अवश्य ही अवसर दे दीजिए । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत यह चर्चा स्वीकार नहीं हुई है, बाद में इसे हम सुन लेंगे ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

निर्णय हो जाय तब आप बोल लें ।

(शोर होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

क्या आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं । यह कोई तरीका नहीं है ।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

एक घटना है और उस पर सब के विचार आ गये हैं । जब इस पर चर्चा हो तब आप जो कुछ कहना चाहें कह लें ।

(व्यवधान)

श्री जगदीप सिंह बरार–

मान्यवर मेरी पहले की सूचना है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो दो की सूचनाएं मिली हैं, उनको सुन रहा हूं । पहली तारीख की सूचनायें अग्राह्य कर दी गयी हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर यह घटना 29 तारीख को घटी है । उसको लेकर पूरे सदन में ही नहीं पूरे प्रदेश में एक तरह से भय का वातावरण व्याप्त हो गया है और मैं आपके जरिये खास तौर से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यहां पर कोई चीज स्थायी नहीं है, न हम स्थायी हैं और न मुख्य मंत्री जी आपकी कुर्सी ही स्थायी है, अगर स्थायी है तो लोक तांत्रिक परम्परायें स्थायी हैं। जो लोक तांत्रिक परम्परायें और मर्यादाएं हैं उनका अगर पालन नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों का यहां रहना बेकार है, यहां रहने का कोई औचित्य नहीं है । मैं मुख्य मंत्री जी के इस्तीफे के लिए नहीं कह रहा हूं वह और 10 साल इस कुर्सी पर रहें लेकिन अपेक्षा इस बात की है कि जब तक आप इस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी मर्यादाओं का पालन करें । उस पर इस देश के बड़े-बड़े और महान लोग बैठ चुके हैं । यह बहुत बड़ी कुर्सी है । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का पद बहुत बड़ा पद है और अगर उसकी गरिमा के अनुसार काम नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में इसका असर पड़ेगा मुख्य मंत्री जी आपकी बड़ी जुम्मेदारी है, हमारे देश और प्रदेश की लोक तांत्रिक मान्यताएं समाप्त हो रही हैं । लोकतंत्र धरना अनशन की देन है अगर आप इसको समाप्त कर देंगे तो इसका विकृत रूप पैदा हो जायेगा । पुलिस के जरिये जो हत्याएं हुई हैं वह लोकतंत्र के नाम पर बड़ी शर्मनाक है । आप पूरे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और हमारे भी मंत्री हैं विधान सभा के सामने इतना बड़ा काण्ड हो गया लेकिन आज तक किसी कार्यवाही का एलान आपने नहीं किया । श्रीमन्, इससे बड़ी शर्म की बात उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के लिये और कोई नहीं हो सकती है । यह गोवा जैसे छोटे-छोटे प्रदेशों के मुख्य मंत्री की बात नहीं है । प्रधान मंत्री के बाद इस प्रदेश के मुख्य मंत्री का दूसरा स्थान है । यहां पर कोई पुलिस पर प्रशासन नहीं रह गया है वह बेलगाम हो गया है । अगर इस तरह से होता रहेगा, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी तो आप भी और हम भी कभी बच नहीं पायेंगे । इसलिये यह कोई मल्ल साहब की ही हत्या नहीं हुई है बल्कि लोकतंत्र की हत्या हुई, राजनीतिक नेता की हत्या हुई है । इसको आप मजाक में ले रहे हैं । गृह मंत्री अपना फर्ज अदा

करने के लिये खड़े हो जाते हैं । पहले आपको हम सबको सुनना चाहिए । सत्ता पक्ष के सदस्य भी एक औपचारिकतावश या कुछ मोहवश इस विषय में नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनको भी इसका बहुत दुख है । इस तरह से विधायकों की हत्या होती रही, उनका अपमान होता रहा तो नौकरशाही कहां जायेगी ? इसलिये इस महत्वपूर्ण विषय पर, इस खेदजनक विषय पर, मल्ल साहब की हत्या पर मैं खास तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में पूरी तरह से जालसाजी की गई है, पोस्टमार्टम में गलत कहा गया है, इसको आप गम्भीरता से लेकर चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, लोकतंत्र की मर्यादा को रखते हुये जिसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और एक दल के नेता की हत्या हुई है इसमें राजनीतिक दिमाग से हटकर निष्पक्ष भाव से कार्यवाही करें । हम इसका विरोध नहीं करेंगे । लेकिन हमको भी अपना कर्तव्य निभाना है, चाहे यह सदन चले या न चले । हम लोग भी इसके जिम्मेदार हैं । इसलिये सारे काम रोककर इसमें आप चर्चा करा दें ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, 29 तारीख को वहां पर जो कुछ हुआ वह खुद अपने में एक बहुत ही दुखद और घिनौनी घटना है । माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों को याद होना चाहिए कि जब डाक्टर दत्ता जो इस सदन के सम्मानित सदस्य थे बनारस में पुलिस द्वारा उनके साथ कितना बर्बर व्यवहार किया गया था और वे इस सदन में उसे कहते हुये फूट-फूट कर रो रहे थे । शायद आपको वह दिन याद नहीं आ रहा है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी के पुत्र को अमीनाबाद की पुलिस ने जिस तरह से रोककर बेइज्जत किया था वह भी शायद अपने आपके में एक घटना है, वह दिन भी आपको शायद याद नहीं आ रहा है । माननीय कृषि मंत्री के पुत्र के साथ कानपुर में क्या घटना हुई थी ? वह भी इनको याद नहीं आ रही है । मान्यवर, वह जो घटना हुई है, ठीक 11 बजकर 5 मिनट पर एक जलूस निकला जिसमें लगभग सौ-डेढ़ सौ लोक दल (ब) के लोग थे । जब वे यहां पर विधान भवन के गेट पर आये तो उस समय वहां पर कोई पुलिस और पी0 ए0 सी0 का आदमी नहीं था । जब जलूस गेट नम्बर 3 पर पहुंचा तो पुलिस ने मारपीट शुरू कर दी . . (व्यवधान) । मान्यवर, उनके सिर पर चोट आयी और उससे उनकी मौत हुई । मान्यवर, अगर रायल होटल पर घटी घटना जो राम गोविन्द चौधरी के घर पर हुई थी जिसके बारे में लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया गया था जिसमें लखनऊ एस0एस0पी0, एस0पी0 सिटी, इन्सपेक्टर हुसेनगंज तथा कैसरबाग के बारे में रिपोर्ट लिखाई गई थी, अगर इन सारे अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया होता तो 29 तारीख को जो घटना घटी है, वह न घटती . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप कृपया बैठ जांय ।

श्री शारदा प्रताप–

यह मामला एक साजिश के तहत हुआ है क्योंकि मल्ल साहब ने इन्सपेक्टर हुसेनगंज के खिलाफ मामला उठाया था . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय उपाध्यक्ष जी, पहले आप एक विधायक हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उपाध्यक्ष बाद में हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आज गोरखपुर में घटना हुई है राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रहार किया जा रहा है . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री शारदा प्रताप–

[x x x ।]

*श्री बाबूराम यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बरार साहब मेरा निवेदन मान लीजिये । माननीय तिवारी जी ने मेरा निवेदन मान लिया, मुझ पर दबाव मत डालिये (व्यवधान) डा0 संजय सिंह का नाम है । जिन-जिन के नाम हैं उनको मैं बुला रहा हूं अगर मैं आपको बुलवाऊंगा तो फिर औरों को भी बुलवाना पड़ेगा । माननीय तिवारी जी का नाम नहीं था उनसे मैंने निवेदन किया वह मान गये जिनके नाम नही हैं वह नहीं बोल रहे हैं ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, बड़े खेद के साथ इस गम्भीर संकट को देखते हुये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आजादी के 40 वर्ष बाद इस आदरणीय सदन के माथे पर खून के धब्बे लगे हैं जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री बीर बहादुर सिंह जी की वजह से उनके कार्यकलापों की वजह से लगे हैं । यह धब्बा ऐसा है जो आने वाला इतिहास बतायेगा कि इस माननीय वीर बहादुर सिंह जी के कार्यकाल में इस आदरणीय सदन के दरवाजे पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या जो अपने अधिकारों की मांग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा था भी पुलिस द्वारा कर दी गयी । माननीय अक्षयवर मल्ल शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने के लिये बैठे थे । यह हमारे सामने की बात है, कई विधायक वहां पर थे सब के सामने पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया, पकड़-पकड़ कर लोगों को घसीटा उसमें मल्ल साहब को सिर में चोटें आई और उनकी हालत खराब हो गयी । उनके सर से खून बह रहा था । हमारे साथी अभी हंस रहे थे ऐसा मालूम होता है उनकी मौत नहीं आयेगी, जरा सोचिये । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी को जरा भी गरिमा होती वह जहां भी थे वहीं से एलान करते जो पुलिस के लोगों ने हत्या की है, उसके लिये जो दोषी हैं उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे तब आपका सम्मान बढ़ता । मैं आपसे कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी जब आप वहां से हटेंगे तो जो इतिहास लिखा जायेगा वह काला इतिहास होगा । आपके रहते हुये विधायकों की पिटाई हो रही है । एक सचिव के कमरे में आपके कर्मचारी विधायकों को [x x] पीट रहे हैं । यह समय का काल चक्र है, जोड़ तोड़ कर आप कुर्सी पर बैठे हैं । आज सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही मैं कहना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी जिन लोगों ने हत्या की है उनको फांसी पर लटकाया जाय (व्यवधान) उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये (व्यवधान के मध्य)

नोट :–[xx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

जरार साहब आप बैठें मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, हमने उनकी बात बड़ी शांतिपूर्वक सुनी अब सरकारी पक्ष को भी सुन लीजिये और उसमें यदि कोई बिन्दु छूट जायेगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पर हैं वह स्पष्ट करेंगे ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, एक मिनट हमें कार्यस्थगन पर सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

बरार साहब मैं आपको कैसे बुला दूं ? आप बैठें । जिनके नाम हैं उनको मैंने बुलाया है (शोर होने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है ।

(गृह मंत्री के खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गृह मंत्री जी जरा बैठ जांय । माननीय बरार साहब मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं ग्राह्यता पर बोलना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं बैठें (व्यवधान)

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सभी नेताओं की बात सुन ली गयी है । मेरा निवेदन है कि आप सरकारी पक्ष को भी सुन लें और उसके बाद कोई बिन्दु यदि छूट जायेगा तो आप कह सकेंगे । मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं वह उनका स्पष्टीकरण दे देंगे ।

श्रीमन् 29 तारीख को लखनऊ शहर में धारा 144 लगी थी । श्री अक्षयवर मल्ल ने एक प्रार्थना पत्र देकर जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मुझे बोलने की अनुमति दी जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री जयदीप सिंह बरार जी आप बैठ जायं । अनुमति अब नहीं दी जायेगी । आप बैठ जायं ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जलूस निकालने की अनुमति मांगी थी । तो अनुमति इस शर्त पर दी गयी थी कि प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जायेंगे । मार्ग तय था जो ओडियन सिनेमा के सामने होकर लालबाग तक था । वह तय रूट के बजाय विधान सभा मार्ग की ओर बढ़े ।

मान्यवर, यह कहना सच नहीं है कि रायल होटल के चौराहे पर पुलिस तैनात नहीं थी । वहां पर श्री ए0 एन0 तिवारी पुलिस अधिकारी और पी0 ए0 सी0 मौजूद थी जिन्होंने निवेदन किया कि आप जुलूस लेकर विधान सभा के प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की कृपा न करें । उसके बाद गेट नं0 3 पर पुलिस मौजूद थी जिसमें एक एस0 आई0 और उसके साथ दो प्लाटून पी0 ए0 सी0 थी । एस0 आई0 का नाम श्री एन0 पी0 गौतम है वह मौजूद थे । प्रतिबंधित क्षेत्र में इन लोगों के घुसते समय अधिकारियों ने समझाया बुझाया लेकिन वह नहीं माने इसी के साथ रायल होटल से जुलूस का दूसरा दल चल पड़ा जो नारे लगा रहा था इसे आगे नहीं बढ़ने दिया गया । सड़क पर इस बीच जो वाहन आ रहे थे उन पर ईंट पत्थर फेंके गये और तोड़-फोड़ की गयी । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जो वाहन टूटे हैं उनके नं0 इस प्रकार हैं-यू0 आर0 यू0 3906, दूसरे सिटी बस का नं0 यू0 जी0 आई0 9605 और एक स्टाफ कार नं0 यू0 एच0 एफ0 8638 है जिनपर पत्थर फेंके गये । ऐसी परिस्थिति में वहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने उनसे निवेदन किया कि गेट नं0 3 को अवरुद्ध करने की कृपा न करें और विधान सभा के क्षेत्र को आवागमन के लिए सुरक्षित रखें, उनके मना करने के बावजूद जब नहीं माने तो पुलिस कर्मचारियों ने उनको खदेड़ने की कोशिश किया जिसमें कुछ लोगों को चोटें आयीं और 11 पुलिस कर्मचारी इसमें जख्मी हुये । एस0 आई0 गौतम और प्लाटून कमांडर एवं 9 पुलिस कर्मचारी पत्थराव से जख्मी हुये, इस संबंध में 28 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस लाईन ले जाकर 5 बजे जातीय मुचलके पर छोड़ दिया गया । इसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक को मिली तो वह कोतवाली से आये और देखा कि पुरानी सिविल डिस्पेंसरी के सामने श्री मल्ल खड़े हैं जिनके सिर में चोट है तो प्रभारी निरीक्षक उनको सिविल अस्पताल ले गये । 12.15 बजे । उनकी डाक्टरी परीक्षा हुई जिसमें केवल एक चोट बायीं भौं के ऊपर मत्थे में थी । मान्यवर, डाक्टरी परीक्षा हुई 12.15 बजे और चोट लगने के 6 घंटे बाद तक वह जीवित रहे । मान्यवर, जिस मष्तिष्क चोट की चर्चा की जा रही है, आप सभी अवगत होंगे कि मत्थे की चोट यदि गंभीर होती तो उसी समय राजनीतिक चर्चा अस्पताल में 6 घंटे तक न करते । एक व्यक्ति जो 6 घंटे अस्पताल में होश में रहे वह कोई रिपोर्ट न लिखवाये, उनके साथ के व्यक्तियों ने भी रिपोर्ट नहीं लिखाई । मान्यवर, साढ़े पांच बजे उनका निधन हो गया तो रात के 9 बजे के बाद श्री नगेन्द्र प्रताप सिंह ने रिपोर्ट लिखाई है । मान्यवर, पोस्ट मार्टम उनका हुआ है । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पर सुप्रीमकोर्ट तक विश्वास करता है । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में मत्थे की चोट के कारण मृत्यु नहीं हो सकती है, यह स्पष्ट बात लिखी है । लेकिन इसके बावजूद श्रीमन् पोस्टमार्टम के बाद में (व्यवधान) पहले हमारी पूरी बात आप लोग सुन लें । यह अनुचित बात है । यदि आप सुनेंगे नहीं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, जिस समय उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसके बाद शासन ने यह उचित समझा कि उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित रख लिये जायं और इसके फलस्वरूप उनका विसरा, किडनी, बड़ा फेफड़ा मस्तिष्क के कुछ भाग और हृदय पूरा सुरक्षित रख लिया गया है । इसकी जांच कराई जायेगी । मैजेस्ट्रियल जांच की घोषणा कर दी गई है । इसमें परीक्षण और

जांच के द्वारा सारे तथ्य प्रकाश में आयेगें । उनके लगी चोट के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि यह भोथरी तरह की चोट है, जो लाठी से भी लग सकती है और ईंट गुम्मे से भी लग सकती है और साथ ही जमीन पर गिरने के कारण भी लग सकती है । इसलिए यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि लाठी की चोट के कारण वह ही यह हुआ। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि मामले की मैजेस्ट्रियल इंक्वायरी हो और विशेषज्ञ जांच के द्वारा यह सिद्ध किया जाए कि किस कारण उनका निधन हुआ है ।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि तत्परता से कार्यवाही नहीं होती है, इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह, जिन्होंने इस मामले की रिपोर्ट लिखाई है, उनके पास जब पुलिस अधिकारी उनका बयान लेने गये, तो उन्होंने यह जवाब दिया कि 7 मार्च के बाद विधान सभा की कार्यवाही जानकर और नेताओं से परामर्श करने के बाद मैं अपना बयान दूंगा । ऐसी परिस्थिति में जल्दी कार्यवाही कैसे हो सकती है ? पुलिस ने यदि अपने कर्तव्य का पालन न किया होता तो आप लोग कहते कि पुलिस ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और जब उसने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है और अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए ही उसने उन्हें प्रतिबन्धित स्थान पर जाने से रोका, मना किया तो उनके द्वारा रास्ता जाम किया गया, वाहनों को तोड़ना प्रारम्भ कर दिया गया, उपद्रव और अशांति का वातावरण बनाया गया । इस पर प्रशासन द्वारा उनको खदेड़ने की कार्यवाही की गई । यहां एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं . . (व्यवधान) । अनुमति प्राप्त करने के समय उन्होंने यह वायदा किया था कि वह किसी प्रकार की अशान्ति का वातावरण पैदा नहीं करेंगे । श्रीमन्, इसी शर्त के साथ उन्हें अनुमति दी गई थी । लेकिन अशांति का वातावरण पैदा होने पर स्थिति विस्फोटक हो गई तो पुलिस ने कार्यवाही की जांच से पूर्व पुलिस को दोषी बताना पुलिस के साथ न्याय नहीं होगा । कृपा पूर्वक मैजेस्ट्रियल जांच होने दीजिए और विशेषज्ञों के द्वारा मृत्यु का कारण आने दीजिए, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना न्याय संगत होगा ।

(मुख्यमंत्री के खड़े होने पर)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ बोलें, उसके पहले आप मुझे सुन लें । मान्यवर, पिछले दो दिनों तक सदन नहीं चला था, विशेष कर इसलिए नहीं चला . . .

(व्यवधान)

(मुहम्मद आजम खां के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल खड़े हैं, बोल रहे हैं । आप बैठें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सत्यपाल सिंह–

हमारा गृह मंत्री पर कोई भरोसा होता तो वह पिछले दो दिन उपस्थित थे । उनके सामने चर्चा इस पर हो जाती और सारे सदन ने देखा गृहमंत्री ने आंख का आपरेशन कराया है । तो यहां पर उपस्थित सारे विरोध पक्ष के सदस्यों में जो आक्रोश है उसे वह देख नहीं पा रहे हैं और सुनने के लिए जब कहा तो माननीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि वह कानों से बेकार हैं, सुन नहीं सकते हैं . . .

(व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

आपने कहा था कि वह कानों से कमजोर हैं । मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा है । शतरुद्र प्रकाश ने कहा कि सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैंने कहा सुनाई दे रहा है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय गृह मंत्री ने विरोध पक्ष के नेताओं की बात को न ही सुना और न हमारे आक्रोश को देखा । एक सरकारी वक्तव्य ले आए और सदन का समय जाया किया । इतनी देर तक चर्चा होती रही अन्ततोगत्वा "पर नाला वहीं बहा जहां बहना था" इन्होंने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया । गृहमंत्री जी फिर वही कह रहे हैं । एक मुद्दई का बयान लेने की कोशिश इन्होंने की, मान्यवर, कानून की जानकारी तो इन्हें भी होगी । कोई भी जुर्म होता है तो उसमें गवाहों के बयान लेकर मुजरिमों को छोड़ा नहीं जाता है । सारी कार्यवाही की जाती है । यह तो आप भी मानते हैं कि चोट लगी है । आप बड़े भारी हमदर्द बनते हैं आपने उनके दिमाग का पोस्टमार्टम और फेफड़े आदि ले लिए, तो हमारा यह आरोप तो है नहीं कि उन्हें जहर दे दिया गया और जांच हुई तो बिसरा साबित कर देगा । उनकी मृत्यु ब्लंट वीपेन से हुई । यह कह रहे हैं कि वह बोलते रहे अगर वह बोलते भी रहे तो अनेक घटनायें ऐसी होती हैं जिसमें पहले चोट का प्रभाव कम होता है और वह बोलता रहता है और जब पूरा प्रभाव हो जाता है त वह बेहोश हो जाता है, तो बारह बजे उनके चोट लगी और साढ़े पांच बजे उनकी मृत्यु हुई, तो इन्होंने कोई ऐसा कारण तो बताया नहीं कि चोट उनकी लाठी से नहीं लगी और चोट की वजह से नहीं हुई। मान्यवर, जब उनकी मृत्यु हुई, तो सारे सदन में चर्चा हुई । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब कोई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन होता है या शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात होती है तो कोई भी उत्तर प्रदेश विधान सभा के पास नहीं आ सकता है, तो कैसे रायल होटल से लगभग डेढ़ सौ कर्मचारी गेट नम्बर-3 पर पहुंच गये । अगर बहुत भीड़ होती डेढ़ दो हजार कर्मचारी होते तो हम मानते कि आपकी पुलिस नियंत्रण नहीं कर पाई । लेकिन सौ पचास कर्मचारी कैसे विधान सभा के गेट तक पहुंच गये किस साजिश के तहत ऐसा हुआ ? मान्यवर, जब पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जाता था तो यह लोग विरोध करते थे, इसी कारण इन्होंने साजिश करके लाठी-चार्ज किया । इसमें समस्त पुलिस-कर्मी दोषी हैं जिन्होंने उन लोगों को

विधान सभा के गेट तक पहुंच जाने दिया और फिर लाठी प्रहार से श्री मल्ल की हत्या कर दी गई । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वह कोई जबाव देने जा रहे हैं तो यह औपचारिकता न निभाएं बेकार की सहानुभूति यह न दिखाएं । गोरखपुर में भी कांड हुआ और उन्नाव में भी ऐसा ही कांड हुआ और पुलिस का गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित जी ने इसी तरह से मनोबल बढ़ाया आप लोग पुलिस वालों की मदद करते हैं । मान्यवर, करहगा कांड में मैंने कहा कि पुलिस ने जुल्म किया है, लेकिन इन्होंने हमारी बात को नहीं माना आखिर में सी0 आई0 डी0 की जांच हुई और हमारी बात सही साबित हुई जिन लोगों को मारा गया वह गुण्डे बदमाश नहीं थे । आज फिर गृह मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस विषय को एक मोड़ दे रहे हैं जिस तरह से एक वकील अदालत में बहस करता है वैसे ही आप बहस कर रहे हैं और पुलिस को बिल्कुल निर्दोष साबित कर रहे हैं हैं और प्रजातांत्रिक अधिकारों को छीन रहे हैं तो जो कार्यपद्धति है जिसमें कल आपको भी इधर आना है, पुलिस को जो आप हथियार देना चाहते हैं, उनकी डिफेंस करके, उनका मनोबल बढ़ाकर उनकी हिफाजत करके तो इनका फल कल आपको भी भुगतान पड़ेगा । मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विषय की गंभीरता को समझें, दो दिन सदन नहीं चला, जो लोग हत्या के दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने की घोषणा करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है ।

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर मेजों की थपथपाहट)

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, पहली मार्च से इस विषय पर चर्चा हो रही है और यह कहा गया कि मुख्य मंत्री सदन में नहीं हैं । मान्यवर, यहां सदन में हमारे सत्तापक्ष के सारे सदस्य रहते हैं, मंत्रिपरिषद् के सारे सदस्य यहां बैठते हैं, मंत्रि परिषद् की ज्वाइंट रिसपांसिबिलिटी होती है । कोई भी सवाल आये उसका उत्तर सभी लोग दे सकते हैं । सबको पूरा अधिकार है । गृह मंत्री यहां मौजूद थे । गृह मंत्री को पूरा अधिकार है कि जो भी समस्या पुलिस के संबंध में आती है उसके बारे में पूरी तरह से जबाव दें । जो भी निर्णय लेना चाहे निर्णय लें, पूरा उनको अधिकार है । उसके बावजूद यह कह देना कि मुख्य मंत्री सदन में नहीं हैं इसलिये चर्चा नहीं हो सकती यह बिल्कुल टालने वाली बात हो सकती है । मैंने देखा कि जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तो लगातार कई दिन तक चर्चा नहीं की गयी । उसी प्रकार बजट पर चर्चा होनी थी, आज तीसरा दिन है । दोनों तरफ से माननीय सदस्य आते हैं, अपने क्षेत्र की और प्रदेश की तमाम समस्यायें थीं जिनके बारे में कहना चाहते थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला । हम एक सवाल को उठाकर, मैं मानता हूं कि यह बहुत अहम सवाल है, मुझे खेद है कि इस तरह की घटना घटी । ऐसी घटना से सभी को दुख होता है लेकिन देखना है कि कोई घटना घट जाती तो उसके लिये हम क्या कार्यवाही करते हैं ? अगर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए । मैं साफ कहना चाहता हूं कि कोई भी आदमी चाहे कोई भी सर-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकारी कर्मचारी हो या चाहे पुलिस का हो अगर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की गलती पायी जायगी तो किसी को छोड़ा नहीं जायेगा, उसके खिलाफ जो भी कार्यवाही हो सकती है, की जायगी । (मेजों की थपथपाहट ।) यह भी देखना चाहिये कि क्या कोई सवाल सदन में उठाकर हम किसी को सजा दे सकते हैं बिना जांच पड़ताल कराये ? सबको अधिकार होना चाहिये, किसी के बारे में कोई शिकायत है तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए । जांच पड़ताल के बाद ही सजा देनी चाहिये । अगर किसी के खिलाफ कोई बात साबित होती है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिये । जांच हो रही है । मैजिस्टीरियल जांच नियुक्त कर दी गयी है । अभी गृह मंत्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने स्थिति के बारे में, जो घटना थी उसके बारे में पूरी तरह से सदन को अवगत करा दिया कि कैसे घटना घटी ? यह सारी जानकारी आपके सामने रख दी गयी । आप मैजिस्टीरियल जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो जिससे चाहें, आई0 जी0 से या बोर्ड आफ रेवेन्यू के वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने के लिये तैयार हूं ।

श्री अक्षयवर मल्ल की लाठीचार्ज में हुई मृत्यु के संबंध में जांच हेतु सदन की सर्वदलीय समिति बनाये जाने की मांग

एक सदस्य–

सदन की कमेटी से जांच कराइये ।

* मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

अगर कार्यवाही करनी है, एक्शन लेना है तो यही तरीका है इसके द्वारा हम कर सकते हैं । सदन की कमेटी से जांच कराने से मामला ठीक नहीं हो सकता है और न जांच ठीक से हो सकती है । इसलिए अधिकारी स्तर से जांच करा सकते हैं । इस मसले को अगर राजनीतिक बनाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जान-बूझकर करायी गयी है यह घटना तो कौन कहा था कि रैली निकालो । आपने रैली निकाली और एक घटना घट गयी . . .

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

और कहते हैं कि जानबूझकर घटना करायी गयी कोई जानबूझकर ऐसी घटना नहीं करायेगा । जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं, चाहे उधर के हैं या इधर के हैं, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए । अगर कोई घटना हो जाती है, और उसके लिए यह कहा जाय कि सारे अधिकारी दोषी हैं, मुख्य मंत्री दोषी हैं या गृह मंत्री दोषी हैं, यह कहना उचित नहीं है। अगर कोई घटना होती है, तो उसकी जांच उठी ठीक से होनी चाहए और जांच के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । मैं इसको देखूंगा और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जायगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं बड़े आदर के साथ एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय मल्ल साहब की हत्या के बारे में सदन की समिति द्वारा जांच कराने के लिए नकार दिया । मान्यवर, माननीय मल्ल साहब की हत्या के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, मान्यवर, प्रजातंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार है, हम प्रदर्शन तो करते ही रहेंगे, हमें देखना यह होगा कि इस प्रदर्शन के बारे में सरकार का क्या रुख होगा ? हमें देखना होगा कि सरकार का रुख हमारे उस प्रदर्शन को कुचलने का तो नहीं होगा अभी माननीय गृह मंत्री के बयान से ऐसा लगता था कि जैसे जान-बूझकर प्रदर्शनकारियों ने आकर पत्थर, ईंट फेंक दिये । क्या प्रदर्शनकारी अपनी जेब में पत्थर, ईंट लेकर आये थे या पत्थर ईंट लेकर चल रहे थे ? यदि उनके पास पत्थर-ईंट थे, तो पहले दरवाजे पर जब पुलिस ने उनको रोका, तो क्या उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों के पास पत्थर-ईंट देखने का प्रयास नहीं किया ? यह तभी साबित हो सकता है जबकि इसकी जांच इस सदन की कमेटी करेगी । इसलिए मैं इस पर बल देता हूं कि इस प्रकरण की जांच इस सदन की कमेटी द्वारा कराई जाय और इसकी तत्काल माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करें । यह जनतंत्र के लिए हितकर होगा ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, सभी पार्टियों को पूरा अधिकार है कि वह जो भी जनतंत्र में कोई जुलूस निकालना चाहें, कोई प्रदर्शन करना चाहे या कोई सभा करना चाहे शान्तिपूर्वक करे, लेकिन यह किसी को अधिकार नहीं है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति का वह नुकसान करे । अगर कोई प्रदर्शन होता है, तो वहां पर किसी के साथ कोई घटना नहीं घटनी चाहिए और अगर कोई घटना घटना घटती है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी गृह मंत्री जी की बात मैं सुन रहा था, मान्यवर, मुझे बहुत अफसोस हुआ, कि इसी सदन में गृह मंत्री के पद पर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, चौधरी चरण सिंह जी, श्री हरिगोविन्द सिंह जी जैसे आदमी रहे और आज ऐसे मा0 गृह मंत्री हैं, जो श्री गोपीनाथ दीक्षित जी हैं, इन्होंने जो बात कही, वह बड़ी अफसोसजनक बात थी । इन्होंने वही रिपोर्ट पढ़ दी, जो पुलिस ने बना कर इनको दे दी थी । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने इसी सदन में अनेकों घटनाओं के बारे में एक बार नहीं, अनेकों बार यह कहा कि जांच होगी और जांच के बाद दण्डित किया जायगा । मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी पुलिसकर्मी को आपने अभी तक दण्डित किया ? किसी को भी दण्डित नहीं किया । बनारस के मामले में राजस्व परिषद् के चेयरमैन ने जांच किया, और क्या हुआ, 10 महीने तक पुलिस कप्तान बनारस में रहा और बहुत दण्डित किया, तो उसे बनारस से इलाहाबाद भेज दिया । यही इन्होंने जांच के बाद कार्यवाही किया । राम गोविन्द चौधरी वाली जांच स्वयं गृह मंत्री ने किया जांच के बाद आज तक कोई कार्यवाई

नहीं किया और मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 तक नहीं लिखी गयी और अब यही आप कह देंगे कि मैजिस्ट्रेट से जांच करायी जा रही है। वाह रे आपकी मैजिस्ट्रेटी जांच। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपका कोई मैजिस्ट्रेट वहां पर था जिसने यह आर्डर किया कि लाठीचार्ज करिये ? वहां पर कोई मैजिस्ट्रेट नहीं था स्वयं पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

अभी यहां पर गोरखपुर के बारे में चर्चा किया गोरखपुर में एक घटना हुई। मैं कहना चाहता हूं कि जो एस0 आई0 जिसने गोली चलायी थी उसको जेल भेज दिया गया। तुरन्त एक्शन लिया गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 मुख्य मंत्री जी, गोरखपुर वाला बाद में आयेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इसलिए सदन की भावना है कि सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय जो इसकी जांच करे और इनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही किया जाय अगर वह निर्दोष साबित हो जायेंगे तो फिर से बहाल कर दिए जायेंगे। इन पुलिस अधिकारियों और जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने समुचित व्यवस्था नहीं की। वह कैसे आ गये इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है।

(व्यवधान)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

श्रीमन्, गोबेल्स के सम्बन्ध में पढ़ा है उनकी आत्मा स्वर्ग या नरक में जहां हो, प्रसन्न होगी कि आज उनकी एक औलाद विधान सभा में बैठा हुआ है। श्रीमन्, झूठ का एक पुलिन्दा है यह और कैसे आप सुन रहे हैं? मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं जब सरकार का एक निर्णय हो गया है, सरकार का बयान हो गया कि पुलिस निर्दोष है, बेदाग है, पुलिस ने कुछ नहीं किया पुलिस साफ पाक है। यह बयान आ गया तब आई0 जी0 से या राजस्व परिषद् से जांच कराने का क्या सेन्स है, तब राजस्व परिषद् का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसकी हिम्मत नहीं है कि वह सरकार के बयान के खिलाफ कुछ कर सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस आदरणीय समिति में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी समिति के अलावा कोई दूसरी एजेंसी हो ही नहीं सकती जो निष्पक्ष रूप से जांच कर सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि ये झूठ के पुलिन्दे को छोड़कर धीरता का परिचय दें। गोरखपुर का नाम तो वैसे ही बदनाम हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

ओझा जी आप बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप शासन को निर्देशित करें क्योंकि शासन का एक बयान आ चुका है इसमें कोई भी सरकारी एजेंसी निष्पक्ष जांच नहीं करेगी इसलिए आदरणीय सदन की ही कमेटी से उसकी जांच करायें ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

अभी माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि गोरखपुर में जिस दरोगा ने गोली चलायी थी उसको जेल भेज दिया गया । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यहां पर नियम 56 में जो बात हो रही है वह अक्षयवर मल्ल की बात हो रही है। गोरखपुर के दरोगा को जेल भेज दिया लेकिन अक्षयवर मल्ल वाले में मैजिस्ट्रेटी जांच करायी जा रही है, इसको जेल नहीं भेजा । जब भी कोई इस तरह की बात होती है उसकी मैजिस्ट्रेटी जांच कर दी जाती है । मुख्य मंत्री जी इसे बड़ी गम्भीरता से ले रहे हैं । कभी यह दिल्ली चले जायेंगे कभी हवाई अड्डे चले जायेंगे । कार्य समिति की बैठक होती थी रात को, ये यहां पर आकर बयान दे सकते थे । मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जितनी गैर गम्भीरता से, हल्केपन से इस सवाल को ले रहे हैं इससे ऐसा लगता है कि यह सरकार पुलिस की रखैल बन गयी है, अक्षम बनकर रह गयी है।

*श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, यह मसला बड़ा गम्भीर है और चूंकि विधान सभा के ठीक सामने यह हत्याकाण्ड हुआ है और चूंकि अब गृह मंत्री की ओर से एक बयान आ गया है उस बयान में मा0 गृह मंत्री ने झूठ का सहारा लेकर पुलिस को सारा संरक्षण दे दिया है। अब किसी मैजिस्ट्रेट की क्या हिम्मत है कि निष्पक्ष जांच करके गृह मंत्री के खिलाफ बयान दे पायेगा । मान्यवर, यह घटना अपने में. . .

(व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

सकलानी जी वह जबाब दे लेंगे । आप बैठें । आपस में बात न करें ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, यह सामान्य घटना नहीं है। प्रदेश के किसी कोने में घटित किसी घटना का उल्लेख नहीं हो रहा है। विधान सभा की नाक के नीचे घटना हुई है। अब जब सरकार की ओर से बयान आ गया है, इसलिए किसी और जांच एजेंसी के द्वारा सही तथ्यों पर प्रकाश नहीं पड़ पाएगा। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि मा0 मुख्य मंत्री जी विपक्ष के लोगों की मांग को स्वीकार करें। मामले की गम्भीरता को समझें और सदन की सर्वदलीय समिति से जांच कराएं। इसमें डर किस बात का है। सदन की कमेटी जांच करेगी तो जो तथ्य है सामने आ जायगा। इसलिये मैं फिर से जोर देना चाहता हूं कि इस सदन की एक सर्वदलीय समिति बनाई जाय । न्यायिक जांच की बात तो झूठ का पुलिन्दा होगी, इसलिये कि गृह मंत्री जी ने सदन में झूठ का पुलिन्दा पेश कर दिया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, एक तरीके से सरकारी बयान इस घटना के बारे में आ गया है। इसके बाद सरकार का कोई अधिकारी, चाहे जितना बड़ा हो, सरकार के बयान के विपरीत नहीं जाएगा। या तो मान लीजिये कि सरकार के गृह मंत्री ने जो बयान दिया, सही है और इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। अन्यथा सदन की एक कमेटी द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस सरकार में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों, चाहे इस पक्ष हों या उस पक्ष के, उनमें विश्वास नहीं है, नौकरशाही में विश्वास है। मैं मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि लोकतंत्र की बहाली और अच्छी परम्परा को कायम करने के लिए और इस घटना को गम्भीरता से लेने के लिए और जनता को बताने के लिए कि सरकार कुछ करेगी, कृपा करके इस सदन की एक कमेटी द्वारा जांच करावें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, अभी मा0 मुख्य मंत्री ने कहा कि सदन की कमेटी की रिपोर्ट ठीक से नहीं आएगी। मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सदन की कमेटी की रिपोर्ट में यह अविश्वास क्यों है? इस समय देश में बोफोर्स कमेटी जांच कर रही है, क्या उसकी रिपोर्ट पर अभी से मुख्य मंत्री जी को अविश्वास है?

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था नहीं है। बोफोर्स यहां पर बीच में कहां आ गया?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

सदन की कमेटी में विश्वास नहीं है, हम लोग सदन के सदस्य हैं, हम लोगों में विश्वास नहीं है। मा0 मुख्य मंत्री जी को तो अपने कर्मों पर ही विश्वास नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा0 उपाध्यक्ष जी, मा0 गृह मंत्री के बयान के बाद जैसा कि मा0 नेताओं ने बताया अब कोई भी, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वह सरकार के खिलाफ जांच करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी बात यह कि गृह मंत्री ने जो अभी इतना असत्य का, [xxx] बयान दिया . .

(व्यवधान के मध्य)

कोई मामूली बात हो गयी है। [xxx] का बयान दिया है।

(शोर)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मा0 मुलायम सिंह जी का बयान असंसदीय और गैर पार्लियामेंटरी है। इसको किसी तरह से नहीं रहना चाहिए। इसको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

जो असंसदीय शब्द होंगे, उनको निकलवा दूंगा।

(घोर व्यवधान)

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जो कुछ मैंने कहा है, ये बड़े विद्वान हैं, इनको सिखाइये। मैंने संसदीय भाषा का प्रयोग किया है। बड़े-बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, ये लोक सभा, राज्यसभा की कार्यवाही पढ़ने की कृपा करें। मैंने बिलकुल संसदीय शब्दों का प्रयोग किया है।

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

मान्यवर, मुलायम सिंह जी ने अपने स्तर का परिचय दिया है। इनके स्तर से जो आशा की जाती थी, उसी का परिचय दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये अनावश्यक रूप से उत्तेजित हो रहे हैं। मैंने किसी को बेहूदा और पाजी नहीं कहा है। मैंने बेहूदापन और पाजीपन कहा है। और वह संसदीय भाषा है।

श्री हरदेव–

वह कार्यवाही से निकाला जाय, असंसदीय शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें। शांति बनायें रखें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जब सरकार का बयान आ गया है कि पुलिस निर्दोष है और दोष सारा प्रदर्शनकारियों का था, फिर इस बयान के बाद कौन प्रशासनिक अधिकारी या मैजिस्ट्रेट जांच करने की हिम्मत करेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी बात जो भी तथ्य दिये हैं, वह तो दरोगा और दीवान की रिपोर्ट पेश की गयी होगी। बिना जांच के ही सारी बातों को यहां रख दिया। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री ने सदन के सामने झूठ बोलकर सदन को गुमराह किया है। मान्यवर, हमने और सभी विपक्षी नेताओं ने यह उम्मीद की थी कि सत्ता पक्ष इसे गम्भीरता से लेगा। अब मान्यवर सत्ता पक्ष के लोगों का आचरण देख लें, बोलने में व्यवधान डाल रहे हैं। इन्हें शांत करायें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य आपस में बात न करें, शांति बनायें रखें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, अगर उस दिन हम लोगों ने यह मांग की थी कि माननीय मुख्यमंत्री की सदन में मौजूदगी पर ही बात होगी, तो इससे तो माननीय मुख्य मंत्री का सम्मान बढ़ाया ही था। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी सारी बातों को समझते हैं, इन पर भी यह सारी चीजें बीती हुई हैं। अब इसमें प्रतिष्ठा के सवाल की बात कहां रह गयी है? आपको 1978 का, यहां का प्रदर्शन मालूम ही है, जब माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं उसमें सम्मिलित थे या नहीं, वह बतायेंगे, लेकिन माननीय कमलापति त्रिपाठी जी उसमें थे और उस समय सदन के सामने प्रदर्शन किया गया था।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

विधान भवन के सामने नहीं, लालबाग पर थे।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, जब प्रदर्शन किया जाता है, तो उसका उद्देश्य राजनीतिक होता है। और, राजनीति तब तक सफल नहीं होती, जब तक पुलिस लाठी नहीं चलाती। अब आप लोग शान्त होकर सुनें। हमने प्रदर्शन किया था 1978 में गन्ना को लेकर। तब स्वर्गीय तत्कालीन सम्मानित चौधरी साहब हमारे गृह मंत्री थे। गन्ना उस समय जलाया जा रहा था। हम लोगों को जो रूट दिया गया था वह था हजरतगंज से होकर आने का। अगर हम लोग हजरतगंज से होकर आते तो लाठी न चलती। लेकिन, बेरियर तोड़ना था, वह बेरियर तोड़ा लाठी खायीं। हम लोग विधान सभा के सामने नहीं आये थे। हम लोगों ने रूट बदला था और लाठी खायीं। आप तो राजनीतिक दल के हैं, इसमें परेशानी क्या है? तब इस विधान सभा में तत्कालीन नेता विरोधी दल माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने उसी बात को कहा था, जो बात आज आप उठा रहे हैं, आप इधर बैठे हुए थे लेकिन आपने उसी बात को ठुकरा दिया था।

हमारी विधान सभा की कार्यवाही परम्पराओं पर चलती है और यह परम्परा यहां स्थापित है आज से नहीं 1946 से ऐसी कोई भी घटना घटती है तो विधान सभा की कमेटी उसकी जांच नहीं करती और ऐसे किसी भी कार्य की जांच आज तक विधान सभा की कमेटी ने नहीं की है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इस मामले में किसी की मृत्यु पहली बार हुई है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जहां तक हत्या का प्रश्न है, वह असंदिग्ध है। मृत्यु किन कारणों से हुई यह अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जो रिपोर्ट आई है, उसमें लाठी, अथवा पत्थर मारने, अथवा गिरने से अथवा अन्य किसी कारण से मृत्यु का होना अभी सिद्ध नहीं हुआ है। रिपोर्ट में मस्तिष्क, लीवर, हैमरेज आदि को लिया गया है। हफ्ते 15 दिन में पूरी रिपोर्ट आ जायगी, वह सदन के सम्मुख रख दी जायगी।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, अच्छा होता कि स्वास्थ्य मंत्री हमारे बोलने के बाद बोलते लेकिन इनका भी विभाग इसमें दोषी है और उस पर भी आरोप है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी प्रदर्शन सन् 1978 में हुआ था, उसमें कई लोग विधान भवन के अन्दर भी घुस आये थे, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। उस समय लाठीचार्ज हुआ था, कुछ लोग घायल भी हुये थे। मान्यवर, हम लोगों की सदन की कमेटी की जो मांग है, जिसको माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि आपका बहुमत है और आप अपना बहुमत इस कमेटी में कर लीजिये। मान्यवर, यह इस तरह की घटना पिछले 50 वर्षों में पहली है और अंग्रेजों के जमाने में भी लाला लाजपत राय, नेहरू जी और पंत जी, इन लोगों को छोड़कर नेताओं को कभी नहीं मारा गया। यह जान-

बूझकर और षड़यंत्र तथा साजिश करके श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या की गई है और जिस दरोगा ने लाठीचार्ज किया है, उस दरोगा के खिलाफ श्री मल्ल ने पहले भी शिकायत की थी और उसका ट्रांसफर करवाया था। इसके अलावा जिन मजिस्ट्रेटों पर हमने आरोप लगा दिया, उसके बाद मैजिस्ट्रेटी जांच का क्या मतलब रह जाता है?

(कई सदस्यों के आपस में बात करते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप लोग आपस में बातें न करें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इस कमेटी में आपका बहुमत हो जाय और सदन की एक सर्वदलीय कमेटी नियुक्त हो जाये। यह पिछले 50 सालों की पहली घटना है, जिसमें किसी की मृत्यु हुई है। श्री अक्षयवर मल्ल किसी दल के केवल नेता ही नहीं थे, वह नगरपालिका के दो बार सदस्य भी रहे और नगर लोकदल के लखनऊ अध्यक्ष भी थे। उनके बारे में सब लोग जानते हैं कि वह अत्यन्त ईमानदार, संयमी, परिश्रमी और धीरज रखने वाले नेता थे। यदि कोई व्यक्ति उत्तेजित हो भी जाता था तो वह उसको रोकते थे और समझाते थे। उनकी हत्या एक षड़यन्त्र के तहत, साजिश के तहत की गई है। यहां के जो चार अधिकारी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन बताना चाहता हूं कि कैसरबाग के इंस्पेक्टर, हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी और हुसैनगंज के इंस्पेक्टर, इन सबने मिलकर यह हत्या कराई है और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास को मत दोहराइये। इसी तरह से सरकार वहां पर बैठी हुई थी, जब माया त्यागी के गुप्तांगों में पुलिस ने डंडा डालकर उसके गर्भ से बच्चा गिरा दिया था। यदि यही होता रहा तो हम सारे लोगों को विचार करना पड़ेगा, हिंसा रोकने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अगर कायर और हिंसा में से यदि कोई चुनाव पड़े तो हम हिंसा को चुनेंगे। माया त्यागी वाले मामले में भी हमारी बहुत ही मामूली मांग थी। स्व0 श्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा भी था कि उन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ 302 का मुकदमा चलाया जाय और उन्हें जेल भेजा जाय। यदि वे निर्दोष साबित हो जायं तो उनका प्रमोशन कर दिया जाय। यही हम भी कहते हैं कि यदि श्री मल्ल वाले मामले में यदि दोषी लोग निर्दोष साबित हो जाते हैं तो उनका आप प्रमोशन कर दें, लेकिन आज आप इस संबंध में एक सर्वदलीय कमेटी सदन की अवश्य बनायें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यह मत समझ लीजिए, अगर हमारी बात मान ली गई होती तो श्री नरेन्द्र सिंह दरोगा की हत्या नहीं होती। यदि आप कानून से और सदन के माध्यम से सजा नहीं देंगे तो जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, बागपत की पुनरावृत्ति न की जाय, नरेन्द्र सिंह दरोगा जैसी हत्या न हो। यदि आपने सदन की एक कमेटी नहीं बनाई तो निश्चित तौर से नरेन्द्र सिंह दरोगा जैसी हत्या की पुनरावृत्ति होगी और फिर इसकी जिम्मेदारी माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी होगी। यह कोई मामूली बात नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि सदन की कभी कोई कमेटी नहीं बनी। मान्यवर, आप कार्यवाही निकालकर देख लें। 1982 से 1987 के बीच में जब बनारस पावर हाउस में आग लगी थी तो उसके लिए इस सदन की एक कमेटी बनी थी और श्री गोपीनाथ दीक्षित जी उसके अध्यक्ष थे।

श्री उपाध्यक्ष–

सदन की एक कमेटी बनाने की मांग की गई है। पीठासीन अधिकारी को कमेटी गठित करने का अधिकार नहीं है। ऐसी समिति सदन के प्रस्ताव पर ही गठित हो सकती है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की एक समिति का गठन कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

समिति का नाम भी तो होना चाहिए और उसमें कितने सदस्य होंगे। ऐसा प्रस्ताव आप लिखकर दें।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यहां पर जो काम हो रहा है, कौन लिखकर दे रहा है? मैं प्रस्ताव कर रहा हूं कि इस सदन की एक सर्वदलीय समिति का गठन कर दिया जाय।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हम चाहते हैं कि सदन शांतिपूर्ण चले। आज मुख्य मंत्री जी आ गये हैं। गृहमंत्री जी ने तो इस मामले को गम्भीरता से लिया नहीं, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसे थोड़ी गम्भीरता से लिया है। गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया, उससे उन्होंने साबित कर दिया कि पुलिस उनकी नौकर नहीं है, बल्कि माननीय गृहमंत्री जी पुलिस के नौकर हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को गम्भीरता से लें। जब तक सदन की कमेटी का गठन नहीं किया जायेगा तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे। आपके जरिये मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसको गम्भीरता से लें। मैजिस्ट्रेट जांच क्या होती है?

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

जैसी मुख्य मंत्री जी ने सामूहिक जिम्मेदारी की बात कही, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि ऐसी कोई समिति गठित नहीं हुई है। आपके सामने साबित हो गया कि समिति गठित हुई है। हम चाहते हैं कि विधान सभा चले, कोई गतिरोध पैदा न हो। आपका मंत्रिमंडल है, आप उसके मुख्यमंत्री हैं। जिस मैजिस्टेरियल जांच की आप दुहाई दे रहे हैं, उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। उस जांच में माननीय गृहमंत्री का बयान कटने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन में अशान्ति और व्यवधान पैदा न हो, अतः मैं पुनः आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जैसी विरोध पक्ष के नेताओं की, विषय की गम्भीरता को देखते हुए प्रबल मांग है सदन की समिति बन जाय, पार्लियामेन्ट में भी बनी थी, विधान सभा में भी बनी थी। क्यों प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे हैं? क्यों हठवादिता कर रहे हैं? इसके साथ ही जिनके खिलाफ प्रागदर्शन में रिपोर्ट है, जिनके ऊपर साबित हो रहा है, उनको जेल भेजिये। ऐसा आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी दें।

श्री बीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, एक तरफ कहा जाता है कि सदन कम चलाया जाता है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सदन चलने नहीं देंगे। यह प्रयास, जब से सदन शुरू हुआ है, चल रहा है। कोई समस्या अगर पैदा होती है तो उसका समाधान होना चाहिए। जो हमने कहा है आई0 जी0 से या दूसरे मण्डल के आई0 जी0 से या बोर्ड आफ रेवेन्यू के सीनियर मेम्बर से जांच करायी जायगी।

श्री शारदानन्द अंचल–

जब तक सदन की कमेटी नहीं बन जाती, हम सदन नहीं चलने देंगे।

(व्यवधान के मध्य श्री कल्याण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्यान सिंह–

आपने मेरा नाम किस सिलसिले में पुकारा है, मान्यवर?

श्री उपाध्यक्ष–

गोरखपुर वाले मामले पर बोलने के लिए।

श्री कल्यान सिंह–

गोरखपुर वाला मसला बाद में आयेगा, अभी तो इस सदन की सर्वदलीय समिति के द्वारा श्री मल्ल की हत्या की जांच का प्रश्न विचाराधीन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी किसी से भी जांच कराने के लिए तैयार हैं, तो सदन की समिति से जांच कराने में क्या एतराज है?

श्री उपाध्यक्ष–

सदन की सहमति इस पर हो जाय तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं?

श्री कल्यान सिंह–

बाकी मसले बाद में लिये जायेंगे, पहले इस पर तो फैसला हो जाय।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, 29 तारीख की कार्यवाही की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, 29 तारीख की इस सूचना के बाद प्रदर्शन, धरने और लाठीचार्ज हो रहा है, जब माननीय (कांग्रेस दल के) सदस्यों द्वारा सूचना दी गयी तो उस दिन की कार्यवाही देख लीजिये, माननीय अम्मार रिजवी साहब ने एक प्रस्ताव रखा था। उन सारी घटना के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी जिस ढंग से भी चाहें, सब लोगों

की समिति बना कर या अन्यथा इसकी जांच करा लें। हम लोगों ने भी इसी बात का अनुरोध किया था, लेकिन मान्यवर, उस समय तक लाठी चार्ज की ही सूचना थी। अब इसमें यह भी जुड़ गया है कि 29 तारीख को माननीय अक्षयवर मल्ल की मृत्यु हो गयी। इस दुखद घटना पर माननीय मुख्य मंत्री की सद्इच्छाओं को जगाते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की एक सर्वदलीय कमेटी बना दी जाय जो कि इन सारे प्रकरणों की जांच करे और माननीय गृह मंत्री जी ने जो बातें कहीं हैं उसकी सत्यता का भी पता चल जायेगा क्योंकि उनकी बातों में बड़ा विरोधाभास था।

राजस्व एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय कौशिक जी ने पता नहीं कैसे यह बातें कहीं और कहां से उन्होंने यह सुन लिया? मैंने तो उस दिन यह कहा था कि माननीय अध्यक्ष जी इस मामले में जो भी आदेश दें, वह हमें मान्य होगा। सारी स्थिति मैंने स्पष्ट की थी कि कौन सा रास्ता था, कहां से आना था, कहां तक जाना था, जहां लाठीचार्ज हुआ यह सब बातें मैंने उस दिन कही थीं, लेकिन किसी कमेटी के बनाने की बात जो है, सम्मानित सदस्यों की कोई कमेटी बनाने का प्रस्ताव मेरी तरफ से नहीं आया था।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप सदन की कार्यवाही 29 तारीख की देख लें कि जब माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आने से रुक गये थे और यहां पर यह मामला उठा था तब माननीय अध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था दी थी कि मैं इसकी खुद जांच करूंगा। मान्यवर, यह मामला इसी सारी घटना से जुड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस घटना की बात नहीं कह रहा हूं। उन्होंने उस दिन जो जांच की बात कही थी वह विशेषाधिकार से संबंधित मामला था।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

उस दिन मैंने भी यह प्रश्न उठाया था कि तीन नम्बर के गेट पर लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है और वहां पर लाठी चार्ज हुआ था। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आधे मामले की जांच जब अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं तो आधे मामले की जांच मजिस्ट्रेट से कराई जाय यह उचित नहीं है सारे ही मामले की जांच माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा हो।

श्री उपाध्यक्ष–

वह विशेषाधिकार का मामला था जिसके लिए जांच की बात उस दिन उन्होंने कही थी।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में ही एक कमेटी बना दें कि वह इस सारे मामले की जांच करे। विधान सभा एक निष्पक्ष संस्था है और इसकी सर्वदलीय एक कमेटी बना दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर अब और नहीं होगा। इस पर तो हो लिया।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, विधान सभा तो पार्लियामेन्ट की अनुगामिनी है। अगर पार्लियामेन्ट में बोफोर्स काण्ड की जांच के लिए सदन की कमेटी बनायी जा सकती है तो श्री राजीव गांधी के चरण चिह्नों पर चलने वाले मुख्य मंत्री के सदन की जांच के लिए कोई कमेटी क्यों नहीं बनायी जा सकती है?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय कल्याण सिंह जी, आप बोलिये।

(मा0 कल्याण सिंह के न खड़े होने पर)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार के इस गैरजिम्मेदाराना रवैये पर मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री रामचन्द्र बख्श सिंह सदन का त्याग कर चले गये)

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय कल्याण सिंह जी, आप गोरखपुर वाले मामले पर अब बोलिये।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, गोरखपुर वाला मामला तो बाद में उठेगा इस समय तो अक्षयवर मल्ल वाला मामला अभी पड़ा हुआ है, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अपील करता हूं कि इतनी सी बात को मानने में सरकार को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जांच में अगर आपके पुलिस के अधिकारी निर्दोष साबित हों तो आप उनका प्रमोशन कर दीजियेगा और पुरस्कृत कर दीजियेगा। जब पूरा विपक्ष आपसे अनुरोध कर रहा है सदन की एक कमेटी बनाने के लिए, जबकि बहुमत के हिसाब से उस कमेटी में आपके ही दल के अधिक सदस्य रहेंगे फिर इसमें आपको क्या आपत्ति है?

(सर्वश्री शारदानन्द अंचल व बलराम यादव सहित अन्य कई सदस्य जोर जोर से नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत आज 15 सूचनाएं प्राप्त हुयी थीं, जिसमें से केवल प्रदेश के अधिकांश जनपद में उपभोक्ता भण्डारों के अध्यक्षों और डायरेक्टरों का मनोनयन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाये जाने विषयक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी और श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकार हुई और शेष सभी सूचनाएं मैं अस्वीकार करता हूं।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या–16 माननीय नेता विरोधी दल अपना भाषण शुरू करें।

(कई सदस्यों द्वारा पुनः जोर-जोर से नारे लगाने पर तथा डायस की तरफ आगे बढ़ने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

25 मिनट के लिए हम सदन की कार्यवाही को स्थगित करते हैं।

(इसके बाद 2 बजकर 53 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 25 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 3 बजकर 18 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन पौने पांच बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। तदुपरान्त 4 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, नियम 56 में जो स्वर्गीय मल्ल की हत्या के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था उसके सम्बन्ध में हम लोगों ने सदन की एक कमेटी बनाने की मांग की थी। उस पर बिना कोई निर्णय दिये हुये आप चले गये। इसलिए उस पर आप निर्णय दीजिये। संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं . . . (व्यवधान)। मान्यवर, इधर देखिये।

श्री उपाध्यक्ष–

देख रहा हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह एक गम्भीर मामला है। जरा सोचिये। इस विधान सभा का महत्व क्या रहेगा। अगर इस सम्बन्ध में विधान सभा में कोई नया निर्णय नहीं लिया जाता है, न्याय नहीं किया जाता है, हत्या को छिपाने की सरकार कोशिश करती है और वह भी विधान भवन के सामने ही, तो इस विधान सभा का औचित्य ही क्या रह जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने मद संख्या 16 पर नेता विरोधी दल को बुलवा लिया था सामान्य चर्चा के ऊपर . . . (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

बुलवा तो आपने इसमें भी सबको लिया था . . .

श्री उपाध्यक्ष–

उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इसके अलावा भी आपको अधिकार है।

श्री मनोहर लाल–

इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप मजबूर करिये सरकार को कि वह सदन की कमेटी बनाये और जांच करें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री मुलायम सिंह यादव–

निर्देश दे सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं बुलवा सकता हूं, निर्देश भी नहीं दे सकता। इस पर काफी देर तक चर्चा करवा दी है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

वहां से बुलवाने से क्या होता है? इस पर निर्णय दीजिये। उन बातों को दुहराना आवश्यक नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, सदन की एक कमेटी बनाने के लिए आप सक्षम हैं। आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करके आप स्वयं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आवश्यक शक्तियों का अधिकार पीठ को नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक बार नहीं, अनेक बार इसी पीठ से सदन की कमेटियां बनायी गई हैं। जब माननीय धर्मसिंह जी अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक बार नहीं कई बार कई कई कमेटियां बनाने के लिए निर्देश दिया है और बनी हैं। यह सरकार अपने कृत्यों से ग्रसित है तो उससे क्या होता है। पार्लियामेन्ट में बोफोर्स के मामले में कमेटी बनायी गई है। आप भी इसके लिए घोषणा कर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 17 . . .

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें कानपुर में गंगा बैराज बनाने एवं गंगा को घाटों तक लाने के संबंध में श्री मनोहर लाल एवं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकार की गई है। बाकी सब अस्वीकृत हुई।

उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में ओला-वृष्टि से हुई क्षति के संबंध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 18, राजस्व मंत्री।

एक सदस्य–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

[जनपदों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 16 जनपदों में जनवरी, फरवरी व मार्च 1988 में ओला-वृष्टि होने तथा उससे क्षति पहुंचने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश जनपदों में दिनांक 14 फरवरी, 1988 को ओलावृष्टि हुई। अब तक आठ व्यक्तियों तथा आठ पशुओं की मृत्यु की सूचना मिली है।

नियमानुसार जिन जनपदों में फसल को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है वहां के जिलाधिकारी भू-राजस्व की वसूली स्थगित करने तथा छूट का प्रस्ताव बनाने के लिए प्राधिकृत हैं। तद्नुसार छूट के प्रस्ताव जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। व्यक्तियों की मृत्यु पर पात्र व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता वितरित की गयी है। ओलावृष्टि के कारण भुखमरी, चारे की कमी, आबादी के पलायन आदि की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मजदूरी के लिए रोजगार परक कार्य पहले से ही किए जा रहे हैं। स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में है और उस पर निरन्तर निगाह रखी जा रही है।]

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री गौरी शंकर भइया, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री भगवती सिंह, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री राम सागर आपको स्पष्टीकरण हेतु कुछ पूछना है?

(किसी सदस्य के खड़े न होने पर)

अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

"सरकार द्वारा शीतगृहों में भण्डारण दर घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में" वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 19 से सम्बन्धित वक्तव्य सम्बन्धित माननीय सदस्यों की प्रार्थना पर स्थगित कर दिया गया है।

(व्यवधान)

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अक्षयवर मल्ल की लाठी चार्ज में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में जांच हेतु सदन की सर्वदलीय समिति बनाये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

व्यवस्था का प्रश्न है . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था तो मैं सुन ही रहा था . . .

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जब सदन की कार्यवाही स्थगित की गई थी तो स्वर्गीय अक्षयवर मल्ल की हत्या के सम्बन्ध में कमेटी बनाकर जांच करने का जो प्रकरण चल रहा था उसमें आपने कोई निर्णय भी नहीं दिया। वह नियम 56 का मामला था। यह तो गूंगी बहरी सरकार है, कुछ बोलना नहीं चाहती है। जब तक इस गम्भीर प्रकरण पर कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक आपकी जिम्मेदारी है कि सदन व्यवस्थित रूप से चले।

आपको आभास है कि हम इस मामले पर बहुत गम्भीर हैं और असाध्य भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसे मामले में इतनी जल्दी आपको नहीं करनी चाहिए। आपका फर्ज है कार्यवाही को चलाना अभी एजेंडा को आगे न चलायें जब तक विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आपस में सहमत न हो जायं तब तक दूसरा आइटम न लें और अगर लेंगे तो बिना वजह कार्यवाही में बाधा होगी।

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने प्रस्ताव के लिए कहा था लेकिन प्रस्ताव आया नहीं। मैं मजबूर नहीं कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठ कर देखे जाते हैं। यह मामला भी ऐसा ही है जो संसदीय परम्पराओं के लिए एक मर्यादा का प्रश्न है। आज पुलिस और नौकरशाही बेलगाम हो गयी है। लोकतंत्र के मंदिर के सामने इस तरह से हत्यायें होती रहेंगी तो कब तक यहां पर शहीद स्मारक बनते रहेंगे। यह सिलसिला जो आपके नेतृत्व में शुरू हो गया है इस पर अनुरोध करना चाहता हूं कि जब तक संतोषजनक कार्यवाही का आश्वासन नहीं मिलता है कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी (व्यवधान) हमें उसके लिए मजबूर होना पड़ेगा।

*श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, सबकी यह मांग हुई कि इस मामले में सदन की एक सर्वदलीय समिति बना दी जाय जो इस काण्ड की जांच करे लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर इन्कार कर दिया। वह समिति बनाने को तैयार नहीं हैं। इस पर विधान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभा में ऐसी स्थिति आ गयी है कि सदन सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई है, इस पर कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए मैं विश्वास के साथ सुझाव देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी सारे प्रकरण की जांच के लिए न्यायिक जांच कराने के आदेश दे दें, संबंधित दरोगा को सस्पेंड कर दें। जांच निष्पक्ष हो सके इसके लिए बाकी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको यहां से हटा दें तो शायद सदन की समिति की मांग न करे। और जो उनके सामने परेशानी आ रही है वह भी दूर हो जायेगी। इसको प्रेस्टिज का मामला न बनाये। हम चाहते हैं कि न्याय हो दोषी लोगों को सजा हो। जांच में निर्दोष पाये जायेंगे तो ठीक है वह सजा नहीं पायेंगे। इसलिए निष्पक्ष जांच हो जाय तो मालूम हो जायेगा। यह मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने से या बोर्ड आफ रैवेन्यू के मम्बर से जांच कराने से, आई0 जी0 से जांच कराने से हल नहीं होगा। इसलिए इस पर न्यायिक जांच करा दें ताकि जनता का भी विश्वास बना रहे सारे प्रकरण की न्यायिक जांच करा दें जिम्मेदार दरोगा को सस्पेंड कर दें बाकी को यहां से हटा दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

गौरी शंकर भइया जी आपको मद 18 के स्टेटमेंट पर कुछ पूछना है (व्यवधान के मध्य) अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 52 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
7 मार्च, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए ता0प्र0सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर।)

निर्मित चूल्हों की ग्रामवार सूची

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	निर्मित चूल्हों की संख्या
1	2	3	4
1	बंकी	हासेमऊ	190
2	,,	शुकुलाई	381
3	,,	बडेल	495
4	,,	केवाड़ी	261
5	,,	दानियालपुर	327
6	,,	भहेरा	390
7	,,	गंदियां	165
8	,,	गोकुलपुर	117
9	,,	बहादुरपुर	48
10	,,	फरिस्तीपुर	72
11	,,	मुबारकपुर	57
12	,,	रजाकपुर	28
13	,,	रसूलपुर	21
14	,,	रवई	21
15	,,	तख्ता	49
16	,,	करखा	121
17	,,	हजरतपुर	187
18	,,	दरहरा	362
19	,,	घोकलपुर	32
20	,,	असेनी	63
21	,,	निगरी	127
22	,,	जहांगीराबाद	467
23	मवई	पटरंगा	152
24	,,	जैनाबाद	140
25	,,	सेवढारा	126
26	,,	मवई	149
27	,,	बहापुर	133
28	,,	हुबलापुरवा	100
		योग	4781 चूल्हे

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0-27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-27 का संलग्नक—

क्रम-सं0	कर्मचारी का नाम	प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की तिथि
1	2	3
1	सर्वश्री	
	रामानन्द लाल, आशुलिपिक	19-2-86
2	के0 सी0 सक्सेना, वरिष्ठ सहायक	21-5-85
3	हर प्रसाद सक्सेना, वरिष्ठ सहायक	23-5-85
4	कु0 आशा अग्रवाल, वरिष्ठ सहायक	26-12-85
5	के0 पी0 मिश्रा, कनिष्ठ लिपिक	7-1-86
6	अशोक कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक	15-3-83
7	बी0 पी0 सक्सेना, वरिष्ठ सहायक	16-6-84
8	एस0 बी0 सक्सेना, वरिष्ठ सहायक	7-6-84
9	दौलत राम जैन, अधीक्षक ग्रेड 1	22-5-87
10	हरी सेन श्रीवास्तव, अधीक्षक ग्रेड-2	5-11-86
11	यू0 डी0 धारियाल, कनिष्ठ लिपिक	10-10-85

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0-66 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 2रे सोमवार के लिए निर्धारित श्री पारस नाथ यादव द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-66 का संलग्नक।

क्रमांक	नाम विकास खण्ड	नाम सम्पर्क मार्ग
1	2	3
1	रामपुर	1--गौरी शंकर-फत्तूपुर 2--रामपुर रोड से मई 3--मई से सकरा 4--आशापुर--कटौना 5--रामपुर मन्धोना 6--राईपुर--भानपुर 7--रामपुर--रसुलहा 8--सुल्तानपुर मारिकपुर 9--बावतपुर जमालपुर से रकेवीपुर 10--ठाठर से चकबढ़वल काठगोदाम 11--सुरेरी रोड से पटेला 12--सुरेरी से परमालपुर ह0व0 13--रामपुर निस्वी से तिराही 14--पूरेदयाल से सियरही
2	बरसठी	1--किसुनपुर से असवां 2--जमनी से सराय हरिहरपुर 3--भेसहा से भैसहा ह0व0 4--खोआंवा--सोतीपुर 5--मियां केचक से पसियान बस्ती 6--आंदमपुर से रेलवे फाटक 7--निगाह से नोनारी ह0व0 8--मोहका खजुरी हटिया पौह।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ध'

(देखिए अता0प्र0सं0-78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर।)

वर्ष 1987-88 में तहसील मुहम्मदाबाद में चलने वाले ईंट भट्टों की सूची

क्रमांक	लाइसेन्स लेने वाले व्यक्ति का नाम व पता		भट्ठे का स्थान
1	2		3
1	श्री नन्द लाल सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह. ग्रा0 पो0 वाराचवर, गाजीपुर।	..	शाहपुरदेवा जीत
2	श्री विजय शंकर राय पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद राय ग्रा0 पो0 वीरपुर, गाजीपुर।	..	अमलाक
3	श्री नन्दलाल भारतीय पुत्र श्री बद्धन भारतीय, ग्राम तरांव, पो0 वीरपुर, गाजीपुर।	..	मिर्जाबाद
4	श्री अंगद राय पुत्र श्री शिवपूजन राय, ग्राम सोनवरसा, पो0 मुहम्दाबाद, गाजीपुर।	..	गठिया
5	श्री अछय प्रताप पाण्डेय पुत्र श्री परशुराम, ग्राम चकरसीद, पो0 मुहम्मदाबाद, गाजीपुर।	..	चकलात
6	श्री राधेश्याम पुत्र श्री धनेश्वर कुशवाहा, ग्राम नवापुरा, पो0 सुधाकरपुर, गाजीपुर।	..	काजी सिराज
7	श्री जग्गा राम पुत्र श्री मगरू राम, ग्राम पो0 आदिलाबाद, गाजीपुर।	..	करमपुरा
8	श्री सतीराम कुशवाहा पुत्र श्री शिवनाथ कुशवाहा, ग्राम पो0 सुभाखरपुर, गाजीपुर।	..	चकरसीद
9	श्री ललिता राय पुत्र श्री विभूति राय, ग्राम विशुनपुरा, पो0 परसी, गाजीपुर।	..	विशुनपुरा
10	श्री सुरेश राय पुत्र श्री नन्द किशोर राय, ग्राम उचाडिह, पो0 करीमवादीनपुर, गाजीपुर।	..	सरया दुववलियां
11	उपरोक्त	..	मुहम्मदपुर
12	श्री बल्लन राय पुत्र श्री कैलाश राय, ग्राम नरही, जि0 बलिया।	..	अजईपुर
13	श्री भजमन राय पुत्र शिव प्रसाद, ग्राम पो0 परसा, गाजीपुर।	..	पैजुलाहपुर
14	श्री छोटे लाल राय पुत्र श्री भृगुनाथ राय, ग्राम उचाडिह, पो0 करीमदादीनपुर, गाजीपुर।	..	विशुनपुरा
15	श्री प्रभुनाथ राय पुत्र श्री योगेन्द्र नाथ राम, ग्राम पो0 असावद, गाजीपुर।	..	अमहट

1	2	3
16	श्री अब्दुल अजीम पुत्र श्री अब्दुल करीम, ग्राम पो0 परसा, जिला गाजीपुर।	शेखपुर रदलपुर
17	श्रीमती कापिया बेगम पत्नी श्री यूनुस, ग्राम चकरसीद, पो0 मुहम्मदाबाद, गाजीपुर।	चकरसीद
18	श्री परशुराम राय पुत्र श्री रमाशंकर राय, ग्राम विशुनपुरा, पो0 परसा, गाजीपुर।	विशुनपुरा
19	श्री ब्र मदेव पुत्र श्री बैजनाथ, ग्राम मालीपुर, पो0 नीनहरा, गाजीपुर।	खलीलपुर
20	श्री उदय नरायन सिंह पुत्र श्री राजकुमार सिंह, ग्राम बखारीपुर, पो0 मुहम्मदाबाद, गाजीपुर।	मीरगंज
21	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र राम बड़ाई सिंह, ग्राम मिर्जापुर, पो0 कासिमाबाद, गाजीपुर।	बड़ागांव
22	श्री राम बड़ाई सिंह पुत्र श्री बेचन सिंह. ग्राम जफरपुरा, पो0 मुहम्मदाबाद, गाजीपुर।	मामपुर
23	श्री अलतमश पुत्र श्री यूनुस, ग्राम जफरपुर, पो0 मुहम्मदाबाद, गाजीपुर।	सफीपुर
24	श्री विदया सागर राय पुत्र राम प्रसाद राय, ग्राम भरौल कलां, गाजीपुर।	बीबीपुर
25	श्री श्यामबंश राय पुत्र तालिवन्द राय, ग्राम पो0 मुहम्मदाबाद, गाजीपुर।	चक आलम
26	श्री शिव शंकर पुत्र श्री लाल बिहारी, ग्राम अहरौली, पो0 मुहम्मदाबाद, गाजीपुर।	रसूलपुर जमाल
27	श्री मिर्जा अफजाल बेग पुत्र मिर्जा असफाक, ग्राम पो0 आदिलाबाद, गाजीपुर।	आदिलाबाद
28	श्री कल्पनाथ राय पुत्र श्री दिनेंश राय, ग्राम चकफुरीद, पो0 फतेहपुर अटवा, गाजीपुर।	चक सलीम
29	श्री अब्दुल सलाम पुत्र श्री अब्दुल अजीम, ग्राम पो0 परसा, गाजीपुर।	फैजूलाहपुर
30	श्री गुलाब चन्द्र पुत्र श्री झुन्नू शाह, ग्राम उतरौल, पो0 भरौली, गाजीपुर।	नसीरपुर कलां
31	श्री कमला कान्त सिंह पुत्र श्री शिव महन्त सिंह, ग्राम पतार, पो0 ताजपुर डेहमा, गाजीपुर।	भरौली आला

पी0एस0यू0पी0--एल0 13 विधान सभा(21)-1988-813।